हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 2007

खण्ड-1; अंक-9

अधिकृत विवरण

Vidhan Sabha Secretariat • LIBRARY • Chandigarh

विषय सूची

बुधवार, 21 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
अति विशिष्ठ व्यक्ति का स्वागत	(9) 6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(9) 6
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9) 16
सैक्रेड हार्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर 26, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत करना	(9) 27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(9) 27
वक्तव्य—	(9) 28
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(9) 33
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(9) 34

मूल्य : 87

विधान कार्य— 1. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमेंट) बिल, 2007 (9)34

2. दि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन (अमैंडमेंट) बिल, 2007

3. दि हरियाणा पुलिस बिल, 2007

वर्ष 2007–08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (9)56

बैठक का समय बढ़ाना (9)72

वर्ष 2007–08 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (9)73

बैठक का समय बढ़ाना (9)79

वर्ष 2007–08 के बजट अनुदानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (9)79

बैठक का समय बढ़ाना (9)84

वर्ष 2007–08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (9)85

वर्ष 2006–08 के बजट अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान (9)88

Vidhan Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 21 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now question hour.

Complaints against Spray of Spurious Weedicide

***626. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Government is aware of the fact about the burning of wheat crops due to spray of spurious weedicide in the State; if so, the details thereof ?

Agriculture Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Yes Sir, An area of 3536.70 acres under wheat crop is reported to have been damaged by the application of weedicides in the districts of Jind, Fatehabad, Mewat, Karnal, Rohtak, Kaithal, Hisar, Sirsa, Faridabad, Sonipat, Ambala, Panchkula, Kurukshetra, Yamunanagar, Panipat, Bhiwani and Jhajjar.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की जानकारी दी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि के कारण किसान परिवारों के ऊपर कुदरत की तरफ से बड़ा भारी संकट बना हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि इन जिलों में नकली दवाई की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है। हरियाणा में कई दवा विक्रेताओं से सरकार ने किसानों को मुआवजा दिलवाया जब कि हमारे जिला फरीदाबाद में भी इन दवाओं के कारण फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्पीकर सर, मेरे अपने हल्के में अलावलपुर बहुत बड़ा गांव है जिसमें मेरा अपना नेटिव गांव भी आता है और भी कई गांवों में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से बात की और इन्होंने आश्वस्त किया था कि किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा लेकिन अभी तक उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि नकली दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे और 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जैसे दूसरे किसानों को मुआवजा दिलवाया गया है वैसे ही अलावलपुर तथा आस-पास के इलाके के गांवों का जो नुकसान हुआ है, क्या वे हमारे इलाके के प्रभावित किसानों को भी इसी दर से मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट ईशू है कि गरीब किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल बोई, खाद डाली और फसल को पाला और जब स्प्रे का टाइम आया तो बीच में कुछ दवाइयां खराब आ गईं जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ। जैसे ही इस के बारे में हमें पता चला तो तुरन्त ही हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स और हरियाणा के एक्सपर्ट्स हर जगह, जहां-जहां से हमें ये फिगर मिली, भेजे। स्पीकर सर, इस बारे में जो ऐक्ट है, ऐक्ट के मुताबिक दवाई का सैम्पल लिया जाता है और सैम्पल लेने के बाद वह टैस्ट करने के लिए भेजा जाता है and if the test is found negative then the inspector is to file the criminal complaint otherwise no case can be registered under that Act. लेकिन कुछ किसान जिन्होंने दूसरे जिलों से अनएथोराईज्ड दवाइयां ला कर इस्तेमाल की हैं उन दवा विक्रेताओं के खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। स्पीकर सर, एक किसान होने के नाते तथा एक मंत्री होने के नाते मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि जिस किसी जमींदार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम सीधा उससे कुछ ले नहीं सकते। कुछ व्यापारियों तथा किसानों को आपस में बैठाकर हमने सुलह-सफाई करके समझौता करवा दिया और किसी ने 10,000 रुपये दे दिये और किसी ने 11,000 या 9,000 हजार रुपया दे दिया। जब व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। स्पीकर सर, मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे और जो सैम्पल्ज फेल पाए जाएंगे उनके खिलाफ केसिस दर्ज करवाते जाएंगे। अभी तक हमारे पास तीन सैम्पल के रिजल्ट्स आए हैं जिनमें से दो रिजल्ट्स गलत आए हैं, उन दोनों के खिलाफ हमने कम्पलेंट दर्ज करवा दी है। हमने सभी डिप्टी डायरैक्टर्ज को यह इन्ट्रक्शन्ज दी हुई हैं कि जो किसान यह कहे कि मेरी फसल खराब हुई है और उसका मुआवजा मुझे नहीं मिला तो उसकी पूरी सहायता की जाए और यदि मुकदमा दर्ज करवाना है तो वह करवाया जाए, कम्पनसेशन दिलवाना है तो कम्पनसेशन दिलवाएं। स्पीकर सर, मैं हाउस को यह बताना चाहूंगा कि हमारे स्तर पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मंत्री जी का जो कृषि विभाग है वह सतर्कता बरत रहा है और इन्होंने कई दवा मैन्यूफैक्चरर्ज के लाईसैंसिज कैंसिल किये हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे शाहबाद में ओसवाल एग्रो है, एक फर्म एग्रो साईंस साम्पला में है, एक क्रिस्टल कम्पनी है, ये लोग इस साल ही नहीं बल्कि हर साल किसानों के साथ धोखा-धड़ी करते हैं। मंत्री महोदय ने जिस कानून का यहां पर जिक्र किया है उसका फायदा उठाकर ये लोग किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों का मैंने नाम लिया है क्या इनके लाईसैंसिज कैंसिल करके जो भी कानूनी कार्यवाही बनती है, वह करेंगे। जहां तक मुआवजे का सवाल है, पहले इनकी फसल को दवाई ने खराब किया। बेचारों ने दोबारा से फसलों की बुआई की और उसके बाद ओला वृष्टि से उनकी फसल खराब हो गई है। क्या माननीय मंत्री जी उनकी इसके लिए अलग से भी मदद करेंगे।

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, जिन-जिन कम्पनियों के खिलाफ रिपोर्टें आई हैं और जिन तीन कम्पनियों के नाम इन्होंने लिए हैं हमने उनके लाईसैंस एक्सटैंड नहीं किए हैं। हमने कई कम्पनियों के लाईसैंस कैंसिल भी कर दिए हैं। मैं ईमानदारी के साथ इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो भी कम्पनियां दोषी पाई जाएंगी हम उनमें से किसी का भी लाईसैंस नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें मेरे बाप का भी हो।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह तो एडलट्रेशन ऐक्ट है, स्पूरियस सीड और फर्टिलाईजर के कानून हैं ये बहुत ही पुराने बने हुए हैं और इनका अख्तियार बहुत ही जूनियर लोगों को दिया हुआ है। आज ऑफिसर्ज की मिली-भगत से सिविल सप्लाई में नकली डीजल और ऐग्रीकल्चर में नकली सीड और नकली दवाइयां जो बेचते हैं उनको कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए। स्पीकर सर, नकली बीज और नकली डीजल ने किसानों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। ऐग्रीकल्चर में जो पम्प्स और ट्यूब्वैल्ज़ होते हैं वे नकली डीजल की वजह से जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इस बारे में सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, यह जो ऐडलट्रेशन ऐक्ट है, वह गवर्नमैंट आफ इण्डिया का ऐक्ट है। उसमें हम कितनी तरमीम कर सकते हैं, कितनी इम्प्रूवमैंट कर सकते हैं, यह हम देख रहे हैं। मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि घटिया सीड की शिकायत आई थी, हमने उसके आधार पर 3 सीनियर ऑफिसर्ज को 6 महीने के लिए सस्पैंड कर दिया था। अब उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी।

श्री दूड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे फतेहाबाद जिले में कुछ जमींदारों ने आढ़तियों के मार्फत दवाइयां ली थीं, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो गया है। क्या मंत्री जी उन आढ़तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, इनके एरिया में ही नहीं पूरे हरियाणा में 1/4 दवाइयां आढ़तियों के मार्फत खरीदी जाती हैं और कोई भी कन्जयूमर उनके खिलाफ गवाही नहीं देता है। कन्जयूमर और आढ़ती इसमें मिलजुल कर खींचमींच कर लेते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसिज रजिस्टर हुए हैं उनको आज तक अरैस्ट क्यों नहीं किया गया है। सिर्फ केस दर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन मामलों में गिरफ्तारियां होनी चाहिएं, वर्ना ये केस ऐसे ही पुराने हो जाएंगे। स्पीकर सर, आढ़तियों के खिलाफ कोई गवाही इसलिए नहीं देता है क्योंकि वह किसान कर्जे में दबा हुआ है। जब सरकार को पता है कि आढ़तियों से दवाई ली जाती है तो उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, जब तक हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं होगी तो हम किस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

*644

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य डॉ० सुशील इंदौरा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Hansi Butana Link Canal

***691. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Hansi Butana Link Canal is likely to be completed within the time limit; and togetherwith the details of the command area to be irrigated by the said canal?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes Sir, BML-Hansi Branch-Butana Branch-Multipurpose Link Channel is likely to be completed by 31.10.2007. This is a carrier channel and will not directly command any area. However, it will improve water availability and rotation in the WJC System command area. Speaker Sir, I would also like to add that during rainy season lift rice shoots shall be provided to the areas of Kaithal, Kurukshetra, Karnal and Jind.

चौ. धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, यह कैनाल जिस दिन से प्रपोज्ड हुई उसी समय से कुछ विरोधी पार्टी के हमारे साथियों ने इसमें अड़ंगा अड़ाना शुरू कर दिया था। एक साथी ने तो गोहाना में ही यह बयान दिया था कि अगर पानी का समान बंटवारा करने की बात आयी तो हरियाणा में जल युद्ध शुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, जल युद्ध की बात थी या गृह युद्ध की बात थी?

चौ. धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर साहब, जल के बारे में गृह युद्ध की बात है। मेरे पास अखबारों की कटिंग भी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बगैर वजह अगर कोई बयानबाजी करें और अन्याय की खुल्लमखुल्ला बात करें और यदि वह यह कहें कि न्याय दिया गया तो हम युद्ध करेंगे, क्या यह ठीक है? यह एक अजीब सी बात नजर आती है। स्पीकर साहब, अजीबगढ़ से यह नहर बनना शुरू होती है और आंटा फाल तक यह नहर पहुँचती है। यह नहर मेन भाखड़ा कैनाल से शुरू होगी। पंजाब में यहां समाना का ऐरिया है क्या वहां पर पंजाब के छोटे-मोटे ऐरिया के बीच में भी इस नहर का कुछ भाग आता है और अगर आता है तो क्या पंजाब साईड से पंजाब वाले कोई प्रौब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो इनकी क्वैरी है वह यह है कि क्या इस नहर के बीच में पंजाब का भी कोई ऐरिया आता है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें पंजाब का कोई एरिया नहीं आता है। लेकिन यह बात सही है कि जो हांसी बुटाना लिंक मल्टी परपज चैनल है इसके बारे में हमारे चुनावी घोषणा-पत्र में भी था कि हम बाकायदा यह नहर बनाएंगे क्योंकि पानी के मामले में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दूर करने की बात कही थी। पानी के समान बंटवारे के लिए ही इन्होंने यह स्कीम सरकार बनते ही तैयार करवायी थी। अध्यक्ष महोदय, इसके बनने से तकरीबन 16 जिलों को लाभ होगा। ये जिले हैं - अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद हांसी सब-डिवीजन ऑफ हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत। स्पीकर साहब, इससे बड़ी बात यह है कि इस कैनाल के बनने में अनेक गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं। कभी तो गृह युद्ध के नाम से लोगों को भड़काने की बात की जाती है, कभी किसी और तरीके से इसका विरोध किया जाता है। हमने कई बार इन लोगों से पूछा है कि आप इस नहर के बनने के हक में हैं या खिलाफ हैं लेकिन ये लोग तो हमेशा पीठ पीछे से वार करते हैं। मैंने पहले भी खास तौर से इनसे कहा था कि इनको लोकदल का अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा अकाली दल के नाम से करवाना चाहिए। स्पीकर साहब, ये पहनते तो हरी पगड़ी हैं लेकिन नीली पगड़ी वालों से ये मिले हुए हैं इसलिए

इनको अपनी पगड़ी का रंग बदलना चाहिए। स्पीकर सर, इन्होंने तो राजीव लोंगोवाल समझौते को भी अपोज किया था जिसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने एस०वाई०एल० कैनाल को कम्पलीट करने के लिए अपना डिसीजन दिया था। इन्होंने इराडी ट्रिब्यूनल की अन्तरिम रिपोर्ट जब आयी थी तो उसको भी अपोज किया था। स्पीकर सर, जब कभी भी हरियाणा के हितों की बात होती है तो ये लोग उसको अपोज करते हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने अकाली दल को सपोर्ट किया जो पंजाब असैम्बली द्वारा पास किए गए वाटर टर्मीनेशन ऐक्ट की सैक्शन 5 को भी खत्म करने की बात करते हैं। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह जो नहर है यह साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी। इसमें टोटल 1306 एकड़ जमीन हमने ऐक्वायर करनी थी, जिसमें से 1222 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर ली है और 110 किलोमीटर लंबी यह नहर होगी। इसकी कैपेसिटी 2 हजार क्यूसिक्स की होगी और अर्थ वर्क 73.41 किलोमीटर तक हो गया है और 46.64 परसेंट लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है।

चौ. धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्योंकि इन्होंने डेट दे दी है और कहा है कि इस नहर के 31.10.2007 तक कंप्लीट होने की संभावना है। मैं बताना चाहूंगा कि सैन्ट्रल वाटर कमीशन से अप्रेजल रिपोर्ट भी इसके लिए लेनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अप्रेजल रिपोर्ट की क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट ले ली है या नहीं ली है? यदि नहीं ली है तो उसके कब तक मिल जाने की उम्मीद है। इसके साथ एक बात और जोड़ दूं कि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि रोटेशन में डब्लू०जे०सी० सिस्टम कमांड एरिया में डिवैलपमैंट होगी। मैं जानना चाहता हूं कि उससे हमारे 16 जिलों को कितने क्यूसिक्स पानी ज्यादा मिलेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : एक तो माननीय सदस्य ने अप्रेजल के बारे में बात पूछी है कि सी.डब्लू.सी. से अप्रेजल मिला है या नहीं? अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम रूल्ज एण्ड रैगुलेशंज के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। कभी भी हमने ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमने रूल्ज की अवहेलना की हो। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य व सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पंजाब में चार बार बी०एम०एल० को बगैर सैन्ट्रल वाटर कमीशन और बी०बी०एम०बी० की इजाजत के पंचर किया गया। एक तो कर्मगढ़ में और दूसरे चोऊलिंक पर पंचर किया गया। इसकी बकायदा रिपोर्ट मैंबर, सैन्ट्रल वाटर कमीशन को है। यह टोटली अनअथोराइज्ड है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकायदा अभी सी.डब्लू.सी. के पास चीफ इंजीनियर ने जो रिपोर्ट भेजी है, हमने लिखा है कि—"The functioning of the above off-take Channels will not be affected and project will be able to draw their authorized share." ये चीफ इंजीनियर सी०डब्लू०सी० की रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने बकायदा लिखकर भेजा है कि हम पंजाब के हिस्से का एक बूंद भी पानी नहीं लेंगे। अपने हिस्से का पानी लेंगे। यह हमने लिखकर भी भिजवाया है और सी०डब्लू०सी० के चीफ इंजीनियर, मुख्यमंत्री महोदय उनसे मिले हैं और मैं भी स्वयं जाकर उनसे मिला हूँ। हम केन्द्र में वाटर रिसोंसेज मिनिस्टर से इस बारे में मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें इस बारे में क्लीयरैंस मिल जाएगी। हां, यह जरूर है कि कुछ कोर्ट केसिज चल रहे हैं। ये विपक्ष के साथी सामने तो कुछ बात करते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जगह-जगह काफी सारे कोर्ट केसिज डाल रखे हैं जिसके बारे में 4 अप्रैल, 2007 को हियरिंग है और उम्मीद है कि इनका स्टे उसमें वैकेट हो जाएगा।

अति विशिष्ठ अतिथि का स्वागत

Mr. Speaker : Hon'ble members, Ch. Ranbir Singh, father of our Hon'ble Chief Minister is present in the House to witness the proceedings of the House. He is a great freedom fighter and he is the only surviving member of the Constituent Assembly. I, on behalf of the House and myself welcome him.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो यह हांसी बुटाना लिंक नहर है यह बनेगी तो इसका महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी में कहां से लिंक होगा और क्या हमारे एरिया को इसका सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे जिले में इसकी कहां से शुरुआत होगी?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले केवल एक लिंक नहर भाखड़ा नहर ही थी जो कि नरवाना ब्रान्च से लिंक थी जिसके द्वारा भाखड़ा का पानी डब्ल्यू०जे०सी० में आ जाया करता था। जिसकी कैपेसिटी 4200 क्यूसिक थी। अब सरकार ने यह दूसरी लिंक नहर बनाई जो भाखड़ा कैनाल से हांसी लिंक ब्रान्च में आंटा गांव के पास मिलेगी। इस नहर के बनने के बाद हमारे पास 2000 क्यूसिक पानी और अतिरिक्त डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम में आ जाएगा और इससे भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी का जो हमारा अहीरवाल का एरिया है उस एरिया को पानी मिलेगा जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल कई जगह पर 14000 फीट नीचे भी नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त मेवात कैनाल जो जे०एन०एल० कैनाल से हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी पानी मिलेगा। इसके अलावा रोहतक और झज्जर के एरिया को भी पानी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : नरेश यादव जी, आपकी सप्लीमैंट्री का मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप दूसरे सदस्य के साथ बातें कर रहे हैं। आप अपनी सप्लीमैंट्री का जवाब सुनिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिन नहरों में 10-15 दिन तक पानी चलता था अब उन नहरों में 20-22 दिन तक पानी चला करेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और मेवात इलाकों की बात की है। इस नहर के बनने से जो डब्ल्यू०जे०सी० नहर हमारे एरिया में अंग्रेजों के जमाने से चलती है क्या हमारे जिले में भी वाटर कोसैंट बढ़ेंगे?

श्री अध्यक्ष : मान साहब, कोसैंट मीन्ज अलाउंसिज।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : सर, कोसैंट का मतलब अलाउंसिज से ही है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 13000 एकड़ जमीन ऐक्वायर करनी है जिसमें से 11000 एकड़ जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। बाकी की जमीन ऐक्वायर करने में क्या प्रॉब्लम है और यह मामला कब तक सैटल होने की संभावना है?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इसके साथ ही हाउस की जानकारी के लिए आप यह भी

बता दें कि वाटर एलाउंसिज डिफरैंट कनाल्ज में क्या-क्या हैं क्या इस बारे में डिटेल फिगर्स आपके पास हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वाटर एलाउंसिज डिफरैंट एरियाज में डिफरैंट हैं यह उस एरिया पर डिपैंड करता है। जैसे लिफ्ट इरिगेशन कैनाल है वहां पर वाटर अलाउंसिज ज्यादा हैं तथा जहां पर स्वीट वाटर जोन जमीन में अवेलेबल हैं वहां पर वाटर अलाउंसिज कम किए जाते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा कि कौन से वाटर अलाउंसिज ज्यादा हैं और कितने हैं? दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा कि इनके जिले को कोई फायदा होगा या नहीं और कितना पानी बढ़ेगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस नहर के बनने से इनके जिले कैथल और करनाल को भी फायदा होगा इनके वाटर टेबल को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी और डब्ल्यू०जे०सी० का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। इनके एरिया को जितने पानी की जरूरत होगी, सरकार उसको पूरा करेगी। यह सरकार कहती नहीं है करती है और किसी एरिया के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। पिछली सरकार जो थी वह नहर बनाने के नाम पर भी नुकसान ही किया करती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम की मेन कैनाल की कैपेसिटी को 14000 क्यूसिक से बढ़ाकर 20000 क्यूसिक कर रहे हैं। पहली सरकार ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। हम सिरसा ब्रान्च का पानी भी बढ़ायेंगे और जब उस एरिया में पानी की जरूरत होगी तो भाखड़ा सिस्टम से यह पानी वहां पर पहुंचायेंगे जिसकी वजह से सिरसा के एरिया में भी पानी पहुंच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने केवल यही नहीं इसके अतिरिक्त दादूपुर नलवी नहर को बनाने का काम भी चालू करवाया है। जैसा कि भाई निर्मल सिंह और यमुनानगर तथा शाहबाद के विधायकों ने बताया कि पिछली सरकार सिर्फ वायदा किया करती थी लेकिन इस नहर की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे लोग पत्थर रख देते थे लेकिन बजट में पैसे का प्रोविजन नहीं करते थे और न जमीन ऐक्वायर की गई। अध्यक्ष महोदय, 20 सालों से दादूपुर नलवी नहर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब हमारी सरकार ने उसका काम चालू किया है। हमारी सरकार की नीयत यह है कि पानी के मामले में किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी क्षेत्रों को पूरा पानी मिले।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, हांसी बुटाना लिंक नहर मेरे हल्के के गांव अंटा में गिरती है। 18 फरवरी, 2007 को मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी जब मेरे हल्के के गांव निमणाबाद में इस नहर को बनाने के लिए पत्थर रखकर आए थे उस समय लोगों में यह वहम था कि यह नहर बनेगी भी या नहीं बनेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं हर रोज वहां से गुजरता हूं मैं विभागीय अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा कि वे दिन-रात इस नहर को बनाने में कार्य करते रहते हैं और बड़े युद्ध स्तर पर इस नहर को बनाने का कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार निमणाबाद गांव में आये थे उस दिन बिना भेदभाव के सभी लोग उस गाँव में सरकार का स्वागत करने के लिए आये थे चाहे कोई भाई लोक दल पार्टी में विश्वास रखने वाला था। निमणाबाद गांव जींद जिले का सबसे बड़ा सिख भाइयों का गांव है। अचानक बरसात के कारण वहां किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मैं सिंचाई मंत्री जी से इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि वहां पर एक बरसाती नाला निकलता है जो वहां के 20-25 गांवों के बरसात का पानी हांसी ब्रांच में डालता है। लेकिन हांसी बुटाना लिंक नहर के बनने से वह नाला दो भागों में बंट गया क्योंकि यह नहर उस नाले को दो भागों में बांटती है जिसके कारण एक तरफ के गांवों का

[श्री बचन सिंह आर्य]

बरसात का पानी तो ड्रेन में डल जाता है लेकिन दूसरी तरफ के 15-20 गांवों के बरसात का पानी वहीं उस नाले में खड़ा रहता है जिसके कारण किसानों की फसल बरबाद हो जाती है। लोगों ने मजबूर होकर इस नहर को भी काट दिया था ताकि नाले का पानी आगे निकल जाए। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या वहां पर नहर के साथ-साथ बरसाती पानी निकालने का कोई प्रावधान किया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो चिंता जाहिर की है उसके लिए हम अपने अधिकारियों को आदेश दे देंगे कि उसको एग्जामिन करें और उन 15-20 गांवों का बरसाती पानी निकालने के लिए अगर अलग से ड्रेन बनानी पड़ेगी तो वह भी बनाई जायेगी और उनकी यह समस्या दूर की जायेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह नहर कैथल और जींद जिले के जो पानी के चैनल हैं, उनको कट करेगी क्योंकि यह नहर 18 फिट नीचे से बनाई जा रही है। जिसके कारण से इन दोनों जिलों के वाटर चैनल ऊपर होंगे और उन चैनल्ज की टेल पर पानी कम पहुंचेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन चैनल्ज में पानी को लिफ्ट करके क्या उनकी पानी की कमी को दूर किया जायेगा। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सिंचाई मंत्री जी को दो साल में बहुत सी चिट्ठियां भी लिखी हैं कि कैथल जिला एक ऐसा अभागा जिला है जिसका वाटर ऐलाउंस 1.90 क्यूसिक है और पूरे हरियाणा का वाटर ऐलाउंस 3 क्यूसिक है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, पूरे हरियाणा का वाटर ऐलाउंस 3 क्यूसिक नहीं है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 2.50 क्यूसिक तो हर जगह पर है और कहीं-कहीं पर 3 क्यूसिक भी है। लेकिन कैथल जिले का वाटर ऐलाउंस तो 1.90 क्यूसिक ही है। जिस समय यह नहर निकल रही थी उस समय सारे कैथल जिले में ज्यादातर जमीन पर जंगल था इसलिए यह समझा गया कि कैथल जिले में पानी की जरूरत नहीं है और आधे से ज्यादा कैथल जिले में ग्राउंड वाटर खारा है जिसके कारण वहां के किसानों को बहुत समस्या हो रही है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां के किसानों की पानी की समस्या को दूर करके वहां के किसानों के साथ इंसाफ किया जायेगा?

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वाटर अलाऊंस के बारे में विस्तार से पिछली बार भी बताया गया है। मैंने इसके बारे में विस्तार से जवाब दिया था यह डिपैंड करता है अवेलेबलिटी ऑफ वाटर पर और स्वीट जोन ऐरिया है या नहीं है, पानी का स्तर किस लैवल पर है और उसके बारे में हमने विचार भी किया था और हम उसके बारे में विचार अवश्य करेंगे लेकिन इसको इस स्टेज पर चेंज करना, इसमें अमैंडमैंट करना शुरू कर दिया तो सबकी डिमांड आनी शुरू हो जायेगी कि हमारा भी वाटर अलाऊंस बढ़ाया जाये। दूसरा हम यह कोशिश करेंगे कि उनकी टेल को ठीक किया जाये। जो इन्होंने बात रखी है कि टेल तक पानी देने की तो जब राईस सीजन होगा तो हम लिफ्ट राईस सूट से पानी देने का प्रावधान करेंगे जिससे इनकी टेल फीड हो सकें और फसलों को पानी मिल सके। दूसरा जो इन्होंने डब्ल्यू०जे०सी० की बात की है तो वह भी हम कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, बने। जहाँ तक हो सकेगा, पानी

दिया जायेगा। हर इलाके को जरूरत के मुताबिक हम पानी देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में तो मंत्री जी ने बता ही दिया है कि equal and equitable distribution of water होगा।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस सरकार के बनने के बाद साऊथ हरियाणा को पानी दिया गया है इन्होंने बताया है कि 50 परसेंट आपकी आपूर्ति कर दी है। उसमें 360 क्यूसिक पानी इन्होंने हमारा काट लिया था हमारे हिस्से का हांसी सब-डिविजन का नारनौंद हल्के में जिससे डाटा, मसूदपुर गांवों में तो पीने के पानी की भी बहुत भारी कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह हाँसी बुटाना लिंक नहर बनने के बाद जो हमारा पानी काटा गया है उसकी आपूर्ति हो सकेगी या फिर भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नारनौंद एरिया की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं जो इनको ऑथोराईज्ड पानी मिलना चाहिए था इतना पानी इनको आज भी दे रहे हैं लेकिन कुछ पानी सिवानी एरिया को जो डब्ल्यू०जे०सी० के थ्रू नारनौंद हम दे रहे थे वह पानी अब हमने थ्रू भाखड़ा से उस एरिया को देना शुरू कर दिया है। सर, मेन बात यह थी कि सिवानी ऐरिया में पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। रही बात आऊटलैट की तो इन्होंने इतने बड़े-बड़े नाले बना रखे थे कि आगे पानी जा ही नहीं पाता था। इनको हमने ऐज पर ऑथोराईज, जितना उनका ऑथोराईज तौर पर जो डिस्चार्ज होना चाहिए उसके मुताबिक हमने आऊटलैट्स को ठीक किया है। अब हमने वहाँ पर जो आऊटलैट बनाये हैं वह एक ही साईज के बनाये हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अगर किसी भी आऊटलैट को छोटा बड़ा किया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको ज्यादा पानी लेने की आदत पड़ रही है जबकि हम चाहते हैं कि जो availability of water है उसका समान बटवारा हो जाये। उसके मुताबिक हम पानी देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिवानी ऐरिया को हम पानी चाहे थ्रू नारनौंद दें या थ्रू भाखड़ा दें लेकिन नारनौंद को जो ऑथोराईज पानी मिलना चाहिए, वह मिल रहा है।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पहले भी कहा था और मैं हाउस में मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अगर इनको कोई शक है कि इतने बड़े मोहरे बना रखे हैं तो आप इसी सदन की एक कमेटी बना दें और भले ही उसका अध्यक्ष भी मंत्री जी को ही बना दें अगर मेरी बात सही निकली तो वह पानी दे देना और अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं आईन्दा सदन में कभी नहीं बोलूँगा। मेरी बात 100 प्रतिशत सच है और आप एक कमेटी बना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपको मंत्री जी के चैम्बर में जाकर बात करनी चाहिए। Capt. Sahib, please satisfy the member.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहता हूँ विद अथौरिटी कहता हूँ। हमने यह कह रखा है कि ऐज पर डिस्चार्ज ऐरिया है वह डिफरैंट-डिफरैंट ऐरिया है। जहां पर 400 एकड़ एरिया है वहाँ का साईज अलग होता है और जो अढ़ाई सौ एकड़ का एरिया है उसका आऊटलैट साईज अलग होता है। अगर उसके साइज को छोटा-बड़ा कर देते हैं और आप ज्यादा डिस्चार्ज लेते रहें तो उससे दूसरे लोगों को नुकसान होगा। हमने यह स्पष्ट कह रखा है कि

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

किसी के साथ कोई बेइन्साफी नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर, अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके इलाके में कोई बेइन्साफी हो रही है तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई बेइन्साफी नहीं करती।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, राम कुमार गौतम जी ने जो क्वैश्चन किया है उसमें इजाफा करके उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमैंट ने हांसी बुटाना लिंक नहर का पानी थ्रू भाखड़ा नहर से भिवानी ऐरिया को देना शुरू कर दिया है। स्पीकर सर, मेरी यह जानकारी है कि यह in anticipation of the Hansi-Butana Main Link है, उसके बाद यह पानी मिलेगा। एक तो सिवानी फीडर एबन्डैड है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहाँ हमारा लगा हुआ पैसा बेकार जा रहा है क्योंकि वह फीडर खराब होने लगी है। दूसरे पेटवाड़ डिस्ट्रिब्यूटरी के थ्रू भी सिवानी और भिवानी में पानी जाता था। स्पीकर सर, विभाग ने यह पानी काटते वक्त या भाखड़ा के थ्रू देते वक्त इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि विलोसिटी ऑफ वाटर उसमें रिड्यूस हो गई है और उस एरिया को इस सिस्टम से रिड्यूस करके फीड करना बड़ा डिफीकल्ट है (विघ्न) स्पीकर सर, मेरे हल्के के विलेजिज टेल पर पड़ते हैं। जैसे कि इन्होंने दो-एक गांव मैंशन किए हैं खरड़ अलीपुर, भगाना, लाडवा, सतरोड़ के कुछ ऐसे विलेजिज हैं जिनमें सिसाय, बाजौद, भाटड़ा गांवों में पानी की बड़ी दिक्कत रही। जब तक हांसी-बुटाना मेन लिंक नहर नहीं बनती है क्या मन्त्री महोदय पेटवाड़ डिस्ट्रिब्यूटरी की जो विलोसिटी है वह इस हांसी ब्रान्च से रिस्टोर करने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह बात कही थी कि जो इनके इलाके का अथोराईज्ड पानी है उतना पानी हम दे रहे हैं लेकिन सिवानी एरिया में थ्रू डब्ल्यू.जे.सी. सिस्टम से पानी पहुँच नहीं पाता था (विघ्न)

प्रो. छतरपाल सिंह : मंत्री जी, अगर विलोसिटी बढ़ेगी नहीं तो पानी जाएगा कैसे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : पानी जाएगा और पानी पहुंच रहा है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : छतरपाल जी, मंत्री जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं उन्हें सवाल का जवाब देने दीजिए after that you can ask the next supplementary. This is not the way of asking the question. यह क्वैश्चन आवर है आपने सप्लीमैंट्री पूछा है मन्त्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी जो समस्या है मैं इनको इस बारे में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की मन्शा है कि हर इलाके को पानी मिले। मैं सिवानी के एरिया में गया था। माननीय सदस्य श्री सोमवीर जी मेरे साथ थे और भाई राम किशन फौजी जो बवानी खेड़ा से सदस्य हैं उनकी समस्या यह थी कि वहां पर पीने का पानी नहीं पहुँचता था। हमने भाखड़ा सिस्टम से उनको पानी देने का कार्य किया है। जो बाल समन्द का बहुत सारा एरिया था उसमें पानी की दिक्कत थी जिसका समाधान करने की हमने कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, हमारे नारनौंद के विधायक श्री गौतम जी तथा प्रो. छतरपाल जी को मैं कहूंगा कि यह तो बी.एम.एल. हांसी-बुटाना लिंक ब्रान्च है यह जल्दी ही बनने वाली है और इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब पानी अवेलेबल हो जाएगा तो पानी भी बढ़ा देंगे और विलोसिटी भी

बढ़ा देंगे। स्पीकर सर, हम इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे साल्हावास विधानसभा क्षेत्र में मातनहेल ब्लॉक में मून्दसा अकेडी के बीच में जो जे.एल.एल. नहर है वह काफी ओवर फ्लो हो जाती है जिसके कारण कई गांवों की हजारों एकड़ फसल का नुकसान हो जाता है। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसका कोई उपाय किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछें कि जे.एल.एन. नहर में क्या सीपेज हो जाती है या ओवर फ्लो हो जाती है जिसके कारण नुकसान होता है।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर साहब, जे.एल.एन. नहर ओवर फ्लो हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गये हैं और उनको भी मौके का पता है। पानी के ओवर फ्लो होने से फसल और जमीन खराब हो जाती है। (विघ्न) स्पीकर सर, मेरा दूसरा क्वैश्चन खानपुर माईनर के बारे में है अगर मंत्री जी उसको चालू करवा देंगे तो उससे चार-पांच गांवों को पानी मिल सकेगा, इन गांवों का पानी कड़वा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नरेश यादव जी, आप चारों आदमी बतलाते रहते हैं। ऑनरेबल लेडी मैम्बर दक्षिणी हरियाणा से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सवाल चल रहा है। पानी किसान की लाईफलाईन है। पानी का बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सवाल सदन में चल रहा है, प्लीज मेनटेन दि डैकोरम ऑफ दि हाउस।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, हमारे यहां पर 4-5 गांव झाडली, झामड़ी, मोहनबारी, खानपुर कलां और खानपुर खुर्द हैं वहां पर पानी कड़वा है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां पर जो पानी कड़वा है उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या खानपुर माईनर को चालू करवाने का कष्ट करेंगे। (विघ्न) इसी के साथ बिसोहा माईनर को नाहड़ तक बढ़ा देंगे, इस बारे में मंत्री जी वहां पर गए थे और इन्होंने यह खुद कहा था कि इस नहर को नाहड़ तक बढ़ा देंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो मातनहेल के एरिया में ओवर फ्लो वाली बात कही है तो इस बारे में हम चैक करवा लेंगे और जो भी समाधान हो सकता होगा, वह करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने खानपुर और बिसोहा माईनर के बारे में बात कही है ये हमें अलग से नोट लिखकर दे दें तो हम इस बारे में चैक करवा लेंगे।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि डब्ल्यू.जे.सी. नहर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। स्पीकर सर, हमारे यहां पर इन्द्री से चौतस सिस्टम है उससे नीलोखेड़ी और जुंडला के क्षेत्रों में जीरी की फसल के लिए 3 महीने के लिए ही पानी दिया जाता है। जब डब्ल्यू.जे.सी. नहर की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी तो हमारे यहां जो सिस्टम हैं उसको 12 मासी करने का सरकार का कोई विचार है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आज डब्ल्यू०जे०सी० का जो सिस्टम है उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। हमारी सरकार उस पर 30 करोड़ रुपये खर्च करके उसकी कैपेसिटी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

को बढ़ाएगी और .48 एम.ए.एफ. उसमें पानी की बढ़ौतरी होगी। स्पीकर सर, जिस एरिया की राणा साहब बात कर रहे हैं, अगर वहां पर पानी की जरूरत होगी और हमारे पास सरप्लस पानी होगा तो हम जरूर देंगे। जो 12 मासी वाली बात इन्होंने कही है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस सरकार के आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ गए थे और वहां पर अम्बाला इरीगेशन स्कीम है, जिसकी कैपैसिटी 683 क्यूसिक है, उसको मंजूरी दी है। स्पीकर सर चाहे मेवात कैनाल की बात हो, चाहे दादूपुर नलवी के प्रोजैक्ट की बात हो, बी.एम.एल. हांसी ब्रांच की बात हो, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सभी को बराबर पानी मिले और यह हमारी सरकार का ध्येय भी है। हमने बजट 2005 के 151 करोड़ के मुकाबले आज पानी के लिए 718 करोड़ रुपये का प्लान इस बजट में रखा है। ये यह दर्शाता है कि हमारी सरकार की मंशा क्या है। हमारी सभी को बराबर पानी देने की मंशा है। यह हम कोशिश करेंगे कि किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले।

चौ. अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार डब्ल्यू.जे.सी. नहर की कैपैसिटी बढ़ाएगी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां तक दादूपुर नलवी लिंक नहर का जिक्र है, तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस नहर से यह नहर निकली है उसमें पहले ही पानी की कमी है। क्या वहां पर मंत्री जी और पानी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जैसे चौधरी देवी लाल जी के समय में बरसाती पानी को इकट्ठा करके नहरों में डाला जाता था क्या मंत्री जी भी वैसी कोई योजना बनाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जब बरसात होती है और यमुना में नीचे की साईड में पानी आता है उस वक्त तकरीबन 590 क्यूसिक पानी की कैपैसिटी की यह नहर बन जाती है। यह कच्ची नहर होगी। इस नहर से इनके एरिया में पानी की रि-चार्जिंग भी होगी। इस नहर का पानी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों के एरियाज में जाएगा। स्पीकर सर, इसका 15 परसेंट काम हो चुका है। 375 किलोमीटर लम्बी यह नहर होगी और इस पर 294 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। जैसा मैंने बताया कि तीन जिलों में खासकर इनके एरिया में इससे पानी की रि-चार्जिंग होगी। इसके अलावा यह नहर इरीगेशन के काम भी आएगी क्योंकि हमने और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनायी हैं जिनसे इनके एरिया में और ज्यादा पानी मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : स्पीकर सर, अभी मेरे साथी ने कहा कि मेरे एरियाज के साथ लगते इलाकों में पानी ओवर फ्लो हो रहा है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं कम से कम दस लैटर मेरे यहां की नहरों में पानी न आने के बारे में लिखकर दे चुका हूँ। ये लैटर मैंने मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को लिखे हैं। स्पीकर सर, एक तरफ तो मेरे एरिया के साथ लगते एरियाज में पानी ओवर फ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे एरियाज की नहरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसका रीजन क्या है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पानी की अवेलिबिलिटी पर यह निर्भर करता है। हांसी बुटाना लिंक कैनाल भी बन रही है लेकिन इनका जो एरिया है वह जे.एल.एन. कैनाल के एरिया के साथ लगते एरिया में पड़ता है इसलिए इनके साथ लगते एरिया में हमेशा ही पानी ओवर फ्लो होता रहता है। स्पीकर सर, इनका एरियाज बिल्कुल

टेल पर पड़ता है। हमारी सरकार बनने के बाद इनके एरिया में पहली बार हमने एक एस.डी.ओ. वहां पर बिठाया है ताकि वह जनता की समस्याएं सुन सके। हमने इनके एरिया में भी पानी अवश्य बढ़ाया है। जब हांसी बुटाना लिंक नहर बन जाएगी तो इनके एरिया में भी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

चौ. अर्जन सिंह : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि वाटर लैवल ऊपर आ रहा है लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे यहां पर मई-जून के महीने में ट्यूबवैल्ज भी सूख जाते हैं और नलकों में भी पानी नहीं रहता है। जब हमारे यहां पर पुरानी नहर थी तो उस समय तो वाटर लैवल ऊपर रहता था लेकिन जब से यह दूसरी नई नहर बनना शुरू हुई है हमारे यहां पर वाटर लैवल नीचे चला गया है। जबकि मंत्री जी वाटर लैवल ऊपर होने की बात कह रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह दादूपुर नलवी नहर कच्ची नहर होगी इसमें लाईनिंग नहीं होगी इसलिए साईड्स से सीपेज जब होगी तो वहां पर वाटर लैवल राईज करेगा।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, आप मंत्री जी से इस बारे में मिल लेना। मैं मंत्री जी से भी कहूँगा कि वे इनको सैटिसफाई कर दें।

श्री हबीबुर रहमान : स्पीकर सर, मेरे हल्के में एक उजीना डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका लैवल बहुत ही खराब है इसलिए पिछले पांच-छः सालों से वहां पर एक भी बूंद पानी की नहीं पहुंची है। मैंने इस बारे में मंत्री जी को लिखकर भी भिजवाया था तथा वहां के लोकल ओफिसर्ज से भी बात की थी। उनका कहना यह है कि यदि इसका लैवल दोबारा से ठीक करवाया जाएगा तो सारे ऑफिसर्ज फंस जाएंगे। इसके कारण कोई भी ऑफिसर उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि वे कब तक इस उजीना डिस्ट्रीब्यूटरी का लैवल ठीक करवा देंगे क्योंकि इससे दस-दस गांवों को पानी पहुँचता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि जिस ड्रेन की ये बात कर रहे हैं उसका लैवल हम चैक करवाएंगे और इनकी समस्या का हम समाधान भी करने की पूरी कोशिश करेंगे?

डॉ. शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मेरे हल्के में पानी की बहुत भारी कमी है। मेरा हल्का बिल्कुल टेल पर पड़ता है। मैंने मंत्री जी से पालवास माईनर, सांगा माईनर और आर०डी० 7000, रूपगढ़ का पम्प हाउस बनाने के लिए रिक्वैस्ट की थी। लेकिन दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो सदस्य ने पूछा है मैं इनको कहना चाहूँगा कि इसके लिए ये सैपरेट नोटिस दें या बाद में लिखित में हमें दे दें हम इनको इसका जवाब दे देंगे।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हांसी बुटाना मेन ब्रांच जब मेरे एरिया की नहर में मिल जाती है तो हमारे यहां से सुंदर ब्रांच और चतंग या हांसी ब्रांच निकलती है। मेरा जुलाना का एरिया सुंदर ब्रांच पर ही पड़ता है। क्या हांसी बुटाना नहर बनने के बाद जो हमारी वारांबदी है या हमें जो पानी कम मिल रहा है उसमें बढ़ौत्तरी होगी या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपैंड करता है। जब पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका फायदा सभी को होगा, इनको भी होगा और पूरे प्रदेश को भी फायदा होगा।

श्री राकेश कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एम.आई.टी.सी. के जो खाले थे, जिन पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। जहां खुदाई होनी बाकी है वह खुदाई अब होगी या नहीं होगी और एम.आई.टी.सी. के खालों के द्वारा नहर से सिंचाई मेरे हल्के में होगी या नहीं होगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये काम काडा करता है और जिस वाटर कोर्सिज की ये बात कर रहे हैं उसको हम दिखवा लेंगे। ये हमारे पास लिखकर भेज दें। हम इनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर किन-किन नहरों से कहां-कहां रजबाहे बनने चाहिएं। ये नहरें किस-किस इलाके से निकालनी चाहिएं इस बारे में विभाग के मापदण्ड क्या हैं? नहर कहीं खुदनी है तो उसकी अंडरग्राउंड वाटर की क्या पोजीशन है? जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से अब तक जितनी नहरें बनी हैं उन नहरों को बनाने से पहले क्या उन मापदण्डों को ध्यान में रखा जाता है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो भी नहर बनती है, that is constructed on the basis of the percentage of irrigation. सिरसा में सेम की समस्या ज्यादा इसलिए आ रही है कि वहां पानी इरीगेशन की परसेंटेज से ज्यादा ले लिया गया। आज वहां पर 160 करोड़ रुपये का खर्च सिर्फ ड्रेन बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। यह देखना होता है कि पानी कैसा है। पानी खारा है या अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचा है उस पर भी यह डिपैंड करता है। जहां स्वीट जोन एरिया है उसको हम बाद में देखते हैं। जहां परसेंटेज ऑफ इरीगेशन कम है वहां डिस्ट्रीब्यूट्रीज बनाते हैं। जिन एरियाज में सेम की समस्या है, वहां भी मांग की जाती है कि हमारे यहां नहर रजबाहे बना दिये जाएं। इसकी वजह से सेम की समस्या आती है और लोगों को दिक्कत होती है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय व मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे कलायत हल्के में, जो कि बैकवर्ड है, उसमें जिस सिंसर नहर का पत्थर रखा था, वह बनकर तैयार हो गई है। कपिल मुनि माइनर की घोषणा की थी और बाता माइनर का मॉडलिंग का कार्य प्रगति पर है। सिंसर माइनर को ऐक्सटैंड करके ढाकर और सिंगवाल तक करने का प्रस्ताव मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेजा था उसके अलावा हमारे कलायत में शिमला ऐसा गांव बच जाता है जहां सबसे ज्यादा पानी की समस्या है क्या उसका समाधान करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सिंसर माइनर के बारे में बात रखी है उसका प्रौजैक्ट बनकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको लागू करवाएंगे। जहां तक शिमला

गांव के बारे में बात रखी है उसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सिवानी क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। पीने का पानी नहीं था। हमारी सरकार ने किसानों को पीने का पानी दिया है और हमारे यहाँ जो तोशाम का एरिया और लोहारू का एरिया था, उस एरिया के लोगों को भी पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में खानक और रतेरा माईनर्स की रेजिंग का काम सरकार से मन्जूर हो चुका है लेकिन वह आज तक अधूरा ही है, पूरा नहीं हो पाया है। क्या मंत्री जी उस अधूरे काम को पूरा करवाएंगे? दूसरा जो सुन्दर नहर है उस नहर से मेरे एरिया में पानी आता है और मेरा गांव इस नहर के टेल एरिया पर पड़ता है। जब यह हांसी-बुटाना लिंक नहर बन जायेगी तो क्या मेरे एरिया में मंत्री जी टेल तक पानी पहुँचाने का कार्य करेंगे। क्योंकि मंत्री जी ने हजारों माईनर्स बनाये हैं लेकिन इस नहर की कैपेसिटी सिर्फ 550 क्यूसिक की है जब तक इस नहर की कैपेसिटी कम से कम 800 क्यूसिक नहीं होगी तब तक मेरे एरिया में पानी टेल एण्ड तक नहीं पहुँच पायेगा। क्या इस कैपेसिटी को मंत्री जी बढ़ाने का काम करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हांसी-बुटाना लिंक नहर बनने से सबसे ज्यादा फायदा भिवानी को होगा और पहले भिवानी का एरिया टेल पर पड़ता था लेकिन अब भिवानी हैड पर आ जायेगा और इस एरिया को इससे लाभ मिलेगा। इनके एरिया में जो टेल पर पानी नहीं पहुँच रहा है उसको भी पहुँचायेंगे।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, मेरे हल्के में दो माईनर्स हैं सिसाणा और भालोठ। पहले जब नहरें कच्ची होती थी तब तो इनकी टेल पर पानी आ जाता था लेकिन जब इन नहरों की टेल को कुछ जगह से ऊंचा कर दिया है इसलिए अब टेल पर पानी नहीं पहुँचता। दूसरा भालोठ माईनर है जो डेढ़ फुट ऊंचा उठा दिया है इसलिए टेल एण्ड के गांव खेड़ी सांपला में 12 साल से एक बूंद पानी भी नहीं पहुँचा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सिसाणा और भालोठ माईनर्स के बारे में बात की है इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहूँगा कि दो साल हो गये माननीय सदस्य ने न तो इस बारे में कभी लिख कर दिया और न ही मौखिक रूप में बताया और आज विधानसभा में यह बात कर रहे हैं। भालोठ माईनर्स पर सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से काफी पैसा लगाया है उसको ऊंचा भी उठाया है अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो उसको भी पूरा करेंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बरवाला विधानसभा क्षेत्र में नये माईनर बनाने का कार्य शुरू किया गया है उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस माईनर का लेवल पहले 32 बुर्जी था जो अब सरकार उसे साढ़े सत्ताईस बुर्जी करने जा रही है। ऐसा करने से सरहेणा और खरकड़ा गांवों का रकबा बच जाता है। इसलिए इसको 32 बुर्जी का बनाया जाए। दूसरा न्यू खेड़ी,

[श्री रणधीर सिंह]

स्योरण माईनर अभी बनना शुरू नहीं हुआ है लेकिन सरकार से मन्जूर हो चुका है उसको भी तीन बुर्जी और बढ़ाया जाए ताकि खेड़ी जालम गांव के किसानों को पूरा पानी मिल सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है उसको हम ऐंजामिन करवा लेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Number of Cases referred to C.B.I.

***701 Prof. Chhattar Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of cases referred to the C.B.I. for investigation from 1st April, 1996 to 28th February, 2007 alongwith the details of the cases referred to C.B.I. on the initiative of State Government and Courts, respectively and also the brief details of their present position.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

अनुलग्नक - I

दिनांक 1.4.1996 से 28.2.2007 अनुसंधान के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कोर्ट द्वारा दिए गए मुकदमों का विवरण

क्र०सं०	मुकदमा नं० दिनांक, धारा व थाना	संक्षिप्त तथ्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
पंचकूला			
1.	677 दिनांक 14.10.03 धारा 409 भा०द०स० थाना सैक्टर-5, पंचकूला दिनांक 6.2.06 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार इन्चार्ज मालखाना सैक्टर-5, पंचकूला के ब्यान पर पैसा गुम होने के कारण ब्यान पर दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
यमुनानगर			
2.	160 दिनांक 29.10.2002 धारा 452/302 भा०द०स० थाना रादौर जिला यमुनानगर	यह मुकदमा राजकुमार के ब्यान पर उसके भाई की हत्या करने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।

1	2	3	4
	दिनांक 11.7.05 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।		
कुरुक्षेत्र			
3.	312 दिनांक 10.7.2002 धारा 302/34/120-बी भा०द०स० थाना सदर थानेसर दिनांक 10.11.03 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा जोगिन्द्र सिंह के ब्यान पर दर्ज किया गया।	मुकदमा में अनुसंधान ट्रायल पर है।
सोनीपत			
4.	144 दिनांक 2.4.99 धारा 302/120-बी भा०द०स० थाना शहर सोनीपत।	यह मुकदमा हंसो देवी के ब्यान पर उसके पुत्र की हत्या करने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
5.	128 दिनांक 25.10.94 धारा 302/302/332/353 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना बरौदा दिनांक 18.12.1996 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा निरीक्षक नर सिंह, सी.आई.ए. जीन्द के ब्यान पर पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा में अनुसंधान ट्रायल पर है।
रोहतक			
6.	65 दिनांक 3.1.98 धारा 366/511-बी भा०द०स० सिविल लाईन्स रोहतक दिनांक 8.7.2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा ए.एस.जे., रोहतक के कथन पर दिनांक 29.1.1998 डॉ. एस०के० कपूर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की लड़की का अपहरण का प्रयास करने के कारण दर्ज किया गया।	केन्द्रिय अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा का अनुसंधान बन्द करने के लिए एस० जे०एम०आई०सी० हरियाणा अम्बाला की कोर्ट में दिनांक 27.9.2004 को दिया गया है। जो विचाराधीन है।
7.	474 दिनांक 3.9.2001	यह मुकदमा सुदर्शन सिंह के ब्यान	मुकदमा का

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
	धारा 364 भा०द०स० थाना सिविल लाईन रोहतक दिनांक 18.3.02 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	पर उसके पुत्र का अपहरण करने के कारण दर्ज किया गया।	अनुसंधान प्रगति पर है।
झज्जर			
8.	291 दिनांक 11.11.99 धारा 302 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना सदर बहादुरगढ़ दिनांक 11.7.05 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा महाबीर सिंह के ब्यान पर अमरजीत सिंह की हत्या करने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनु-संधान पुन: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है इससे पूर्व स्थानीय पुलिस ने ममला को रदद करने के लिए 22.4.01 को रिपोर्ट दी।
9.	206 दिनांक 18.6.01 धारा 420/468/120-बी भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर बहादुरगढ़ दिनांक 28.2.02 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा निरीक्षक राम चन्द्र प्रबन्धक थाना शहर बल्लभगढ़ के कथन पर झूठे लाईसैंस बनवाने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनु-संधान पुन: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है लेकिन स्थानीय पुलिस ने 18.3.02 को मामला रदद करने की रिपोर्ट दी।
करनाल			
10.	439 दिनांक 11.5.96 धारा 302 भा०द०स० थाना शहर करनाल दिनांक 23.5.2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा बलजीत सिंह के ब्यान पर उसकी पत्नी श्रीमती गुरचरन कौर के गुम होने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा में दिनांक 13.1.01 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अदमपता रिपोर्ट लिखी जी चुकी है।
11.	532 दिनांक 11.6.1996 धारा 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम एवं 420 भा०द०स० थाना दिनांक	यह मुकदमा जय भगवान सैनी के ब्यान पर जिला प्रबन्धक एफ०सी० आई० माल रिलीज करने के आदेश प्राप्त करने के लिए दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।

1	2	3	4
	6.8.96 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।		
12.	1011 दिनांक 1.8.97 धारा 459/460 भा०द०स० थाना शहर करनाल।	यह मुकदमा जी०डी० शर्मा के ब्यान पर हत्या और डकैती के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया अन्त में अदमपता रिपोर्ट लिखी गई।
13.	308 दिनांक 5.9.2001 धारा 363/302/201/ 120-बी भा०द०स० थाना सिविल लाईन करनाल दिनांक 7.12.2001 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा श्रीमती हरदेवी के ब्यान पर उसके पति का अपहरण व हत्या करने के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा के अनुसंधान बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा धारा 302,201,120-बी, 34 भा०द०स० में चालान कोर्ट में दिया गया।
14.	264 दिनांक 8.10.2000 धारा 406/468-ए/364 भा०द०स० थाना निसिंग, करनाल दिनांक 17.5.01 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा जगदीश के ब्यान पर उसकी पुत्री सरोज को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज मांगने बारे दर्ज किया गया।	मुकदमा में दिनांक 20.9.03 को अखराज रिपोर्ट लिखी गई आखिर में एस० जे०एम०आई०सी० अम्बाला ने दिनांक 16.9.03 को इसे स्वीकार कर लिया है।
15.	610 दिनांक 3.9.98 धारा 364/302 भा०द०स० थाना सदर करनाल दिनांक 16.10.2000 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा श्री ओमप्रकाश के ब्यान पर संजीव कुमार की हत्या के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
16.	448 दिनांक 12.4.97 धारा 304-बी/34 भा०द०स० थाना शहर करनाल।	यह मुकदमा राकेश्वर जैन के ब्यान पर मोनिका की दहेज के लिए हत्या करने के कारण दर्ज किया गया।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनुसार ए० एस०जे० अम्बाला में मामला आखिरी

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
			फैसले के लिए लम्बित है अगली तारीख 24.3.07 लगी है।
मेवात			
17.	370 दिनांक 21.10.04 धारा 376 भा०द०स० थाना पुन्हाना।	यह मुकदमा यदा के ब्यान पर उसके साथ बलात्कार करने पर दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
रिवाड़ी			
18.	302 दिनांक 17.9.02 धारा 407 भा०द०स० थाना शहर रिवाड़ी दिनांक 25.1.05 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा अनूप खन्ना के ब्यान पर उससे बिजली का सामान लूटने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
19.	281 दिनांक 20.11.2000 नधे 342 / 302 / 34 भा०द०स० थाना धारूहेड़ा दिनांक 14.3.2002 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा सारीका के कथन पर उसकी माता व बहन को पुलिस द्वारा जहर देने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा में अनुसंधान ट्राबल पर है।
नारनौल			
20.	233 दिनांक 16.9.93 धारा 364 भा०द०स० थाना कनीना दिनांक 10.2.2000 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा बिसम्बर दयाल के कथन पर बीर सिंह की हत्या करने की नियत से अपहरण के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनुसार मामला में सभी दोषी अदालत से बरी हो चुके हैं।
फरीदाबाद			
21.	968 दिनांक 2.12.2005 धारा 364 भा०द०स० थाना सैन्ट्रल फरीदाबाद।	इस मुकदमा में श्रीमती कुसुम गोयल के कथन पर उसके पति की हत्या करने की नियत से अपहरण करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।

1	2	3	4
22.	829 दिनांक 11.9.96 धारा 302/34 भा०द०स० थाना एन०आई०टी०, फरीदाबाद।	यह मुकदमा कमल नैन अरोड़ा के कथन पर उसके लड़के भारत भूषण की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
23.	105 दिनांक 5.2.1997 धारा 365 भा०द०स० थाना शहर बल्लभगढ़।	यह मुकदमा धर्मबीर के कथन पर उसके भाई रामजी का अपहरण के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा में अदमपता रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लिखी।
24.	573 दिनांक 8.5.1997 धारा 420/467/468/471/ 120-बी भा०द०स० थाना सराय ख्वाजा, फरीदाबाद।	यह मुकदमा श्रीमती पम्मी उर्फ प्रीती के कथन पर उसके पति की मृत्यु के बाद उसके साथ उसके पति की सम्पत्ति में धोखाधड़ी के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनुसार मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने स्टे आर्डर दे दिया है।
25.	753 दिनांक 20.12.97 धारा 304-बी/498-ए/ 406 भा०द०स० थाना सराय ख्वाजा, फरीदाबाद।	यह मुकदमा में श्रीमती सुमन के कथन पर उसकी लड़की राजी शर्मा की दहेज के लिए हत्या करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
26.	1153 दिनांक 7.11.97 धारा 365/506/395/448 भा०द०स० थाना एन० आई०टी०, फरीदाबाद।	यह मुकदमा ममता अरोड़ा के कथन पर उसका अपहरण तथा नकदी लूटने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
हिसार			
27.	76 दिनांक 1.3.2003 धारा 148/149/342/427/ 506 भा०द०स० व शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन हिसार दिनांक 7.8.2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा श्री ओमप्रकाश के कथन पर दोषियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	अनुसंधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास मुकदमा ट्रायल में है।
28.	685 दिनांक 24.10.2002 धारा 302/307/34/120-बी	यह मुकदमा श्री अरीदामन के कथन पर राम चन्द्र छत्तरपति की	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
	भा०द०स० व शस्त्र अधि-नियम शहर सिरसा दिनांक 9.12.2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	हत्या करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	पर है।
	भिवानी		
29.	271 दिनांक 19.8.96 धारा 304-बी/201/34 भा०द०स० थाना सदर भिवानी दिनांक 6.2.97 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा ईमरात सिंह के कथन पर उसकी पुत्री की राजकरन की हत्या करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
	जीन्द		
30.	268 दिनांक 22.9.96 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर नरवाना दिनांक 31.3.2000 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा जसवन्त कौर के कथन पर उसके पति की पुलिस हिरासत में मौत के कारण दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
31.	77 दिनांक 3.4.2001 धारा 302 भा०द०स० थाना शहर जीन्द।	यह मुकदमा रामफल के कथन पर उसके पुत्रों की हत्या करने के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मामला में अनुसंधान आखिरी दौर में है।
	अम्बाला		
32.	जांच क्रमांक पी.इ.सी.एच.जी. 2005 ए 0002 दिनांक 25.8.2005 जो श्री रवि आजाद भा.पु.से. और दो पुलिस उप-अधीक्षकों के विरूद्ध दर्ज की गई।	वर्ष 2003-04 के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस में सिपाहियों की भर्ती बारे दर्ज किया गया।	मामला अनुसंधाना-धीन है।

अनुलग्नक-II

राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिए गए मामलों की सूची

क्र०सं०	मुकदमा नं० दिनांक, धारा व थाना	संक्षिप्त तथ्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	410 दिनांक 21.9.05 धारा 147/149/323/506/427/436/332/353/307/395/328 भा०द०स० व पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1934 सैक्टर 5 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा श्री कुलदीप सिंह ड्राईवर सी०टी०यू० के कथन पर सी०टी०यू० बस पर हमला व ड्राईवर व कण्डक्टर को धमकी देने बारे दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
2.	157 दिनांक 27.8.2005 धारा 148/149/323/302 भा०द०स० गोहाना दिनांक 11.9.2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा अशोक कुमार पुत्र दयानंद जाट के कथन पर गोहाना काण्ड के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
3.	159 दिनांक 31.8.2005 धारा 148/149/109/435/436/427/307/120-बी भा०द०स० थाना एवं 3(1) 5 और 15 अनुसूचित जाति एवं जन जाति अधिनियम थाना शहर गोहाना, सोनीपत दिनांक 11.9.2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा उप निरीक्षक सतपाल सिंह प्रबन्धक थाना शहर गोहाना के कथन पर गोहाना के काण्ड के सम्बन्ध में अंकित किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान प्रगति पर है।
4.	140 दिनांक 5.5.01 धारा 302 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर बहादुरगढ़ दिनांक 18.2.02 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	यह मुकदमा संजय कुमार के कथन पर राजेश की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मुकदमा का अनुसंधान पुन: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय पुलिस ने 8.2.02 को मामला रद्द करने की रिपोर्ट दी।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
5.	राज्य सरकार सहमति पर अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 12.7.2006 को छापामारी करना।	यह छापामारी मैसर्ज डी. के. लैबोरैटरी एस०जी०सी०-3, औद्योगिक क्षेत्र मुरथल सोनीपत में नशीली दवाईयां बनाने बारे की गई।	मामला अनुसंधाना-धीन है।
6.	273 दिनांक 2.9.2005 थाना सोहना जिला गुड़गाँवा।	यह मामला नन्द किशोर की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मामला विचाराधीन है।
7.	417 दिनांक 20.8.2005 दिनांक 19.6.2006 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	अवैध टेलीफोन ऐक्सचैंज गिरोह के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	मामला विचाराधीन है।
8.	313 दिनांक 8.9.2002 थाना रानियां, जिला सिरसा दिनांक 14.2.2007 को भेजा गया।	गाँव केशोपुर में दो लड़कियों व एक महिला के साथ बलात्कार व हत्या के सम्बन्ध में दर्ज किया गया।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला का अनुसंधान करने के लिए मना कर दिया।
9.	चौकसी ब्यूरो द्वारा जाँच दिनांक 27.8.2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	वर्ष 2001 से 2005 में डॉ० बी.एस. दहिया महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, श्रीमती विमला नैन संयुक्त निदेशक और अन्य राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित धन का दुरुपयोग की जाँच करने बारे।	मामला अनुसंधाना-धीन है।
10.	चौकसी ब्यूरो जाँच क्रमांक 6 दिनांक 13.6.2005 चण्डीगढ़ दिनांक 31.12.05 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया।	श्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके परिवार द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के बारे जाँच।	मामला अनुसंधाना-धीन है।
11.	312 दिनांक 4.6.02 धारा 406/409/467/477/120-बी भा०द०स० एवं 13(1) (डी) भ्रष्टाचार अधिनियम सैक्टर-17, चण्डीगढ़ विरूद्ध श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से.।	स्थानीय बाजार से पाठ्यक्रम की पुस्तकें छपवाने के लिए गलत ढंग से रुपये 98,15,895 का दुरुपयोग।	मामला अनुसंधाना-धीन है।

1	2	3	4
12.	श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से. के विरूद्ध मुकदमा नं० 293 दिनांक 30.6.2003 धारा 13(1)/(डी) भ्रष्टाचार अधिनियम थाना सैक्टर-17, चण्डीगढ़।	सरकारी गाड़ी और मोबाईल फोन का गलत ढंग से प्रयोग करके रुपये 2,30,634 सरकारी धन का दुरुपयोग।	मामला अनुसंधाना-धीन है।
13.	श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से. के खिलाफ जाँच संख्या 31 दिनांक 10.8.2001, चण्डीगढ़।	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा कार्यालय के तहत 36 भर्तियों में अनियमितता करने बारे।	मुकदमा अनुसंधाना-धीन है।
14.	श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से. के खिलाफ जाँच संख्या 16 दिनांक 3.9.2002, चण्डीगढ़।	आय से अधिक सम्पत्ति रखने बारे।	मुकदमा अनुसंधाना-धीन है।
15.	श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से. के खिलाफ जाँच संख्या 38 दिनांक 20.2.2001, चण्डीगढ़।	खरीद-फरोख्त में वित्तीय अनिय-मितता।	मुकदमा अनुसंधाना-धीन है।
16.	13 दिनांक 15.12.1998 धारा 406/409/467/471/ 120-बी भा०द०स० व 13 13(1)(डी) भ्रष्टाचार अधिनियम थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गाँवा।	राजस्व विभाग द्वारा धन का गबन।	मुकदमा अनुसंधाना-धीन है।

Special Girdawari for Loss of Crops

*704. **Shri Tejendera Pal Singh Mann :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) up to what time the special Girdawari is likely to be completed regarding damage to Wheat, Sarson and other crops due to recent un-precedented rains and hailstorm in Kaithal district; and

(b) whether the Government has assessed the loss caused to the crops and by what time the compensation for loss of crops is likely to be distributed to the farmers ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) कैथल जिला में फरवरी, 2007 में हुए फसलों के नुकसान के बारे में स्पैशल गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है और मार्च, 2007 में हुए नुकसान के बारे में स्पैशल गिरदावरी की जा रही है तथा यह 5 अप्रैल, 2007 तक पूरी की जाने की सम्भावना है।

(ख) फरवरी, 2007 में हुए फसलों के नुकसान का सरकार ने मूल्यांकन कर लिया है और देय मुआवजा शीघ्र दिए जाने की सम्भावना है। मार्च, 2007 में हुए नुकसान का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

Construction of Multistories Building

***625. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is fact that the permission of construction of multi-storey buildings/farm houses/group housing has been granted by the Government on the Faridabad-Gurgaon road in Gurgoan District, in spite of prohibition of such activities by the Government of India; and

(b) if so, the details of steps taken against the guilty persons ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

Extension of Jakhauli Purchase Centre

***705. Shri Tejendera Pal Singh Mann :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the purchase centre in Village Jakhauli in Kaithal district; and

(b) whether the Village Panchayat has offered any extra land for extension of above said purchase centre; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

कृषि मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) ग्राम पंचायत ने कोई भी अतिरिक्त भूमि खरीद केन्द्र के विस्तार के लिए प्रदान नहीं की है। फिर भी खरीद केन्द्र में उपलब्ध जमीन पर अतिरिक्त फड़ों के निर्माण की योजना है। इस कार्य के 30-09-2007 तक पूरा होने की सम्भावना है।

सैक्रेड हार्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-26, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत करना।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि देश की अगली पीढ़ी सैक्रेड हार्ट स्कूल, सैक्टर-26, चण्डीगढ़ की छात्राएं सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आज से बहुत साल पहले डबवाली काण्ड हुआ था। उसकी जांच करने के लिए रिटायर्ड जजों को नौमिनेट किया गया था। लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। उनको दो रैस्ट हाउस दिए हुए हैं। एक हिसार वाला कैनाल रैस्ट हाउस उनके कब्जे में है और यदि मेरी जानकारी ठीक है तो डबवाली रैस्ट हाउस भी उन्हीं के कब्जे में है। अध्यक्ष महोदय, उस काण्ड से प्रभावित लोगों को जो पैसा मुआवजे के तौर पर दिया जाना है उससे ज्यादा पैसा तो जज द्वारा इन्क्वायरी करने में ही खत्म होने लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि जो करप्शन करते हैं उन्हें खम्बों पर लटका दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जूडीशियरी को भी इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यह दो महीने का काम था और आज दस साल से भी ज्यादा समय डबवाली काण्ड को हुए हो गया है लेकिन आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि दोबारा से इसकी ऐक्सटैंशन नहीं दी जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

राज्य में नगर निकायों तथा जन स्वास्थ्य विभाग के वाटर टैंकों में प्रदूषित तत्वों का अत्यधिक स्तर होने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention notice from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding presence of extreme levels of pollutants in the Water Tanks of the Municipal Bodies and Public Health Department in the State. I admit it. Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान राज्य में नगर निकायों तथा जन स्वास्थ्य विभाग के पानी के टैंकों में प्रदूषित तत्वों का अत्यधिक स्तर होने संबंधी एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। 6 मार्च, 2007 के समाचार-पत्र 'दि ट्रिब्यून' में यह बताया गया है कि दिसम्बर में, टैंक सफाई सेवा देने वाली मुम्बई की एक कम्पनी, टैंकलीन जिसे हरियाणा में काम सौंपा गया है, कम्पनी ने गुड़गांव के मुख्य टैंक से 20 ट्रक लदान के लगभग कीचड़ निकाला था जब इसे 12 वर्षों की अवधि के बाद साफ किया गया था। टैंक में कृन्तक प्राणियों (रोडेंट) तथा पक्षियों के अतिरिक्त, कई फुट ऊंची ब्लीचिंग पाऊडर की परतें पाई गई थी। उन्होंने बताया है कि यह एक बहुत ही गम्भीर चिंता का विषय है जिससे

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
राज्य के लोगों का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रभावित होती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, मैं सरकार से पीने के पानी के टैंकों में उक्त वर्णित प्रदुषित तत्वों की इस कदर होने की वास्तविक स्थिति तथा उसके कारणों के संबंध में तथा राज्य में पानी के टैंकों को साफ करने के लिये की गई या की जाने वाली कार्यवाही तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध, जो इस आपराधिक लापरवाही के लिये उत्तरदायी हैं, जोकि एक मानवता के प्रति अपराध है, की गई कार्यवाही के संबंध में भी इस महान सदन को सूचित करने का अनुरोध करता हूं।

Mr. Speaker : Now, the Minister will make a statement.

वक्तव्य—

परिवहन मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : दिनांक 6.3.2007 को 'दी ट्रिब्यून' में शीर्षक, "Dead Animals, Slush in Treated Water Tanks" से प्रकाशित खबर में यह बताया गया है कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा भारतीय रेल के पानी के टैंकों की सफाई का कार्य मुम्बई आधारित फर्म टैंकलीन को दिया गया है और नगरपालिकाओं तथा जन स्वास्थ्य विभाग के पानी के टैंकों में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित करने वाले तत्व पाये गये। दिसम्बर मास में गुड़गांव के मुख्य पानी के टैंक से, जिसकी सफाई 12 वर्ष पश्चात की गई 20 ट्रक लदान कीचड़ निकाला गया। इस कार्य के लिये 8 दिनों तक एक क्रेन को लगाया गया। टैंकों में कृन्तक प्राणियों तथा पक्षियों के अतिरिक्त कई फुट ऊंची ब्लीचिंग पाउडर की परत (पानी साफ करने के लिए पानी में मिलाया जाता है) पाई गई। हरियाणा के ज्यादातर शहरों के पानी के टैंकों में कम से कम दो फुट ऊंची ब्लीचिंग पाउडर की परत टैंकों में पाई गई, जबकि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कुछ शहरों में पानी के टैंकों में ब्लीचिंग पाउडर की 3 फुट से ऊंची पर्त पाई गई।

उक्त खबर के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह खबर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा भारतीय रेल के बारे में सामान्यत: थी। हरियाणा में यह विशेषतौर पर सिर्फ एक शहर गुड़गांव से सम्बन्धित है। गुड़गांव शहर के 16 भूमिगत टैंकों की सफाई का कार्य दिसम्बर 2006 में मै० फोन्टस वाटर लि० को सौंपा गया जो कि मैसर्ज टैंकलीन का एक उपक्रम है। अधीक्षक अभियन्ता गुड़गांव की रिपोर्ट अनुसार किसी भी टैंक में प्रदूषित करने वाले जैविक तत्व जैसे की छिपकली, कबूतर और काकरोज आदि नहीं पाये गये। जबकि 3 टैंकों नामत: सिविल लाइन रोड, न्यू कालोनी तथा गुड़गांव गांव में स्थित टैंकों में निर्जीव ठोस तत्व (इनऑरगैनिक) जैसे ब्लीचिंग पाउडर का बकाया ठोस तत्व तथा मिट्टी के अवशेष 15 से०मी० से 17 से०मी० की गहराई तक पाए गये जिनका कुल घनत्व 90 क्यूबिक मीटर था। शेष 13 टैंकों जिसकी सफाई उक्त फर्म द्वारा की गई में जो कचरा निकला उसमें निर्जीव ठोस तत्व (इनऑरगैनिक) भी बहुत कम मात्रा में पाए गये। इसलिए यह सरासर गलत है कि गुड़गांव के टैंक में कई फुट ऊँची ब्लीचिंग पाउडर की परतें पाई गई। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि टैंक के तल पर बैठे निर्जीव ठोस तत्व (इनऑरगैनिक) पीने के साफ पानी में नहीं घुलते तथा न ही ये सेहत के लिए हानिकारक हैं। अत: समाचार-पत्र में छपी खबर सत्यता पर आधारित नहीं है।

हरियाणा राज्य गांवों तथा शहरों में पीने के लिए स्वच्छ पानी देने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमिगत स्वच्छ जल टैंकों की सफाई नियमित व क्रमशः की जाती रहती है। छोटी क्षमता वाले स्वच्छ जल टैंकों की सफाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवश्यकतानुसार की जाती है जबकि मौजूदा सरकार आने के बाद ज्यादा क्षमता वाले टैंकों की सफाई विभाग द्वारा मजदूरों को लगा कर या प्राइवेट फर्मों से पहली बार करवाई जा रही है। फतेहाबाद, हिसार, टोहाना, पलवल, डबवाली, सिरसा, गुड़गांव, अम्बाला, सोनीपत तथा कालका में बड़ी क्षमता वाले टैंकों की सफाई पहली बार प्राइवेट फर्मों से करवाई गई। जिसमें से चार शहरों गुड़गांव, पलवल, कालका एवं अम्बाला में टैंक मैसर्ज टैंकलीन के उपक्रम से साफ करवाए गए हैं तथा बाकी 6 शहरों में टैंक दूसरी फर्मों से साफ करवाए गए हैं। अतः 75 शहरों में से मैसर्ज टैंकलीन, जिसकी समाचार-पत्र में चर्चा है, द्वारा सिर्फ चार शहरों में किए गये कार्य को पूरे राज्य के लिए सामान्यतः मापदण्ड नहीं माना जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा टैंकों की सफाई के कार्य को विशेष महत्व दिया गया है। शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित कदम उठाये गए और उठाये जा रहे हैं :

1. स्वच्छ जल टैंक में ठोस तत्व जमा होने का कारण मुख्यतः पेयजल की क्लोरिनेशन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग है। इससे बचने के लिए विभाग ने पहली बार हरियाणा में पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर ट्विन ऑक्साइड नाम का नया मिश्रण प्रयोग करना शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 41 वर्ष से हम केवल ब्लीचिंग पाउडर क्लोरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। ट्विन ऑक्साइड इसकी एक नई रिप्लेसमैंट आई है लेकिन यह उससे काफी मंहगी है। हमने यह सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और सदन के नेता ने यह निर्णय लिया है कि लोगों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। क्लोरिनेशन के स्थान पर ट्विन ऑक्साइड का इस्तेमाल हमने शुरू किया है। ट्विन ऑक्साइड की एक और विशेषता यह भी है कि ट्विन ऑक्साइड पानी में घुल जाता है और नीचे नहीं बैठता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव 24 घण्टे तक रहता है जबकि ब्लीचिंग पाउडर का प्रभाव 6-8 घण्टे तक रहता है। इस समय 28 शहरों में ट्विन ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जा रहा है तथा अन्य शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग बन्द करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

2. चालू वित्त वर्ष में 623 टैंकों की सफाई की जा चुकी है तथा 178 टैंकों की सफाई का कार्य प्रगति पर है।

3. शेष टैंकों की सफाई का कार्य अगले वित्त वर्ष 2007-2008 में किया जाएगा तथा इस कार्य को नियमित करने के लिए एक समयबद्ध प्रोग्राम बनाया जाएगा।

4. विभाग द्वारा राज्य के 10 शहरों में टैंकों की सफाई का कार्य प्राइवेट फर्मों से करवाया गया। इससे टैंकों की सफाई का कार्य समय पर हो सका।

5. वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 में ग्रामीण तथा शहरी सेवाओं के रख-रखाव के लिए क्रमशः 4700 लाख तथा 5225 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

6. पहले गांवों में पीने का पानी मुख्यत: सार्वजनिक नल द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था जिससे काफी मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता था तथा दूषित भी होता था। सरकार द्वारा 340.00 करोड़ की लागत की नई योजना ''इन्दिरा गांधी पेयजल योजना'' के नाम से शुरू की है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के 30 लाख घरों में पानी के कनैक्शन दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के द्वारा शुरू की गई यह योजना सारे देश में अनूठी और शानदार योजना है। अध्यक्ष महोदय, सारे देश में कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है जिसमें यह योजना लागू की गई हो। हमारे प्रदेश ने जो इस देश का एक छोटा प्रान्त है इस प्रकार की क्रान्तिकारी पेयजल योजना बनाई है कि आठ लाख से अधिक अनुसूचित जाति के लोग जो हमारी हरिजन वाल्मीकि दूसरी अनुसूचित जातियों के दूसरे वर्गों के लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें यह निर्देश दिया है कि इस योजना को क्रियान्वित करना है और हम इस योजना को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के पीने के पानी के मुफ्त कनैक्शन दिए जाएंगे और 500 रुपये गांवों में और 1000 रुपये शहरों में जो जन-स्वास्थ्य के चार्जिज थे वह हमने सभी वर्गों के लिए मुआफ किए हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा हर घर के अन्दर 200 लीटर कैपेसिटी की पीने के पानी की टंकी सभी अनुसूचित जातियों के 8 लाख परिवारों को मुफ्त दी जाएगी और उसके अन्दर बॉल और फैरूल भी लगा कर देंगे और एक टूटी भी फ्री देंगे। इसके लिए जो पाइप लगेगा उसका सारा खर्च भी सरकार वहन करेगी (इस समय मेजें थपथपाई गईं) स्पीकर सर, जब यह स्कीम अगले तीन साल में 30 लाख घरों पर लागू होगी तो आज जो हम 340 करोड़ रुपये खर्च की बात कह रहे हैं शायद 800 करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च करने होंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा हमने यह भी निर्णय किया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के घरों में पानी की जो टंकी है उसको रखने के लिए प्रौपर जगह नहीं है इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और हमने यह निर्णय किया है कि हम इसके लिए तीन से साढ़े तीन फुट ऊंचा ईंट और सीमैंट का प्लेटफार्म भी सरकारी खर्च पर बना कर देंगे और आठ लाख परिवारों के हर घर में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। स्पीकर सर, सदन में यह बताते हुए हमें खुशी है कि सदन के माननीय नेता के निर्देश पर हमने यह किया है जिससे प्रत्येक घर पर साढ़े तीन हजार रुपये से अधिक राशि का सरकार का खर्च आएगा और हर घर से पानी के कनैक्शन के लिए 500 रुपये तथा 1000 रुपये भी छोड़ दिए जाएंगे। सारे देश में हरियाणा प्रदेश को छोड़ कर कहीं भी ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत 15 मि०मी० की 80 लाख मीटर पाइप लाइन, 200 लीटर क्षमता के 8 लाख टैंक जिन पर एक नल होगा, का कार्य किया जाएगा। जी०आई० पाइप्स को जंग लग जाती है जिस के कारण पेयजल को दूषित होने से बचाने के लिए एक मिश्रित पाइप कम्पोजिट पाइप नाम का नया प्रौडक्ट है जिस पर मौसम का असर नहीं होता जो जी०आई० पाइप से काफी मंहगा है। उसको खरीदने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है, का उपयोग घरों में कनैक्शन के लिए किया जाएगा। इससे पानी को दूषित होने से बचाने व पानी को व्यर्थ होने से बचाने के प्रयास होंगे जिससे पानी की बचत की दिशा में दूरगामी परिणाम होंगे।

7. जिला स्तर पर 19 प्रयोगशालाएं पानी की जांच के लिए हैं जिनमें रासायनिक तथा बैक्टीरियोलॉजिकल टैस्ट करने की सुविधा है। यह सभी प्रयोगशालाएं पूर्णतया कार्यरत हैं।

8. अध्यक्ष महोदय, 1100 पानी के रासायनिक टैस्ट करने की किट तथा 80000 बैक्टीरियोलॉजिकल स्ट्रिप खरीदने के लिए चालू साल में 127 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की महत्ता जानने बारे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 12 जिलों में सरकार ने जिला स्तरीय कार्यशालाएं लगाई हैं।

9. स्पीकर सर, पानी की गुणवत्ता पर निगरानी तथा चौकसी रखने का कार्य करने के लिए सैन्ट्रल सोयल सैलिनिटि रिसर्च इन्स्टीट्यूट करनाल को स्टेट रैफरल इन्स्टीट्यूट नियुक्त किया गया है।

10. स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर भी पानी की गुणवत्ता पर निगरानी की जा रही है।

11. अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो कि पानी की गुणवत्ता के मापदंड का पालन नहीं करते, के विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में शाहबाद में अपने कार्य को ठीक ढंग से न करने के कारण एक उपमण्डल अभियंता तथा 3 कनिष्ठ अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया था। एक अन्य केस में एक कार्यकारी अभियन्ता, एक उपमण्डल अभियन्ता व एक कनिष्ठ अभिन्ता को गुड़गांव में पेयजल को क्लोरिनेशन न करने के दोष में आरोप-पत्र जारी किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मैसर्ज टैंकलीन के उपक्रम ने 75 शहरों में से केवल 4 शहरों गुड़गांव (16 टैंक), पलवल (1 टैंक), अम्बाला (1 टैंक) तथा कालका (1 टैंक) में टैंक साफ करने का कार्य किया जबकि समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार यह दर्शाता है कि उक्त फर्म को हरियाणा के सभी टैंकों की सफाई का कार्य दिया गया है। यह तथ्यों से अलग है कि हरियाणा में टैंकों की सफाई के दौरान ब्लीचिंग पाउडर की 2 फुट ऊंची पर्त पाई गई। अतः समाचार में पूर्णतया सत्यता नहीं है क्योंकि स्थिति बिल्कुल गम्भीर नहीं है तथा हमने जो कदम उठाए हैं वे कारगर हैं और हम स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करने में कामयाब होंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बड़े ही विस्तार से सदन में यह बताया कि किस तरह से अखबार में खबर आई थी और इनके विभाग ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि ट्विन ऑक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर की जगह करेंगे। स्पीकर सर, कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा कि हरियाणा में जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर है जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा है और जो सेहत पर असर करती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर को इसलिए डाला जाता है ताकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। कहीं ब्लीचिंग पाउडर न डालने की वजह से लोगों को दोबारा से प्रोब्लम तो नहीं शुरू हो जाएगी।

स्पीकर सर, दूसरे, सरकार ने पानी के टैस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लैब्ज बनाई हैं। स्पीकर सर, पानी का जो मुद्दा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लोग स्थानीय पानी सही न होने की वजह से बोतल बंद पानी पीने को मजबूर हैं। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये पानी को टैस्ट करने के लिए मोबाइल वैन का बन्दोबस्त करेंगे ताकि वे मोबाइल

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

वैन मौहल्लों और गलियों में जाकर ही पानी की गुणवत्ता को चैक करके वहीं पर उसका रिजल्ट दे दे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय साथी ने दो प्रश्न किए हैं। स्पीकर सर, क्लोरिनेशन की प्रक्रिया को सब देखते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं तो वह पानी में सफेद-सफेद दिखता है। इसका असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। इवैंचुअली ब्लीचिंग पाउडर सैटल हो जाता है और समय-समय पर टैंक्स को साफ करना पड़ता है। अगर टैंक की सफाई न की जाए तो वह पानी में जम भी जाता है। धीरे-धीरे जैसे तकनीक ने तरक्की की तो एक बेहतर चीज आयी है। स्पीकर सर, यह भी ब्लीचिंग पाउडर की तरह ही प्यूरीफिकेशन का काम करती है इसलिए इनका जो फ्लोराइड के बारे में ऐप्रीहैन्शन है, मुझे नहीं लगता कि वह सही है क्योंकि ट्विन ऑक्साइड भी पूरी तरह से इफैक्टिव पाया गया है इसलिए वह ज्यादा मंहगा भी है, 24 घंटे तक उसका असर भी रहता है। स्पीकर सर, देश में बहुत कम प्रान्त ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने प्रान्त के लोगों की सेहत के लिए कई गुणा मंहगा पदार्थ इस्तेमाल करेंगे। ट्विन ऑक्साइड का दूसरा फायदा यह है कि इसकी स्मैल भी नहीं आएगी क्योंकि it is odourless and it is also colourless. वह पानी के अंदर नजर नहीं आती है क्योंकि वह पूरी तरह से पानी में घुल जाता है इसलिए सैटल डाउन होने का फिर कोई कारण नहीं है। It does not settle down on the surface that eradicates everything क्योंकि 24 घंटे तक इसका असर रहता है। कई बार क्लीयर वाटर टैंक से पानी जाने में समय लग जाता है अगर 6 घंटे तक पानी आपके टैंक के अंदर रह गया या ऐक्चुअल कंजम्शन से पहले एक से दूसरे टैंक के अंदर चला गया तो आपने जो क्लोरिनेशन की है वह जीरो हो जाती है। इसलिए 24 घंटे का जो समय ट्विन ऑक्साइड का है उसको हमारे विशेषज्ञों द्वारा बेहतर माना गया है इसलिए यह भी वह सारा काम कर सकती है जो ब्लीचिंग पाउडर करता है बल्कि यह तो उससे भी बेहतर है। Twin Oxide is far more effective solution than the bleaching powder. स्पीकर सर, सैम्पल्ज के बारे में भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। हम इस बारे में काफी सजग हैं। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि तीन प्रकार के सैम्पल्ज हम लेते हैं। एक जो बैक्टीरिया से औरियैंटेड हैं जिसमें वाटर कंटैमिनेशन की वजह से जाते हैं, दूसरा है, अर्थोटोलोडोन यह जहां ब्लीचिंग पाउडर का सैम्पल फेल होता है, उससे रिलेटेड है और तीसरा कैमीकल टैस्ट हैं। एक्सेस फ्लोराइड या टोटल डिसौल्व सौलिड जो हों अगर वह परमिटेड स्ट्रैंग्थ से ज्यादा होंगी, उनके लिए है। इस तरह से तीन तरह के सैम्पल्ज हम लेते हैं। वर्ष 2006-07 के यदि आप आंकड़े देखें तो हमने बैक्टीरिया के लिए 16639 सैम्पल्ज एक साल में लिए, ब्लीचिंग पाउडर की बैरिस्ट्री जानने के लिए 3 लाख 7 हजार 6 सैम्पल्ज लिए और कैमीकल टैस्ट के लिए 3270 सैम्पल्ज लिए। स्पीकर सर, इनमें से जो फेल हुए हैं उन पर कार्यवाही की गई है। स्पीकर सर, जहां तक मोबाइल लैबोरेट्रीज का प्रश्न है यह अभी तक सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मेरी एक सप्लीमैंट्री और है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपकी दो सप्लीमैंट्री हो गई हैं। Only two supplementaries can be asked on a Calling Attention notice. आपकी सप्लीमैंट्री का पूरा रिप्लाई आ गया है। अब आप बैठें।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 30.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 22nd March, 2007.

Sir, I also beg to move —

> That the items of business which were to be transacted on Friday, the 23rd March, 2007 as per report of the Business Advisory Committee adopted in the House will now be transacted on Thursday, the 22nd March, 2007 from items No. 2 to 8 in the said Report with the sense of the House.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 22nd March, 2007.

And also

> That the items of business which were to be transacted on Friday, the 23rd March, 2007 as per report of the Business Advisory Committee adopted in the House will now be transacted on Thursday the 22nd March, 2007 from items No. 2 to 8 in the said Report with the sense of the House.

Mr. Speaker : Question is —

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 22nd March, 2007.

And also

> That the items of business which were to be transacted on Friday, the 23rd March, 2007 as per report of the Business Advisory Committee adopted in the House will now be transacted on Thursday, the 22nd March, 2007 from items No. 2 to 8 in the said Report with the sense of the House.

The motion was carried.

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अगला बिजनेस टेकअप करने से पहले हाउस के सामने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा कि खासतौर पर पूरे शहरों में चाहे वह फरीदाबाद हो या और शहर हों उनमें बहुत सारा हाउस टैक्स पैंडिंग है। बहुत सारी पैनल्टी और इंट्रस्ट लोगों पर लगा हुआ है। वन टाइम सैटलमैंट की हम इसमें अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना हाउस टैक्स तीन महीने के अंदर जमा करा देगा तो उसका सारा इंट्रस्ट और उसकी सारी पैनल्टी माफ कर दी जाएगी, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। इसी प्रकार से शहरों में वाटर चार्जेज और सीवरेज चार्जेज की बहुत समस्या है, इसमें भी हमने फैसला किया है कि वन टाइम सैटलमैंट की सुविधा देंगे। पैनल्टी का भी बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है और सरचार्ज का भी 25 करोड़ 72 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है। इस बारे में भी हमने फैसला किया है कि तीन महीने के अंदर-अंदर जो व्यक्ति राशि जमा करा देगा उसकी सारी पैनल्टी वेव ऑफ कर दी जाएगी। इसी प्रकार से सरकार ने जितनी भी को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लगाई हैं ये प्रदेश के किसानों की मदद के लिए लगाई हैं। इस समय हमारी दो शुगर मिलों को छोड़कर बाकी सब भारी नुकसान में चल रही हैं। इन शुगर मिलों ने सरकार का जो कर्ज ले रखा है वह भी वे वापस दे पा रही हैं। 365 करोड़ रुपया सरकार का जो इन मिलों की तरफ कर्ज है उस राशि को सरकार ने शेयर कैपिटल में बदलने का फैसला किया है। इसी प्रकार से 153 करोड़ रुपये की जो ब्याज की राशि बनती है उसको भी माफ करने का फैसला किया है ताकि किसानों की समय पर पेमेन्ट हो जाए। पहले एक लाई माई की स्कीम चलती थी यह स्कीम 1995 के बाद बंद हो गई थी। इस लाई माई स्कीम के तहत छोटे-छोटे लोन गरीब आदमियों के लिए दिए जाते थे। जिन गरीब लोगों ने इस स्कीम के तहत लोन लिया हुआ था उसका इंट्रस्ट और पीनल इंट्रस्ट बहुत खड़ा है। लाई माई स्कीम के तहत कुल 68684 लोगों ने लोन लिया था। जिसमें से 56680 लोगों ने लाई स्कीम के तहत लोन ले रखा था। माई स्कीम में 12004 लोगों ने लोन ले रखा था। उनके ऊपर आज के दिन 48 करोड़ इंट्रस्ट है और 8 करोड़ रुपया पीनल इंट्रस्ट है, यह लाई में है। माई स्कीम में 8 करोड़ 31 हजार 765 रुपये इंट्रस्ट है और 1 करोड़ 75 लाख 90 हजार 777 रुपया उसके ऊपर पीनल इंट्रस्ट है। स्पीकर साहब, यह लोन बहुत गरीब आदमी लेते हैं इसलिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि जो व्यक्ति 6 महीने में लोन जमा करा देगा उसका इंट्रस्ट और पीनल इंट्रस्ट दोनों माफ कर दिए जाएंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

विधान कार्य—

1. **दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2007**

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into

consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

11.00 बजे

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ जो सरकार ने यह एक अच्छी शुरुआत की है। विशेषतौर से जिस तरह से शहरों के विकास के लिए हरियाणा अर्बन डिवलैपमैंट अथोरिटी स्थापित की हुई है उसी तर्ज पर देहातों के विकास के लिए भी हरियाणा रूरल डिवलैपमैंट अथोरिटी का प्रावधान इस बिल के अन्दर किया है यह बहुत ही उमदा चीज है। इससे हम देहात की प्लानिंग और तरीके से विकास कर पाएंगे। इसके लिए जो भी अमैनिटीज होनी चाहिएं वे सारी स्थापित की जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूँगा। इसमें जो नया एरिया शामिल किया जाएगा जो रूरल अथोरिटी के तहत आएगा। जो लाल डोरे के अन्दर है और लाल डोरे के साथ लगती हुई जमीन है उसके बारे में तो इस बिल में प्रोविजन किया गया है कि इसके बारे में सारी प्लानिंग ठीक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रोविजन एक्ट में है वे इसको बनायेगी। लेकिन जो पुराने एरिया हैं। क्योंकि प्रत्येक गाँव में इस बारे में बड़ी भारी समस्या हमेशा रहती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सभी 6000 गाँवों में जो जिस जमीन का मालिक है उन सभी गाँवों के बाकायदा नक्शे में एरिया है। उसके लिए यह एरिया ईयरमार्क किया जाए और रजिस्टर में इस बारे में रिकॉर्ड हो क्योंकि इस बारे में ज्यादातर लिटीगेशन होती हैं कोई कहता है कि मेरी जमीन 200 गज है और कोई कहता है कि 199 गज है। इस किस्म के बहुत झगड़े रहते हैं। जो पुरानी आबादी गाँवों की है उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि इसकी यदि हम ठीक ढंग से तरतीब में न ले पाये तो नए एरिया हैं जो तलब किया जायेगा उसकी तरतीब ठीक नहीं बनेगी। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि अमैनिटीज प्रोवाईड की जाएंगी। इसमें अमैनिटीज के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि कौन-कौनसी अमैनिटीज प्रोवाईड की जाएंगी। उनमें रोड्ज हैं लेकिन स्ट्रीट्स का लफ्ज नहीं डाला हुआ है क्योंकि रोड्ज की डैफिनेशन अलग है। परन्तु हर गाँव में स्ट्रीट होती हैं जो कि विद इन आबादी देह में रोड़ नहीं होती सिर्फ एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने के लिए रोड्ज होती हैं। इसलिए मैं सदन से गुजारिश करूँगा कि इसमें अमैनिटीज की डैफिनेशन में स्ट्रीट शब्द भी शामिल किया जाए। इसमें धारा 251 के तहत इस एक्ट में यह प्रोविजन किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन को अपनी आबादी के मकान को या प्लाट को फ्रेगमैंटेशन में बेचेगा, हिस्सों में बेचेगा तो उस आदमी को एन०ओ०सी० लेनी पड़ेगी। ऐसा करने से एक और बेईमानी की शुरुआत होती है क्योंकि इससे और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी। जैसा कि आज कोई आदमी अगर तहसीलदार से एन०ओ०सी० लेता है तो कितनी समस्याओं का सामना उसे करना होता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो यह फ्रेगमेंटेशन का प्रोविजन किया है इसकी बजाए तो आप रूल बना दें कि 100 गज के प्लॉट को फ्रेगमेंटेशन में नहीं बेचा जाएगा क्योंकि एन०ओ०सी० लेने से वहां पर लोगों का शोषण होगा और नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र चौधरी (पटौदी, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो पंचायती राज बिल सदन में पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी है जैसे हालात उसके हैं कहीं वैसे ही हालात इसमें न बन जाएं। जो नैशनल कन्जूमर डिस्प्यूट्स रिड्रैशल कमीशन है उसने अपनी जो रिपोर्ट हुड्डा के बारे में दी है वह मैं सदन के सामने पढ़ना चाहूँगा उसमें लिखा है कि—

> "The cases sort dismal state of affairs in the office of Haryana Urban Development Authority where consumers, who are allotted of land are subjected to great deal of harassment, who cannot be oblivious to the agony of the consumer visiting the offices of the estate office, HUDA time and again and still the subjected to all sort of illegal gratification or otherwise even after success in redressal agencies we cannot shy away from noticing the fact that rampant corruption in development bodies that in HUDA."

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता था।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के गठन के 41 वर्ष के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का भी शहरों की तर्ज पर विकास करने के लिए हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी बनाई है जिसे शॉर्ट में हरडा कहेंगे। उसके प्रावधान के लिए मौजूदा संशोधन पंचायती राज अमैंडमैंट बिल-2007 की शक्ल में हम लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो शहरों का समग्र विकास हरियाणा प्रान्त में हुआ उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं और इस सदन के 70 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य ग्रामीण अंचल से आते हैं। आज तक शहरों जैसी सुविधाओं से हमारे गाँव वंचित रहे हैं, हमें इस बात को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए when we see the rapid transfer of population from rural areas to urban areas and when we see illegal colonization taking place in urban areas and also when we see problems of providing of amenities in urban

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

areas because of the incoming of population is far for more when the amenities that the Municipal Council can provide. उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि गाँव के लोग भी वे आकांक्षाएं और इच्छाएं रखते हैं और उसी प्रकार का समग्र विकास और सुविधाएं गाँवों में चाहते हैं जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का, उनकी सरकार का और हम सबका यह स्वप्न है कि इस प्रदेश के 6764 गाँवों को भी उसी प्रकार से विकसित किया जाये जैसा इस प्रदेश के सारे शहरों को विकसित किया हुआ है। यही बातें ध्यान में रखकर इस कानूनी संशोधन को लाया गया है। मैं सदन को केवल यही बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह का प्राधिकरण हम बनायेंगे, उसके जो कार्य होंगे उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि जो धारा 229 और 230 के अंदर प्रावधान किया है उससे गाँव में और गाँव के साथ लगते इलाकों में नियमित विकास करवाना इस प्राधिकरण की जिम्मेवारी होगी। गाँव के अन्दर स्वच्छता व उचित आरोग्य सुविधाओं का प्रावधान करना इस प्राधिकरण की जिम्मेवारी होगी। स्पीकर सर, गाँव के लिए विकास जोन है। शहरों के लिए विकास जोन हमेशा हमने सुना है। गाँवों के लिए विकास जोन लाल डोरे के अन्दर भी और लाल डोरे के बाहर भी प्रावधान करने के लिए भी इस प्राधिकरण की जिम्मेवारी होगी। अध्यक्ष महोदय, विकास जोन में क्या-क्या कार्य करने हैं, क्या विकास योजनाएं होंगी यह भी हमारी जिम्मेवारी होगी और इसके अलावा गाँव में उसके साथ लगते क्षेत्र में जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे पंचायतें हैं, चाहे पंचायत समितियाँ हैं, चाहे जिला परिषद् हैं, उनको वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता यह प्राधिकरण देगा। सार्वजनिक मार्गों में जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम की मेजर प्रोब्लम होती है और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जो है यह भी इस प्राधिकरण की जिम्मेवारी होगी। अध्यक्ष महोदय, 3-4 जिज्ञासाएं हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा जाहिर की गई हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। श्री धर्मपाल सिंह मलिक ने कहा कि पुराने जो गाँव हैं उनका भी नक्शा बनाया जाये इस प्राधिकरण के माध्यम से जो बढ़ती आबादी है उनका नक्शा बनाया जायेगा। माननीय सदस्य इस कानूनी संशोधन को पढ़कर शायद यह बात पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय किया है कि गाँवों के अन्दर जितने भी मकान हैं उन सारे मकानों के शहरों की तर्ज पर नक्शे बनवाये जायेंगे। आप भी गाँव के निवासी हैं, आपको तो पता है कि गाँवों में रिहायशी मकानों की मलकियत के बहुत विवाद होते रहते हैं। ऐसे नक्शे बनाने से एकमुश्त इस समस्या का समाधान होगा, पूरे गाँव का नक्शा बनेगा चाहे एग्जिस्टिंग हाउस हैं। मैं मलिक साहब को और सदन को बताना चाहूँगा कि वे सभी मकान इस नक्शे में कवर्ड होंगे। दूसरी जिज्ञासा उन्होंने जाहिर की और कहा कि स्ट्रीट और रोड़ जो हैं ये अलग-अलग चीज हैं और प्राधिकरण सड़कों का रख-रखाव तो करेगा लेकिन गाँवों की गलियाँ नहीं बनायेगा। माननीय सदस्य की यह बात भी सही नहीं है। Sir, roads include streets and I am saying so on the floor of the House यही हमारी मंशा भी है। तीसरा इन्होंने कहा कि धारा 251 के अन्दर एन०ओ०सी० जो है उससे काफी दिक्कत आयेगी अगर आप उसको पूरा देखें तो वह एक डिवैल्पमैंट जोन की बात कर रहे हैं। डिवैल्पमैंट जोन में बाकायदा कहाँ आबादी होगी, कहाँ हस्पताल होंगे, कहाँ पेयजल की व्यवस्था होगी? या तो हम डिवैल्पमैंट जोन को माने और अगर हम डिवैप्लमैंट जोन को वायलेट करेंगे तो हमें इस बात का प्रावधान तो करना ही पड़ेगा कि उस डिवैल्पमैंट जोन को इंफोर्स करें नहीं तो आज जिस प्रकार की haphazard growth हुई है, जो मन मुताबिक ग्रोथ हुई है या हमने जिस प्रकार से मकान बनाये हैं या दूसरी सुविधाएं

बनाई हैं, वे चलती रहेंगी। इसलिए सर, सैक्शन 251 में इस प्रावधान को रखा गया है परन्तु हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वे इस बारे में निर्णय करेंगी और अनुमति देने का अधिकार भी वहीं ग्रामीण स्तर पर होगा, इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। हमारे एक और माननीय सदस्य श्री भूपिन्द्र चौधरी जी ने यह जिज्ञासा जाहिर की कि हुड्डा जो है वह पूरी तरक्की नहीं कर पाया और कहीं यह अथॉरिटी भी न कर पाये। अध्यक्ष महोदय, हालाँकि हुड्डा यहाँ विषय नहीं है और उन्होंने एक कंज्यूमर कोर्ट का कोई फैसला विशेष केस में पढ़ कर सुनाया। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूँगा कि केवल एक केस में एक फैसले का उदाहरण देकर Haryana Urban Development Authority द्वारा किये गये विकास को नकार देना शायद गलत होगा। यह ठीक है कि सिस्टम के अन्दर कमियाँ हो सकती हैं लेकिन हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी ने इस प्रान्त के समग्र विकास में एक बहुत निर्णायक और रचनात्मक भूमिका अदा की है। सर, उसके गठन के बाद ऐसा नहीं है कि कोई कोलोनाईजर आगे नहीं आता था। शहरों के विकास के लिए हमारे पास तो केवल हुड्डा थी। आप पंजाब की हालत देखिये, पंजाब हमारा पड़ौसी प्रान्त है और हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के मुकाबले पंजाब अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी यानी पूडा पंजाब में अपना सही रोल अदा नहीं कर पाई जिसके कारण पंजाब में अनरैगुलेटिड विकास हम से बहुत अधिक है। जहां-जहां हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी है वहां ज्यादा विकास हुआ है। स्पीकर सर, अगर इसमें कहीं पर कोई कमियां हैं तो हम उनको दूर करेंगे और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी देंगे। स्पीकर सर, किसी एक बात के लिए पूरे प्राधिकरण को लपेट लेना और यह कह देना कि पूरा प्राधिकरण ही भ्रष्ट है इसलिए इसे ऐबोलिश कर देना चाहिए शायद यह अनुचित है। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूँगा कि इस बात पर जरूर गौर करें। स्पीकर सर, जहां तक हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी का प्रश्न है, हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य प्रशासक और नौ सरकारी सदस्य हमने इसमें बनाए हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, यदि आप हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी को देखें कि 227 के अन्दर हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के प्रमुख कौन हैं। मैं केवल आपका और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो इसकी एकाउंटेबिलिटी के लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नौ सरकारी सदस्य और नौ गैर-सरकारी सदस्य हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके अन्दर हैं इसलिए इसमें इनकी जो जिज्ञासा है, इनकी जो ऐप्रिहैन्शन है उसे देख कर मुझे लगता है कि यह ऐम्पाउंडिड है। मैं यह बताना चाहूँगा कि इस साल के अन्दर 25 करोड़ रुपये दिये गए हैं और हम और मदों की तलाश करेंगे जो हम इस अथॉरिटी को दे सकें। चाहे हम रजिस्ट्रेशन का एक हिस्सा दें, या दूसरे मदों से पैसा दें उसके बारे में गौर करेंगे और माननीय रैवैन्यू मिनिस्टर जी उसका फैसला करेंगे ताकि सही मायनों में समग्र ग्रामीण विकास का हम क्रियान्वयन भी कर सकें और इस अथॉरिटी को, व्यापक ग्रामीण विकास के लिए शहर जैसी सुविधाएं गाँवों में देने के लिए इस प्राधिकरण को, इस संस्था को, एक महत्वपूर्ण संस्था बनाया जा सकता है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से हाऊस से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैंट), बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Industries Minister will introduce the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) : Sir, I beg to introduce the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

> That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन मैं दो-तीन सुझाव इस बिल के बारे में जरूर देना चाहता हूँ। देखा यह गया है कि जो भी सरकार आती है वह बड़े-बड़े इंस्टीच्यूशन का एक्सप्लॉयटेशन करती है। स्पीकर सर, आपकी खुद की नॉलेज में भी यह बात है कि हमारी सरकार ने खानपुर कलां में महिला विश्वविद्यालय बनाया है। उस संस्था का किस ढंग से गलत इस्तेमाल किया गया। वह महिला जो उस संस्था की साधारण सदस्य भी नहीं थी बैक डेट में 100 रुपये जमा करके उसको उस संस्था का प्रधान बना दिया गया क्योंकि उसको लोक सभा का चुनाव लड़ाना था। स्पीकर सर, इस ढंग से इस ऐक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। अब भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है इसमें बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई शिकायत करे तो यह एक्टिवेट होता है लेकिन शिकायत कोई करता नहीं क्योंकि कोई भी बुराई मोल लेना नहीं चाहता जिसके कारण वे चीजें लिंगर ओन होती रहती है। स्पीकर सर, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें बजट कितना है, इस पर भी गौर किया जाए। सोसाइटीज तो ऐसी भी हैं कि घर के दस आदमियों की सोसाइटी बना ली, उसका न कोई लेखा न कोई जोखा, न कोई धेला न कोई रुपया और सोसाइटी बनी हुई है। स्पीकर सर, बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं उनकी जायदाद अरबों-खरबों रुपये हैं, उनके लिए प्रोविजन किया जाए कि उनका टैन्योर कितना है। कितने समय के लिए उसकी कार्यकारिणी गठित होती है या चुनी जाती है, उसके बाद उसका चुनाव गवर्नमैंट की तरफ से करवाया जाए और किसी अधिकारी की ड्यूटी हो वह अपनी देख-रेख में उसका चुनाव करवाए वरना होता क्या है कि कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के फंड का नॉन गवर्नमैंट ऑरगेनाइजेशंज के माध्यम से मिसयूज होता है जैसे एक आदमी ने अपनी मर्जी से सोसाइटी रजिस्ट्रर्ड करवा दी और उस सोसाइटी के माध्यम से उसकी गाड़ी उसकी मर्जी से चल रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ जो कि नॉन गवर्नमैंट ऑरगेनाइजेशन है और जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं जिनका करोड़ों का बजट होता है, चाहे उसको फिक्स कर दिया जाए कि उनके चुनाव सरकार करवाएगी। सरकार उन सोसाइटिज का चुनाव डी०सी०

की देख-रेख में जैसे चुनावों के वक्त में रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसी तरह से करवाएं अदरवाईज उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और इस ऐक्ट की न्याय देने की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पाएगी।

Mr. Speaker : Question is —

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-7

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, माननीय साथी ने इस बिल के बारे में कुछ जानने के लिए जिज्ञासा जाहिर की थी। मैं केवल आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में 7 या 7 से ज्यादा लोग सोसाइटी बना सकते हैं। इस बारे में हम सदन में संशोधन लेकर आए हैं। स्पीकर सर, सोसाइटीज सरकार के पैसे का या जिन सोसाइटीज ने सरकार की सम्पत्ति ले ली है उस सम्पत्ति का वे मिसयूज न कर सकें, सोसाइटीज की प्रॉपर्टी किसी परिवार की सम्पत्ति न बनकर रह जाए, यह पारदर्शिता लाने के लिए हम सदन में यह बिल में यह संशोधन लेकर आए हैं। हमने इस बिल में 6 बातों का प्रावधान किया है। एक तो हरियाणा में यह आवश्यक होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स। You know, Sir, as pointed out by Mr. Dharam Pal Malik, most of these societies maintained no book of accounts, they became the personal properties of individuals to run these societies. अब सदन में सामने वाले हमारे भाई नहीं हैं, इनके पास ऐसी कई सोसाइटी है जिसको वे व्यक्तिगत जद्दी जायदाद बनाकर चलाते रहे हैं अब इनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेनटेन करना जरूरी होगा। दूसरे यह भी प्रावधान इस बिल में इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब ने किया है, that they will have to get their books of accounts audited. जहां भी इरैगुलैरिटीज मिलेंगी तो अब ऑडिटर कानूनी तौर से इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह इन सारी इरैगुलैरिटीज को रजिस्ट्रार को बताए ताकि सोसाइटी और सोसायटी की मैनेजिंग

कमेटी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही साथ जो सोसायटी की फंडिंग है उसके बारे में भी जानकारी अब रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी कि आपकी सोसायटी के अंदर जो पैसा आने लग रहा है वह कहाँ से आने लग रहा है? इसी प्रकार से जो असिसटैंस उन्होंने सरकार से ली है और यदि कोई सोसायटी सरकार के पास जाकर यह कहे कि हमें सोसायटी का कार्य चलाने के लिए जमीन चाहिए तो चूंकि सरकार कई बार उदार हृदय होकर जमीन दे भी देती है, लेकिन अब इस बात की भी पूरी जांच सोसायटीज के रजिस्ट्रार कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ जो सोसायटीज सरकार से फाइनैंशियल असिसटैंस सरकार से लेकर या सरकार से जमीन लेकर बनी हैं, वे भी रजिस्ट्रार की या सरकार की जांच परिधि में आ जाएंगी। यदि कोई सोसायटी गलती करेगी, अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगी, सोसायटी की सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करेगी, सोसायटी के कार्यों का और उद्देश्यों का निर्वहन नहीं करेगी या सोसायटी की सम्पत्ति व्यक्तिगत बात के लिए इस्तेमाल करेगी तो इन सारी बातों की जांच भी अब रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज तफसील से करवा पाएंगे। स्पीकर साहब, मलिक साहब ने इसके साथ ही टैम्योर ऑफ सोसायटी के बारे में भी कहा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम टैम्योर ऑफ सोसायटी के लिए भी इस बिल में सैक्शन 24 लेकर आए हैं। अगर इलैक्शन डिसप्यूट्स होंगे तो करप्ट प्रैक्टिसिज के लिए भी इस बिल में ऐलोब्रेशन दी गयी है। इलैक्शन डिस्प्यूट्स जब भी आएंगे तो उनके बारे में भी रजिस्ट्रार निर्णय ले सकेंगे ताकि सरकार की सम्पत्ति का, लोगों की सम्पत्ति का दुरुपयोग कुछ चन्द लोगों के गिरोह के द्वारा न हो। स्पीकर सर, लोगों का इंट्रस्ट प्रौटैक्ट हो, आम आदमी के पैसे की प्रौटेक्शन हो इसीलिए इंडस्ट्रीज मिनिस्टर द्वारा कई क्रांतिकारी संशोधन इस बिल में लाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने कम्प्रीहैन्सिव संशोधन के बाद भी हेराफेरी की कोई गुंजाइश रह जाएगी, बल्कि जो पहले भी हेराफेरी हुई है, उसकी भी जांच अब रजिस्ट्रार कर सकेगा।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. **दि हरियाणा पुलिस बिल, 2007**

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Haryana Police Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Police Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Police Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Police Bill be taken into consideration at once.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, दो बिल तो ठीक थे वह पास कर दिए। लेकिन यह तीसरा हरियाणा पुलिस बिल, 2007 बहुत ही महत्त्वपूर्ण है इसलिए मैं आपसे इस बारे में रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सालों के बाद पुलिस ऐक्ट में तरमीम की जा रही है और

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

हरियाणा का अपना पुलिस ऐक्ट बनाया जा रहा है। अब शायद बीस, तीस, पचास सालों तक इसमें तरमीम न हो। अब टोटल समाज, सारी सोसायटी, सारा सिस्टम यानी हर चीज बदल चुकी है। यह पुराना ऐक्ट उस वक्त का है जब न तो साईंस थी, न टैक्नोलॉजी थी, न नई-नई प्रौब्लम्ज थीं, न ट्रैफिक प्रौब्लम थीं और न दूसरी प्रौब्लम्ज थीं। स्पीकर सर, जो आज यह बिल लाया गया है इसके बारे मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस पर अकेला एक दिन पूरा बहस के लिए चाहिए। कल शाम ही हमें इस बिल की कॉपी मिली थी इसलिए हम तो इसको पढ़ नहीं सके हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, सरकार का मन बिल्कुल खुला है। आप कितनी भी देर इस पर चर्चा करवाएं हम सब बातों का जवाब देंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : नहीं नहीं, वह सवाल नहीं है। मेरा कहना तो यह था कि इस पर बहस के लिए अकेले एक दिन का समय रखें क्योंकि यह बहुत उपयोगी बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपना स्थान लूँगा। मैं इस बिल को पूरी तरह से पढ़ नहीं सका हूँ। मैंने इसकी केवल दो सैक्शन ही पढ़ी हैं। इस बिल के चैप्टर 6 की क्लॉज 47, which is regarding the role, functions, duties and responsibilities of Police. इस बिल की क्लॉज (a) से कलॉज (i) तक मैंने सभी क्लॉजिज पढ़ी हैं। इस बिल की जो सैक्शन 14 है which is regarding Coordination with district administration. इसमें भी किस-किस चीज में कॉओर्डिनेशन होगी; बिल में इस बारे में बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में और भी बहुत सी बातें मौजूद हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो कि ओवरसाइट में इस बिल में आने से रह गई हैं उनको हम इस स्टेज पर संशोधन करके तरमीम कर सकते हैं। कॉस्टीच्यूशनल कास्ट्स प्रौब्लम्स हैं, राइट्स होते हैं, झगड़े पूरे इलाके में होते हैं उसके बारे में न तो इस बिल में कोऑर्डिनेशन में लिखा गया है और न ही जो इसमें अगली क्लॉजिज (a) से (i) तक हैं, उनमें बताया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में नयी प्रौब्लम है, यह जो समाज की पंचायतें हैं यह अभी तक कई मामलों में ओवर राइड कर रही हैं जैसे मैरिज ऐक्ट में और पेटीशन एक्ट में वे दखल कर रही हैं। कई बार लड़के-लड़कियों को शादी के बाद भी पंचायतें यहां तक कह देती हैं कि तुम तो भाई-बहन हो। ऐसा तो किसी पिछड़ी से पिछड़ी कंट्रीज में भी शायद नहीं होता होगा, अरब कंट्रीज में शायद होता हो। मैं तो यह कहूँगा कि पुलिस की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह इस तरह की बातें नहीं होने दे। कई गाँवों में जो झगड़े होते हैं उसमें गरीब आदमियों को समस्या होती है इसलिए पुलिस की स्पेसिफिक तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसको इन फंक्शनिंग में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अच्छा बिल है जो कि संसदीय कार्यमंत्री ने इस सदन में रखा है। यह सही है कि जब देश में अंग्रेजों का राज था, यह तकरीबन उस वक्त के बने हुए रूल्ज हैं। हालात बदलते रहते हैं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा दल है कि यदि कुशलतापूर्वक और सही तरीके से काम करे तो प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल लेकर आए हैं और इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पेटीशन थी, उसके लिहाज से यह बिल बनाया है। जिन बातों का इस बिल में जिक्र है वह तो बहुत अच्छी हैं लेकिन इसके अलावा और भी कई बातें हैं, सरकार को उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यह भी विचार करना पड़ेगा कि किस वजह से प्रदेश

के अंदर कानून-व्यवस्था बिगड़ती रहती है। एक तो स्पीकर सर, पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे आम लाइसैंसी लाइसैंस लेने के लिए परेशान घूमता रहता है। एक आदमी जब तक विधायक या मंत्री से इस छोटे से काम के लिए टेलीफोन नहीं कराता तब तक उसका काम होता नहीं है। इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी अमुक व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसैंस बनवाना है तो पुलिस अधिकारी उसका फैसला कितने दिन में करेगा। इसके अलावा आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या शराब पीकर गाड़ी चलाने की है। नौजवान बच्चे शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। अंग्रेजों के जमाने का कानून यह था और उस वक्त इतनी गाड़ियां या ट्रैफिक नहीं था, ऐक्सीडैंट्स कम होते थे। इसलिए तब कानून की निगाह में यह बात नहीं आई थी। कानून में यह भी बदलाव करना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो आज जो जमानत की प्रक्रिया है वह इतनी आसान हो गई है कि यदि कोई व्यक्ति ऐक्सीडैंट में दस आदमियों को भी मार दे तो भी खड़े-खड़े जमानत हो जाती है तो इसको गैर-जमानती बनाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रदेश में गऊओं की हत्या जो है वह बहुत बड़ा मुद्दा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप पर्टेनिंग टू बिल बोलिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : सर, मैं पर्टेनिंग टू बिल ही बोल रहा हूँ। जब तक पुलिस ऐक्ट में बदलाव नहीं करेंगे तब तक यह बिल इतना सार्थक साबित नहीं होगा क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है इसलिए इसमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कोई एक्सीडैंट हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है तो शाम को पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। पहले इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ करते थे क्योंकि लाईट नहीं हुआ करती थी और डॉक्टर को यह हिदायत होती थी कि अन्धेरे में पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। आज एक जवान की मौत हो जाती है तो सारा परिवार उनके जान-पहचान वाले और रिश्तेदार अस्पताल में बैठे रहते हैं और पुलिस को सारे डॉक्यूमैंट बनाने में चार घण्टे लग जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस वहां पर डी०डी०आर० बनाये या थानों का काम सम्भाले, इसके लिए ऐक्ट में कोई न कोई तरमीम करनी पड़ेगी। एक कमिश्नर रैंक के अधिकारी को रेंज में नियुक्त करने का काम किया है यह बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं तो यह कहूँगा कि जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकूला जैसे बड़े-बड़े शहरों और रोहतक और करनाल जैसे जिलों में कमिश्नर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। जैसे कि मैट्रोपोलिटन सिटीज में डी०सी०पी० रैंक का ऑफिसर होता है। बिल में एक प्रावधान यह किया गया है कि थाने का इंचार्ज जो अधिकारी लगाया जाएगा वह एस०आई० लेवल का होगा and that will not be deputed below the rank of Sub-Inspector. सर, मेरा एक अनुरोध है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकार ने जो एस०आई०ज० की भर्ती की थी वह किस प्रकार से की गई थी। अगर सरकार ठीक समझे तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ए०एस०आई० भी क्योंकि बहुत अनुभवी होते हैं इसलिए बजाए इसके कि इस में सब-इन्सपैक्टर को मेनडेट्री किया जाए। अगर डी०जी०पी० ठीक समझे तो वह इन्सपैक्टर, एस०आई० या ए०एस०आई० को थाने का इंचार्ज लगा सकता है। दूसरा जो स्टेट पुलिस बोर्ड के मैम्बर के लिए मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ दि ओपोजीशन, रिटायर्ड हाई-कोर्ट जज या एडवोकेट जनरल, हरियाणा, चीफ सैक्रेटरी, होम सैक्रेटरी और तीन नॉन पोलिटिकल परसंज जनरल पब्लिक के नौमिनी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं सदन से यह निवेदन करूँगा कि इस स्टेट पुलिस बोर्ड में मेनडेट्री तौर पर एक महिला सदस्या का होना बहुत जरूरी

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

है चाहे वह महिला अधिकारी हो या कोई दूसरी महिला इस बोर्ड की मैम्बर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि महिला के साथ जो अपराध होते हैं उसके बारे में एक महिला सदस्य अच्छी प्रकार से जानती है, वह इस बारे में अच्छी जानकारी दे सकती है। स्पीकर सर, जो यह बिल लेकर आये हैं जैसा सुरजेवाला जी ने कहा है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूँगा कि इस बिल को आज ही पास करने की कोई जल्दी नहीं है इसलिए इसके लिए सदन की एक कमेटी बना दी जाए, सदन के सभी दलों के विधायकों को उस कमेटी में लें और जिस तरीके से लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है और बिल उनको सुपुर्द कर दिए जाते हैं वह कमेटी उस बिल के बारे में अपने विचार प्रकट करती है। आपकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जाए और यह बिल उस कमेटी को रैफर किया जाए वह कमेटी पूरे प्रदेश में बल्कि मैं तो कहूँगा दिल्ली या मुम्बई जैसे शहरों में जाकर पता लगाए कि कौन-कौन से जुर्म हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे रोका जा सकता है? आम लोगों को सहूलियत कैसे दी जा सकती है। जब वह कमेटी इस बारे में अपनी सिफारिश करे तब इस बिल को इस सदन में लेकर आये और फिर सदन इस बिल को पारित करे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त श्री दलाल साहब ने एक सुझाव दिया है कि इस बिल के बारे में एक कमेटी बना दी जाए। परन्तु यह बिल तो 31.3.2007 से पहले पास करना है क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंज हैं। It has to be passed by all means before 31.3.2007, इसलिए यह तो पास करना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है। हाँ इसके बारे में एक बात हो सकती है कि सैशन को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए और इस बिल पर डिसक्शन करवा ली जाए क्योंकि मकसद तो यही है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आज इस बिल पर ही तो डिसक्शन हो रही है। आप डिसक्शन की बात न करें। एक दिन और दो दिन की क्या बात है। आपको अगर इस बिल के बारे में कोई सुझाव देना है तो वह दीजिए और आप pertaining to Bill ही बोलें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : एक चीज मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ जो पहले पुलिस ऐक्ट था। (विघ्न) हम जो इस बिल के बारे में चीज महसूस करें, उस बारे में कह तो सकते हैं। I am not the part of the Government but I am an M.L.A and I can give some suggestions. ऐक्ट में जो रीजंज दिए हैं उनके बारे में कहा तो जा सकता है।

Mr. Speaker : But you are not supposed to give reply on behalf of the Minister.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उस पुलिस अधिकारी के ऊपर आज तक किसी पुलिस अधिकारी ने ऐक्शन नहीं लिया। एक आदमी ने किसी को इल्लीगल आर्म लगा दिया, उस पुलिस अधिकारी के पास केस जाएगा, इस मामले में होना यह चाहिए कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज है उसे गिरफ्तार करो या झूठी शिकायत करने वाले को गिरफ्तार करो। इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ अगर आरोप लगते हैं तो उसकी जांच पुलिस अधिकारी के बजाए एंग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करवानी चाहिए। इस तरह का प्रावधान पुलिस

बिल के अंदर आना चाहिए ताकि लोगों में पुलिस का जो भय है तथा पुलिस के लोग जो आम जनता को एक्सप्लोयट करते हैं उससे जनता को निजात मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, फिर तो सारी ऐग्जीक्यूटिव मशीनरी ही इस काम में लग जाएगी। सीनियर पुलिस ऑफिसर तो इस बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। मंत्री जी आप जवाब दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इण्डियन पुलिस ऐक्ट, 1861 और पंजाब पुलिस रूल्ज 1934 दोनों को बदलने के लिए इस बिल को सरकार लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, सिविल रिट पैटीशन संख्या 310 ऑफ 1996, टाईटल प्रकाश सिंह वर्सिज यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को और सभी प्रांतीय सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट में जो उन्होंने डायरैक्शंज दी हैं उनके मुताबिक नया पुलिस ऐक्ट सभी प्रांतों द्वारा बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इण्डिया श्री सोली सौहराब जी की अध्यक्षता में भी इस बारे एक कमेटी का गठन किया था। माननीय साथी ने हाउस की कमेटी गठित करने की चर्चा की थी इसलिए मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ कि सदन की कमेटी तब बनाई जा सकती थी जब केन्द्र ने कोई कमेटी नहीं बनाई होती। इस बारे में पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाईंडिंग जजमैंट के अंदर लेड डाऊन कर दिए हैं कि पुलिस ऐक्ट के अंदर किन-किन बातों का प्रावधान करना होगा। माननीय सदस्य उस जजमैंट को जरूर पढ़ें। जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस कमेटी ने एक मॉडल पुलिस ऐक्ट भी बनाया। सोली सौहराब जी की कमेटी ने ब्रौड बेस्ड होकर मॉडल पुलिस ऐक्ट बनाने के लिए देश के कानून विशेषज्ञों से, नॉन गवर्नमैंट आरगेनाईजेशंज से और लैजिस्लेचर्स से भी चर्चा की। जहां तक मेरी जानकारी है उस एक्ट को मॉडल पुलिस ऐक्ट बनाने के लिए पब्लिक नोटिसिज भी इनवाइट किए गए थे। उसके बाद मॉडल पुलिस ऐक्ट बनाया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट, कमेटी की रिपोर्ट और मॉडल पुलिस ऐक्ट इन तीनों को ध्यान में रखकर यह पुलिस ऐक्ट लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शंज जो पिछले साल आई थीं, जहां तक मेरी जानकारी है उसके बाद हरियाणा देश में पहला प्रांत है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शंज, कमेटी की रिपोर्ट और मॉडल पुलिस ऐक्ट के आधार पर इस ऐक्ट को विधान सभा में पारित करवाने के लिए लेकर आया है। दूसरे प्रांतों द्वारा इस पर अभी कार्यवाही करनी बाकी है। हालांकि 10 अप्रैल तक शपथ-पत्र सुप्रीम कोर्ट में देने का समय हमारे पास और बाकी के प्रदेशों के पास है। We are the first, who have decided to bring this Legislation.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने यह कहा था कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन की एक कमेटी बना दी जाये। यदि कमेटी नहीं बनाई जा सकती तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लम्बित है वहां भारत सरकार ने भी यही कहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। भारत सरकार भी इस बात से सहमत है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए इसलिए हमारे प्रदेश को भी इस बारे में भारत सरकार से बात करनी चाहिए। यदि हमें और वक्त मिलता है तो इसमें कई अच्छी बातें हो सकती हैं।

Finance Minister (Sh. Birender Singh) : I would like to add to the information of Hon'ble Parliamentary Affairs Minister that most of the Chief

[Shri Birender Singh]
Ministers of this country, have written to the Government of India that it needs putting to head together to find out how the legislation should be stream-lined. They have raised some certain basic issues, where federal structure has been questioned. So, Hon'ble Members must be knowing that majority of the Chief Ministers have written to Govt. of India for this Act. Before any enactment takes place, there is a scope for reconsideration.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर विशेष प्रावधान कानून ने किये हैं क्योंकि कई मैम्बर्स ने जिज्ञासा जाहिर की। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूँगा कि पहली बार हमने प्रान्त में स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन किया है। इस बिल के सैक्शन 25-26 में स्टेट पुलिस बोर्ड जो है वह ओवरआल पुलिस की फंक्शनिंग का इंचार्ज होगा और वही नीतिगत निर्णय भी करेगा और इसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। आपने यह कहा कि पुलिस से बाहर का कोई आदमी इसमें होना चाहिए तो लीडर ऑफ ओपोजीशन भी इसमें होंगे। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या एडवोकेट जनरल इसके मैम्बर होंगे ताकि सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा सके। चीफ सैक्रेटरी, होम सैक्रेटरी भी इसके मैम्बर होंगे। डी०जी०पी० इसके मैम्बर सैक्रेटरी होंगे। "Three non-political", the words are very clear and categorical. Three non-political independent members shall be members of the State Police Board. इसलिए ये काफी checks and balances जो हैं हमने रखे हैं (विघ्न) that will reply to your query also. You may just wait for sometime. Powers and functions भी स्टेट पुलिस बोर्ड के हमने describe किये हैं जो इस बिल के सैक्शन 30 के अन्दर describe किये हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ :—

"(a) aid and advise the State Government in discharge of its functions and responsibilities under this Act;

(b) frame broad policy guidelines for promoting efficient, effective, responsive and accountable policing in accordance with the law; and

(c) review and evaluate organizational performance of the service in the State."

पूरी पुलिस की ऑर्गेनाईजेशन की परफोरमैंस को यह स्टेट पुलिस बोर्ड, which is severely even independent of governmental control, यह उसे रिव्यू कर सकेगा इसके अलावा सर, पहली बार किसी प्रान्त ने कानून ला कर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सलैक्शन और जो उनकी टर्म हैं उसको Clause 6 of this Bill में प्रॉवधान किया है और यह किया है कि डी०जी०पी० का minimum tenure एक साल होगा। इसी प्रकार जिले के एस०पी० जो पिछली सरकार में दो-दो दिन में बदलते रहते थे जब इंडियन नैशनल लोकदल के साथी सत्ता में थे तो 15 दिन के बाद तो उनके एस०पी० बदल ही जाते थे। अब कम से कम एक साल का कार्यकाल एस०पी० का होगा। आई०जी०पी० जो रेंज के हैं उनका भी इसी प्रकार एक-एक साल का कार्यकाल होगा। एक पुलिस Establishment Committee जिसे डायरैक्टर जनरल, पुलिस हैड करेंगे और दो सीनियर ऑफिसर भी उसमें होंगे। उसमें आगे क्या तरक्की होनी है, जैसा कि श्री सुरजेवाला

जी ने चर्चा की है कि पुलिस फोर्स आगे और ज्यादा प्रोफैशनल कैसे बने इसके लिए police establishment committee जो है उसके लिए बिल की क्लॉज 34 में हमने प्रावधान रखा है कि professionalism, infrastructural facilities, modernization, welfare and training इन सारी बातों का बोर्ड ध्यान रखेगा और यह डी०जी०पी० से हैडिड होगा। सर, इसके अलावा, पहली बार लॉ एण्ड ऑर्डर और इन्वैस्टिगेशन, यह आपने भी मांग रखी जो वाजिब है और इस प्रान्त में और इस देश में यह लगातार मांग रखी जाती रही है कि लॉ एण्ड ऑर्डर एक चीज है और जो इन्वैस्टिगेशन है वह एक बिल्कुल अलग चीज है। लॉ एण्ड ऑर्डर डेली रूटीन की बात है जब तक इन दोनों को अलग नहीं किया जायेगा, तब तक पुलिस सही मायने में अपनी इफैक्टिव responsibility का निर्वहन नहीं कर पाएगी। सर, इस बिल की क्लॉज 43–46 में लॉ एण्ड ऑर्डर और इन्वैस्टिगेशन जो हैं इन दोनों को segregate करने का प्रावधान किया है। प्रान्त में एक अलग क्राईम इन्वैस्टिगेशन विंग बनेगा जो heinous crime, inter-state crime, inter-district crime, major economic offences, cyber crime इत्यादि जो सीरियस क्राईम है, वह उनको देखा करेगा। इसके अलावा स्टेट इन्टैलिजैंस विंग बिल्कुल अलग कर दिया गया है। एक स्पैशलाईज्ड क्राईम इन्वैस्टिगेशन यूनिट है जिसको इन्सपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैड करेंगे। उसके गठन का प्रावधान इसमें रखा गया है। लीगल और फॉरैन्सिक ऐड के लिए अलग से प्रावधान रखा है और यह प्रावधान भी रखा है कि हमारा जो इन्वैस्टिगेटिव यूनिट है लॉ एण्ड ऑर्डर की ड्यूटी पर उनको नहीं लगाएंगे। सर, पुलिस लोगों के प्रति एकाउंटेबल कैसे हो यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रान्त और देश के अन्दर बार-बार लोगों को और हमें यह बात सताती रहती है कि पुलिस must be at the end of the day accountable to people. इसलिए एक पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी का स्टेट लेवल पर हमने गठन किया है। अगर आप इसको पढ़ें तो उसमें पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिशियल जो हैं, वे उनकी इन्क्वायरी करवाएंगे। इन्होंने यह कहा है कि इस काम के लिए कोई इन्डिपैंडैंट व्यक्ति होना चाहिए जिससे इन्क्वायरी करवाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरा बिल पढ़ा नहीं है इसमें यह लिखा है कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या एक ऐसा क्रिमिनल लॉयर होगा जिसको बीस साल का तजुर्बा हो, वह इस पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी के प्रमुख होंगे और तीन साल की स्टैचुट्री टर्म इस पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी की होगी। स्पीकर सर, यह बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो कस्टोडियल डैथ है, रेप है, अटैम्पट टू रेप है, ग्रीवियस हर्ट इत्यादि है, ये सारी बातें पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी देख सकेगी। इसके अलावा लोगों में और पुलिस के अन्दर जुड़ाव हो, कम्युनिटी लॉयजनिंग हो। International community has a role to play in policing. Without community participation effective policing is not possible. इसलिए हमने स्टैचुटैरिली कम्युनिटी लॉयजन ग्रुप का प्रावधान इस बिल की क्लॉज 12 में रखा है। यह भी अपने आप में इस देश में एक यूनीक फीचर है और हर पुलिस स्टेशन के ऊपर जो सम्माननीय लोकल साथी होंगे उस इलाके के जो सम्मानित नागरिक होंगे उनका एक कॉम्युनिटी लॉयजन ग्रुप पुलिस के साथ इन्टरैक्शन भी रखेगा और वह एक तरह से वाच् डॉगज भी होंगे, उसका प्रावधान भी इस कानून में हमने किया है। जहां तक Co-ordination with District Administration की बात का सम्बन्ध है, उसके कई विषय हैं, मैं उन पर आऊँगा। स्पीकर सर, सुरजेवाला जी ने बोलते हुए क्लॉज 14-एच की चर्चा की और यह कहा कि कॉम्युनल और कास्ट क्लैशिज जहां पर हैं डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, कई विषयों पर उसमें कॉम्युनल और कॉस्ट क्लैश ऐड नहीं किये गए हैं। इनकी बात बिल्कुल

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

वाजिब है। I also propose an amendment on the floor of the House that in sub-clause (1) of clause 14, sub-para (h) shall now be added, where the words "communal or caste" clashes shall be added so that it also comes within the purview. We have an open mind. We have accepted the suggestions of the Hon'ble Member.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि उस बोर्ड में एक महिला भी होनी चाहिए और दूसरे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस की भर्ती है उसमें यह भी व्यवस्था करें कि पुलिस की भर्ती में जो नौजवान कॉलेज में या स्कूल में एन०सी०सी० को ऑप्ट करते हैं, जो एन०सी०सी० लेते हैं, उनको पुलिस में भर्ती करेंगे या जो अच्छे स्पोर्टसमैन हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको पुलिस में भर्ती करेंगे। स्पीकर सर, इसके साथ ही जो साईबर क्राईम है, आज प्रदेश में साईबर क्राईम एक नया मुद्दा है और नये किस्म के जुर्म आई०टी० की नई टैक्नीक कम्प्यूटर से जो क्राईम करते हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा जिससे बड़े-बड़े शहरों में इन नये किस्म के जुर्मों के ऊपर रोक लगे।

आई०जी० शेर सिंह : स्पीकर महोदय, जैसा कि हमारे भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने बोला है कि स्टेट पुलिस बोर्ड में एक महिला होनी चाहिए तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि यह मेल या फीमेल का सवाल नहीं है, PCA can be a female. PCA can be a male also. The judges and others, those who are three people, out of that there can be a female also. There is no such bar, Therefore, there is no necessity.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं मैं उन बातों पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि यह कानून सैलियूटरी कानून है। It is a landmark law and it has to be passed by every Legislature in the country. I do not think such an initiative has been taken by any other Legislature except this Legislature where so many inherent provisions of checks and balances have been provided. हमने माननीय सुरजेवाला जी के संशोधन को माना है। कर्ण सिंह दलाल जी ने 4-5 बातें कहीं हैं उन्होंने ड्रंकन ड्राईविंग के बारे में कहा कि drunken driving is a subject which should be covered under the Indian Penal Code. पुलिस एक्ट के अन्दर इसका कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। जहां तक सजा का सवाल है, इण्डियन पैनल एक्ट में ऐसा संशोधन केवल वहां हो सकता है लेकिन पुलिस एक्ट में नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इन्होंने गऊ हत्या की बात कही है तो उसके लिए काऊ स्लॉटर एक्ट है, जिसका प्रावधान भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कानून में नहीं किया जा सकता है। It is out of Cow Slaughter Act. मेरे काबिल दोस्त वकील भी हैं इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सैग्रीगेशन ऑफ फंक्शन की इन्होंने बात की है, मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन जो है, लॉ एण्ड ऑर्डर है जो सैग्रीगेट कर चुके हैं। श्री कर्ण सिंह दलाल जी का यह भी सुझाव है कि स्टेट पुलिस बोर्ड में एक महिला भी बोर्ड की सदस्य होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि 3 मैम्बर्ज हमारी सरकार ने अभी बनाने हैं, आपको क्या मालूम है कि उसमें से एक महिला होगी की नहीं होगी। हो सकता है कि उसमें एक महिला भी हो। अध्यक्ष महोदय, महिला उत्थान और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए पिछले 41 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया था, हमारी सरकार के आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के

नेतृत्व में पिछले दो सालों में महिलाओं के उत्थान और उनको बराबरी का दर्जा देने का काम करके दिखाया गया है। मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि वे इन्तजार करें। Let the three non-political independent members be nominated and let a new precedent, be set up.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूँगा और मेरी इस बात से एक मंत्री जी भी सहमत हैं कि इस बिल को आज की बजाए कल के लिए पोस्टपोन कर लिया जाए। यह बिल हमें कल शाम को ही मिला है जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर सके हैं।

श्री अध्यक्ष : इसकी कॉपी आपको मिल चुकी है और यह कल शाम को नहीं दो दिन पहले मिल गई थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह एक महत्वपूर्ण बिल है। मैं भी सुरजेवाला जी के साथ सहमत हूँ कि हम इस बिल पर जो-जो अच्छी बातें यहाँ पर नहीं कह पाए हैं अगर आप इसको कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं तो हम इस बारे में कल तैयारी करके आएंगे और सरकार को और भी अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि इसके अन्दर क्लॉज 8 पार्ट (ii) सिविल पॉवर में जब आर्मी कॉल आऊट होती है तो इस बारे में पुलिस की डिटेल्ड फंक्शनिंग के बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है कि उस समय पुलिस की डिटेल्ड फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने भी बताया है कि यह बिल कल शाम को नहीं बल्कि दो दिन पहले मिला था। लेकिन सदन की व्यवस्तता की वजह से हम इसको अच्छी तरह से देख नहीं पाए हैं। लेकिन मैं इसके लिए अपने साथियों के साथ सहमत हूँ और फाईनांस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इसको डैफर किया जा सकता है। इस सदन को 23 तारीख तक बढ़ाकर इस बिल पर और चर्चा की जा सकती है और इस पर और भी अच्छी-अच्छी राय दी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात पहले ही आ चुकी है। Repetition of the same thing is not a right way.

12.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त कर्ण सिंह दलाल जी ने यह सुझाव भी दिया कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए। सर, जैसे मैंने बताया कि वे इस बिल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जजमैन्ट को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि यह बिल उसके ऊपर ही आधारित है। उसके बाद सोली सोराबजी जो फौर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, की एक कमेटी बनी और उनकी बाकायदा Legislature, Non-Government Organizations, Parliamentarians and Newspaper Notices, इन सबसे इस बारे में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि इसको पहली बार लेकर आए हैं लेकिन यह मामला पिछले दो सालों से सामजिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा का विषय बना हुआ है और सारी बातों पर, पहलुओं पर विचार करके फिर यह बिल लाया गया है। स्पीकर सर, सुरजेवाला जी ने एक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

संशोधन दिया हमने फौरन उसको मान लिया इसलिए यदि इनके पास भी कोई संशोधन है तो ये सुझाएं, हम फौरन मानने के लिए तैयार हैं लेकिन वह बैठे नहीं हैं उठकर ही चले गए हैं। दो दिन पहले ही यह बिल मैम्बर्ज के लिए सर्कुलेट कर दिया गया था इसलिए कल शाम को ही बिल सर्कुलेट करने वाली बात बिल्कुल गलत है। डेढ़ साल से इस बिल पर पूरे देश के अन्दर चर्चा हो रही है। डेढ़ साल से मैम्बर्ज के पास इसके लिए समय था। आखिरकार कोई सीमा है जो हमको स्वयं पर भी निर्धारण करनी है। इस बिल का प्रारूप हमने सर्कुलेट भी कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि सभी माननीय सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला और डायरैक्शंज पढ़ी हैं। हमने 10 अप्रैल तक शपथ-पत्र देना हैं। अगर सब समझते हैं कि यह अच्छा बिल है तो इसको पास करना चाहिए क्योंकि इसमें कई नये क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। इससे पुलिस की अकाऊंटेबिलिटी बढ़ेगी, लायजन कमेटी बनेगी, स्टेट पुलिस कोर्ट बनेगा, कमिश्नरी बनेगी, इन्वैस्टीगेशन और लॉ एण्ड ऑर्डर की सैग्रीगेशन होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई संशोधन इनको सुझाना है, तो मैं उसका स्वागत करूँगा। माननीय सदस्य नृपेन्द्र सिंह जी ने फंक्शनिंग ऑफ पुलिस के बारे में कहा। मैं इनको बताना चाहूँगा कि अभी इसके रूल्ज बनने बाकी हैं। इसके अलावा भी कई और बातें हैं जिनका प्रोविजन रूल्ज के अंदर आएगा। जो अभी यह एक्ट आया है वह फिलहाल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे है। It does not deal with inertia relationship of police and military. It is an administrative functioning and control of police within the State. और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कानून है जो बिल्कुल नया नहीं है। It is a path-breaking law which the Government of Haryana has introduced in this Legislature and Speaker Sir, my request through you to the House is that this Bill may be passed.

चौ० हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पुलिस विधेयक, 2007 आज इस सदन में पेश हुआ है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शंज भी हैं और समय का यह तकाजा भी है क्योंकि जनता ऐसे ही किसी बिल के इंतजार में भी थी कि इस तरह का कोई बिल लाया जाए। स्पीकर सर, बहुत सी जगहों पर यह देखने को मिला है कि कानून, पुलिस और दूसरे महकमों के आपस में तालमेल न होने की वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानियाँ होती थीं और सरकार को भी लॉ एण्ड ऑर्डर की दिक्कतें आती थीं। इस तरह से सारे-काम न होने की वजह से ये सारे काम होते थे। इसमें मेरा एक सुझाव है कि अगर कहीं आपस में फौजदारी होती है तो एक गरीब पार्टी होती है और एक पार्टी जबरदस्त होती है। गरीब आदमी पिटता है और जबरदस्त पार्टी उसको पीटती है। जहां गरीब और कमजोर आदमी टूटता है वहीं जबरदस्त आदमी उसके मुकाबले में दूसरी तरह से जैसे हौस्पीटल में सांठगांठ कर लेता है, डॉक्टर्ज से सांठगांठ कर लेता है जिसके कारण गरीब आदमी की मेडीकल, एम०एल०आर० या ऐक्सरे की रिपोर्ट बाद में आती है और जबरदस्त आदमी की झूठी एम०एल०आर० और गलत रिपोर्ट पुलिस में पहले आ जाती है। स्पीकर सर, चाहे गरीब आदमी का दोबारा से मेडीकल करवाने की बात हो या दूसरी बात हो जैसे यदि वह अपना मेडीकल करवाना चाहता है तो उसे इसके लिए डॉक्टर्ज के पास, एस०डी०एम० के पास या डी०सी० के यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं कोई उसको कह देता है कि यह पॉवर्ज पुलिस की कोर्ट में है और कोई कुछ कह देता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पुलिस को यह पॉवर्ज दी जाएं कि जहां पर पुलिस को लगे कि एम०एल०आर० गलत है या मेडीकल

रिपोर्ट बनाने में अन्याय हुआ है तो वह खुद दोबारा से उसको बनवा सके। अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत अच्छा है इसलिए यह पास हो जाना चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इसीलिए हमने इस बिल की सैक्शन 12 की क्लॉज 4 में कम्यूनिटी लाइजन ग्रुप का प्रावधान किया है। जहां जो स्थानीय नागरिक हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं। हर पुलिस स्टेशन पर उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। जो न केवल लाइजन करेंगे बल्कि समाज में जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं जैसे कहीं डॉक्टर ने डॉक्टरी ठीक नहीं की तो वे वॉच डॉग का काम करेंगे। फिर भी यदि किसी को ऐतराज हो तो इस बिल के चैप्टर 8 में स्टेट पुलिस कंप्लेंटस अथॉरिटी बनाई है जिसमें एक न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करेंगे। जहाँ भी इस प्रकार की गलती होगी तो उस पुलिस अधिकारी को वे सजा दे सकेंगे। वे पुलिस अधिकारी नहीं होंगे, या तो वे न्यायाधीश होंगे या फिर जिन्होंने 20 साल तक वकालत की हो, क्रिमिनल लायर हो, उनको लगाएंगे।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Police Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause 3 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 13

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया था कि सरकार का 14.1 (h) में एक और क्लॉज ऐड करने का निर्णय है। जैसा माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब का सुजैशन था।

Clause 14(1)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Sub-Clause (1) of Clause 14. He may please move his amendment.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

That in Sub-Clause (1) of Clause 14 —

(i) In the end of existing sub-para (f) the word "and", be omitted.

(ii) In the end of existing sub-para (g) for the sign ".", the sign and the word, "and" be substituted.

(iii) After the sub-para (g), the following sub-para be added —

"(h) communal or caste clashes."

Mr. Speaker : Motion moved —

That in Sub-Clause (1) of Clause 14 —

(i) In the end of existing sub-para (f) the word "and", be omitted.

(ii) In the end of existing sub-para (g) for the sign ".", the sign and the word, "and" be substituted.

(iii) After the sub-para (g), the following sub-para be added —

"(h) communal or caste clashes."

Mr. Speaker : Question is —

That in Sub-Clause (1) of Clause 14 —

(i) In the end of existing sub-para (f) the word "and", be omitted.

(ii) In the end of existing sub-para (g) for the sign ".", the sign and the word, "and" be substituted.

(iii) After the sub-para (g), the following sub-para be added —

"(h) communal or caste clashes."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 14(1), as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 15 to 96

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 15 to 96 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 2007-2008 will resume.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं बजट के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पांच मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : किस चीज के सुझाव। दलाल साहब, आप डेढ़ घण्टा तो पहले बोल चुके हैं। Let the other members speak. We should provide the opportunity to other members also. Every member has a right to speak. नहीं दलाल साहब, Please take your seat.

श्री आनन्द सिंह डांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 16.3.2007 को इस हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, मान-सम्मान के लिए, नाम के लिए, स्वाभिमान के लिए, इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए जो बजट वर्ष 2007-2008 का सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यबाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं समझता हूँ कि यह हरियाणा के इतिहास में बहुत शानदार बजट है जो पहली बार इस सदन के पटल पर हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए आया है इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और इनकी पूरी टीम को जिसने इस बजट को बनाने में सहयोग दिया है, उन सबको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इस बजट के बारे में मैं यही कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का इस बजट के माध्यम से जो सपना है, वह साकार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर एक का प्रदेश बनकर रहेगा। यह बजट इस बात को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट में जो धनराशि प्रोवाईड की गई है वह इस साल लगभग दुगुनी राशि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दो साल में जिस ढंग से बढ़ौत्तरी लगातार हो रही है उससे ऐसा लगता है कि सही नीयत और सही नीति इस प्रदेश के विकास करने की हमारी सरकार की है व सरकार इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। अध्यक्ष महोदय, किसी देश प्रदेश के विकास के लिए किसी उद्योग की स्थापना के लिए और हर प्रदेश के विकास के लिए और तरक्की देने के लिए सबसे पहली बात प्रदेश की कानून व्यवस्था की होती है। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि पिछले दो साल से जिस गति से इस प्रदेश के हालात सुधरे हैं, वह पूरे देश में एक मिसाल है। जिस ढंग से पिछले राज के दौरान इस प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए थे। कोई उद्योगपति हरियाणा प्रदेश में उद्योग लगाना नहीं चाहता था बल्कि जो उद्योग पहले लगे हुए थे वे उद्योगपति अपने उद्योगों को यहां से उठाकर भाग गए थे। किसी भाई की, किसी बहन की, किसी बेटी की जान-माल इस प्रदेश के अन्दर सुरक्षित नहीं थी। यहां बड़े-बड़े शातिर दिमाग मुलजिम जेलों में बैठकर हुकूमत चलाया करते थे। उनका खात्मा हमारी सरकार ने किया है और प्रदेश के अन्दर माहौल बनाया है जिसकी वजह से यह प्रदेश तरक्की कर रहा है तथा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे आधुनिक औद्योगीकरण की बात हो, चाहे पानी का समान बंटवारा करके प्यासी धरती की प्यास बुझाने की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार की बात हो यानि हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने तरक्की की है। इसके लिए मैं हमारे वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी

बात नहीं करूँगा, कुछ बातें मेरे हल्के से संबंधित हैं सिर्फ उन पर चर्चा करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : वित्तमंत्री जी, बजट के लिए डांगी साहब आपको बधाई दे रहे हैं।

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है इसलिए ये बधाई के हकदार तो हैं। जो बजट पहले 2200 करोड़ रुपये का हुआ करता था उसको दो साल में हमारे वित्तमंत्री जी 5300 करोड़ रुपये पर ले आए हैं। इसलिए इसमें बधाई की बात तो है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में पिछले दो सालों से जिस प्रकार से सुधार हुआ है उसका परिणाम यह है कि हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दूसरे स्थान पर है जो कि एक शानदार उपलब्धि है। यह मात्र शुरुआत है आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है और हर हाथ को काम मिल रहा है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आने वाले सालों में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा और एक नम्बर पर होगा। हमारी सरकार ने आम साधारण आदमी के लिए बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं। सरकार द्वारा जनहित में जो फैसले लिए गए हैं जैसे कर्जा न चुकाने पर गरीब आदमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाना, किसान जो कर्जा अपनी उपज को बढ़ाने के लिए लेता है उसकी ब्याज दर 11 प्रतिशत से कम करके 7 प्रतिशत करना और आज जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन-चार बातों पर घोषणाएं की हैं यह बहुत बड़ी बात है और यह उनकी बहुत बड़ी सोच है। जिससे इस प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, दो-तीन मुख्य बातें हैं जैसे बिजली की बात है। बिजली हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या रही है और बिजली मुख्य साधन भी है। बिजली के बगैर प्रदेश का विकास होना असम्भव है। यही कारण है कि हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या को जड़-मूल से खत्म करने के लिए प्रण किया है और बिजली बनाने के लिए नये-नये पॉवर प्रोजैक्ट लगाने के लिए एम०ओ०यू० साईन किए जा रहे हैं। उन पॉवर प्रोजैक्ट्स पर कार्य भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी बिजली पैदा करके लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके। हमारी सरकार के इस तरह के कार्य आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, जिनसे हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की की लाईन पर आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सरकार बनते ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए। इससे गरीब किसानों को बहुत फायदा हुआ है और बकाया बिलों की जो तलवार उनके सिर पर कई सालों से लटक रही थी, उससे उन्हें छुटकारा मिला है।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, प्लीज, अब आप वाईंड अप करें। वित्त मंत्री जी ने जवाब भी देना है और दो-तीन माननीय सदस्यों ने बजट पर अभी और बोलना है। डांगी साहब आप तजुर्बेकार आदमी हैं आप तो पांच मिनट में ही अपनी पूरी बात कह सकते हैं।

श्री आनंद सिंह डांगी : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मुद्दे पर बोलता हूँ बिजली की बात हो, बिजली सुविधाओं की बात हो, हमारे शूरवीर नौजवान जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, समय का अभाव है।

श्री आनंद सिंह डांगी : ठीक है, स्पीकर सर, मैं सिंचाई की बात करता हूँ। सिंचाई हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने

[श्री आनंद सिंह डांगी]

एक वादा किया था कि जहाँ पानी की जरूरत है और न्यायोचित बंटवारे के हिसाब से जिसका जितना हक बनता है उसके हिसाब से प्रदेश के हर कोने में पानी पहुँचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हाँसी बुटाना ब्रांच जो 109 किलोमीटर लम्बी बनाकर 16 जिलों का हक देने की सरकार ने जो बात की है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से दादूपुर नलवी नहर बना करके जो पानी देने की बात की है इससे मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश की पानी की कमी पूरी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का मुख्य मुद्दा जो है जिससे हमारी रोजी-रोटी जुड़ी है वह है एस०वाई०एल० का मसला। इस एस.वाई.एल. के मसले पर अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इस सदन में बैठे हुए लोग थे उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जब जवाब माँगने की बात आई तो यहाँ से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भागने की कोशिश की। मैं उस बात के लिए स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एस०वाई०एल० के मुद्दे को सबसे पहले उलझाने का काम उन लोगों ने किया था और अब भी एस०वाई०एल० के मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से और प्रैस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि एस०वाई०एल० के बारे में अगर इनकी नीयत में कुछ थोड़ा सा भी इस प्रदेश के प्रति लगाव है तो एस०वाई०एल० के बारे में एक ही बात का स्पष्टीकरण दे दें कि जो व्यक्ति इस प्रदेश के अन्दर यह कहता है कि एस०वाई०एल० के पानी की एक भी बूंद हम हरियाणा को नहीं देंगे चाहे उसके लिए खून की नदियाँ बहानी पड़ जाएं। जो इस सदन में ओमप्रकाश चौटाला नाम का व्यक्ति आकर बैठता है मैंने नाम ले दिया ऐसे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन पीछे जब चुनाव हुए पंजाब में तो अध्यक्ष महोदय, प्रकाश सिंह बादल जो आज पंजाब में मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं में ओमप्रकाश चौटाला जाते थे और प्रकाश सिंह बादल ये कहते थे कि हम एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे और सभी बातें चौटाला जी सुनते रहते थे उसके बाद खड़े होकर अकाली दल के हक में, प्रकाश सिंह बादल के हक में वोट मांगते थे और यहाँ आकर के एस.वाई.एल. की बात करते हैं। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब दोगली नीति हरियाणा प्रदेश में नहीं चल सकेगी। जिस ढंग से ये लोग 20 साल से इस प्रदेश की जनता को धोखा देते आए हैं, वह धोखा अब नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इनको अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। या तो इनको प्रकाश सिंह बादल से नाता तोड़ना पड़ेगा या ये लोग हरियाणा प्रदेश की जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जनता के बीच में आकर इन्हें इस तरह के मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी, हमारे नेता हर प्रकार से पूरी मेहनत और कोशिश करके उस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि उनको प्रदेश के हितों से प्यार है या प्रकाश सिंह बादल से। इस मुद्दे को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है, यह ओच्छी राजनीति छोड़ें, अपने स्वार्थ की राजनीति छोड़ें तथा इस प्रदेश के हित की सोचें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो वे वहाँ से अपना नाता तोड़ें या इस प्रदेश को छोड़ें, एक ही बात स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय में बाउंड किया है इसलिए और ज्यादा लम्बी बात न करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप इस बात की उनको रजिस्ट्री करवा देना क्योंकि वे तो इस समय हाउस में उपस्थित नहीं हैं।

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में जब आप इस महान् सदन के मैम्बर थे तब एक बात आपके साथ भी हुई थी। अपने इलाके की बात रखने का, अपनी दिक्कतों को बताने का, अपनी समस्याओं के समाधान का, हल्के के विकास के लिए जो काम

करवाना चाहते हैं उसके लिए हर सदस्य का अपना अधिकार है। उस वक्त आपने सड़कों के बारे में चर्चा की थी। आज इस महान सदन का कोई भी सदस्य अपने हल्के की बात कहने के लिए खड़ा होता है तो वह यह कहता है कि आज प्रदेश की सड़कें बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं। चाहे रिपेयर की बात है या नई सड़कें बनने की बात है, इस समय हमारे प्रदेश में हर प्रकार से विकास हो रहा है। उस वक्त आपका भी हक बनता था जैसे आज हम अपने इलाके की बात करते हैं आपने भी एक ही बात रखी थी कि मेरे हल्के बेरी की सड़कें बहुत खराब हैं उनकी रिपेयर की जाएं और नई सड़कें बनाई जाएं। उस वक्त श्रीमान् जी ने हाउस में खड़े होकर यह कहा था कि बेरी में तो गधों का मेला भरता है इसलिए सड़कें टूटी पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से उस व्यक्ति ने एक बहुत ही जिम्मेदार जगह पर बैठकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे ओछे और घटिया शब्द आएं, यह शोभा नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भी बिल्कुल सही और टिका हुआ जवाब दिया था कि बेरी में गधों का मेला तो भरता है लेकिन सिरसा और डबवाली से लंगड़े लूले गधे आते हैं उनकी वजह से सड़कें टूटी हैं। स्पीकर सर, आपने उन टूटी हुई सड़कों की रिपेयर की बात कही थी और आपको एक मिनट में ही सदन से निकाल दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की ओछी बातें मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा इस महान सदन में होती थी। इस प्रकार की बातें भर्त्सना करने के लायक हैं और ये लोग उसी के काबिल भी थे जिसके कारण जनता ने इनको नकारा और आज वे इस महान सदन में बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर प्रैस में कहते हैं कि सरकार के घोटाले उजागर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने झूठ बोलकर राज लिया और अपने राज में प्रदेश को बर्बाद किया, किसानों और दलितों पर क्या-क्या अत्याचार किये यह सब बातें किसी से छिपी हुई नहीं हैं। एक बहुत ही बढ़िया बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है और मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, ठीक है, अब आप सीट पर बैठें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार को और उनके वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसके द्वारा जो पहले की सरकारों के समय के बजट हैं, उनसे काफी लम्बी छलांग आगे मारी है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनंद सिंह डांगी पदासीन हुए)** सभापति महोदय, सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर इन्होंने तकरीबन दुगने पैसे का प्रोविजन रखा है। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया है कि वर्ष 2005-06 में हरियाणा के बजट में साढ़े बारह परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है। प्रतिव्यक्ति जो आय है वह 35 हजार रुपये से बढ़कर 38 हजार रुपये हो गई है। इस सारी बात के लिए मैं एक बार फिर मुबारिकबाद देता हूँ। इस बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यह आम आदमी आय नहीं है, यह खास आदमियों की आय है। यह फिगर बाकियों के लिए तो तकसीम के लिए बताया गया है। यह आय जो बजट में दिखाई गई है यह तो ऐसे व्यक्तियों की आय हो सकती है जिनकी 35 हजार, 35 लाख या 35 करोड़ की भी आय हो सकती है। चेयरमैन सर, जो गरीब आदमी और जो छोटे-छोटे लोग, किसान गांवों और शहरों में रहते हैं। उनकी इतनी आय नहीं है, उनकी तरफ इस सरकार को ध्यान देना

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

चाहिए। इस सरकार की तरफ से दो वर्षों में एक दर्जन के करीब कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और उन कीर्तिमानों को कोई भी सरकार अपने पांच सालों में स्थापित नहीं कर पाई थी। इन्होंने किसानों के बिजली के बिलों के 1600 करोड़ रुपये माफ किए, काले कानून के तहत ऋण न दे पाने पर किसानों की गिरफ्तारी की जाती थी उसको खत्म किया, किसानों और गरीब हरिजनों के लिए कर्जा निपटारा बोर्ड का गठन किया गया, किसानों और मजदूरों का ब्याज माफ किया गया, गन्ने के भाव में 21 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौत्तरी की गई, कृषि ब्याज की दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गय है। गेहूं पर 200 रुपये प्रति एकड़ और धान पर 50 रुपये प्रति एकड़ किया गया, भूमि अधिग्रहण मामले में किले के रेट को 5 लाख से बढ़ाकर 15 से 25 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है, फसलों के नुकसान पर दिए जाने वाले मुआवजे को दोगुना करना आदि काम सरकार द्वारा किए गए हैं। इसके साथ-साथ सरकार को हिसार, यमुनानगर और झज्जर में भी नए बिजली घर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन्दिरा गांधी जल वितरण प्रणाली के तहत लाखों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया है। दलित परिवारों को पीने का पानी देना, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी और छोटूराम यूनिवर्सिटी बनाना, भाखड़ा नहर से हांसी ब्रांच को जोड़ना और दादुपुर नलवी नहर बनाना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल को पास करना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक बार फिर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और उनकी सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय बहुत ही उदार है और साथ ही ये ईमानदार हैं। मैंने तीन चीफ मिनिस्टर्ज के साथ काम किया है और मैं उनके राज में मिनिस्टर भी रहा हूँ। इसके अलावा 1977 से 1980 तक लीडर ऑफ दि अपोजीशन रहा हूँ, लेकिन इतने बढ़िया काम कभी नहीं हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई छोटे से छोटा आदमी भी चला जाए तो उसकी बात ये बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अगर उसका काम हो सकता हो तो उसका वह काम करवाते हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद सुरजेवाला जी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं तीन मिनट ही बोला हूँ। मुझे थोड़ा और समय दें।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय यहां पर लिख कर गए हैं कि सभी को पांच मिनट ही बोलने के लिए दिए जाएं। आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गए हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। आप मुझे सिर्फ पांच मिनट और दे दें।

श्री सभापति : ठीक है, आप दो मिनट में कन्कलूड करें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता था कि हमारी सरकार को अभी बहुत सी बातें विकास के लिए और करनी हैं। जैसे फसलों की बीमा योजना है उसको पूरी तरह से लागू करना निहायत जरूरी है। आज किसानों की माली हालत बहुत ही खराब है। आज जो डीजल मिलता है, खाद मिलती है उनमें मिलावट है और उससे निपटने के लिए अब सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। बैंकों द्वारा जमीन की नीलामी के काले कानून को निरस्त करना और खत्म करना भी जरूरी हैं। इसी तरह से घरेलू खर्चों, शादी ब्याह के लिए गरीब

और दलितों को सस्ती दरों पर कर्ज देना भी बहुत जरूरी है। आल इंडिया किसान कमीशन ने सिफारिश की है कि किसान मजदूरों द्वारा आत्महत्याओं का सैंसस करवाया जाए। मुझे उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देश में सबसे पहले इसके लिए पहल करेगी। चेयरमैन सर, इस कमीशन ने यह मांग भी की है कि हर प्रान्त के द्वारा स्थाई राज्य कमीशन का गठन किया जाए। पंजाब ने इसमें पहल की है और मुझे आशा है कि हरियाणा भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। गरीब लोगों के स्वास्थ्य के बीमे की किश्तें सरकार को देनी चाहिए और यह कम्पलसरी होना चाहिए। बिना भूमि वाले लोगों को भी रिहायशी प्लाट देने चाहिएं। अभी तक कुम्हार बिरादरी के लिए तो स्पैशल प्रोविजन इसमें शामिल है लेकिन मेरा कहना है कि सभी दलितों को जो कि भूमिहीन हैं, उनको भी रिहायशी प्लाट मिलने चाहिएं। महिलाओं को भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। जात-पात रहित समाज सरकार को बनाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यूनिवर्सिटी में गांवों के केवल 6 प्रतिशत ही लड़के हैं और बाकी के लड़के सारे शहर से हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना की रिपोर्ट भी यही कहती है कि केवल सात प्रतिशत लड़के देहात के हैं और बाकी सब शहरों के लड़के हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यही फिगर्ज हैं। इसमें केवल तीन प्रतिशत लड़के ही गांवों के हैं और बाकी सब शहरों के लड़के हैं। चेयरमैन सर, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज की हालत भी इससे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे गांवों में जो स्कूल हैं उनमें साईंस या कॉमर्स वगैरह के जो भी विषय हैं उनका मीडियम हिन्दी है। अंग्रेजी मीडियम की गैर हाजिरी में हमारे बच्चे न तो अच्छे सबजैक्ट्स में, न अच्छे कॉलेजों में ऐडमिशन ले सकते हैं और न वे अच्छी नौकरियों के लिए कम्पीट कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह है कि बीस प्रतिशत आदमी ही इस देश के ऐसे हैं जिनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर रहे हैं और कम्पीट भी वही बच्चे करते हैं तथा ऐडमिशन लेने में भी यही बच्चे आगे हैं। चेयरमैन सर, आज देश में दो समाज बन गए हैं एक बहुत ऊँचा और अमीर समाज है जिसकी जी०डी०पी० हमारी सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार कहती है कि 9 प्रतिशत है और यह हम 10 प्रतिशत करेंगे, 12 प्रतिशत करेंगे लेकिन सच बात यह है कि जी०डी०पी० तो मुट्ठी भर लोगों की है बाकी लोगों के लिए तो यह झूठी तकसीम है। चेयरमैन सर, मैं आपकी इजाज़त से यह कहना चाहूँगा कि सरकार 80 प्रतिशत आबादी में वह क्षमता पैदा करे, जिसकी क्षमता से वह भी कम्पीटिशन में आगे आ सकें और इस देश में समाज की तरक्की में भागीदार बन सकें। चेयरमैन सर, इसमें टैक्नीकल विषय भी शामिल होने चाहिएं।

श्री सभापति : सुरजेवाला जी, आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : सर, मैं एक सैकिंड में अपनी बात बताने लग रहा हूँ। सर, सेहत के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का और सेहत के बारे में जो तीसरी रिपोर्ट आयी है, उनका भी कहना है कि हरियाणा उन 8 प्रान्तों में से है जिनके बच्चे स्टंटेड हैं यानी जब वे पैदा होते हैं तो उनका वजन कम होता है और इसी कारण उनको बीमारियां लग जाती हैं उनका कद पूरा नही बढ़ता। हालांकि उनको मौके नहीं मिलते लेकिन अगर मौके मिले तो भी वे दिमागी तौर से स्वस्थ न होने की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। चेयरमैन सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सिर्फ 5300 करोड़ रुपये का बजट रखा है, लेकिन यह बजट प्लान का है नॉन प्लान का बजट 13 हजार करोड़ रुपयों का है। चेयरमैन सर, एक करोड़ लोगों पर खर्चा

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

करने के लिए सरकार को अढ़ाई करोड़ रुपये प्रशासन पर खर्च करने पड़ते हैं। इससे भारी जुर्म और क्या हो सकता है? मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ कि प्रशासन को हल्का करना चाहिए, चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए। जो महकमे लोगों का शोषण करते हैं उन महकमों को तोड़ देना चाहिए। सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे प्लान पर ज्यादा रुपया खर्च हो और नॉन प्लान पर कम खर्च हो। सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर गांवों के लिए कम से कम एक-एक हजार करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए। इसके लिए चाहे किसी भी खर्च में कटौती करनी पड़े। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो सरकार लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती। जो बहुत ही अमीर आदमी हैं, जो बहुत साधन सम्पन्न हैं वे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लेने लग रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे लोगों की सरकार है। फिर भी मैं सरकार को वार्न करना चाहता हूँ कि पुराने ढर्रे की बात को छोड़कर नयी सोच सरकार को अपनानी चाहिए। इसके लिए बहुत ही लम्बी छलांग लगानी पड़ेगी। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों हमने अपने तौर से कैथल और भरवाना के अस्पताल में एक-एक ऐम्बूलैंस दी और दो ऐम्बूलैंस पी०जी०आई० में दी। इसी तरह से मैं अपने साथियों का भी आह्वान करता हूँ कि वे भी ऐसे ही कार्य करें ताकि जो लोग गरीब हैं, खर्च नहीं उठा सकते वे बीमारी की हालत में कम से कम अस्पताल में तो पहुँचाए जा सकें।

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : छोटे-छोटे कारखाने कोई इस प्रान्त में लगाना चाहें तो उसका स्वागत है लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि 5 करोड़ से फालतू जिनका रिटर्न है उसको एक अच्छा अस्पताल या एक अच्छा कॉलेज जरूर खोलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार नये तरीके से सोचेगी और लोगों के उत्थान के लिए छलांग मारेगी।

श्री सभापति : अब श्री धर्मपाल सिंह मलिक बोलेंगे। मलिक साहब, आपको बजट पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : श्री सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री जी ने बहुत ही संतुलित और बैलैंस्ड बजट पेश किया है। जिस ढंग से इन्होंने इस बजट को अलग-अलग विभागों में बांटा है, वह बहुत सराहनीय है। हर तरह से प्रदेश में विकास हो रहा है और प्रदेश की स्थिति हर वर्ष पहले से मजबूत होती जा रही है। पर कैपिटा इंकम के हालांकि सुरजेवाला साहब ने दूसरे मायने निकाले। लेकिन मेरे विचार में किसी भी प्रदेश का आर्थिक मजबूती का पैमाना पर कैपिटा इंकम हो सकती है उसमें हम देश में दो नंबर पर हैं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। सरकार ने बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं। मैं बजट के उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता था पर क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं समय की सीमा में रहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजों को छोड़कर कुछ चीजें मौके के आधार पर आपसे कहना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष के साथी एस०आई०एल० कैनाल के बारे में सीरियस नहीं है और आपने उदाहरण भी दिया कि पंजाब के चुनाव में उनके सामने जिस स्टेज पर बैठते थे उसी स्टेज से यह कहा जाता था कि इस पर हरियाणा का कोई हक नहीं है। इतनी बड़ी बात सुनकर भी वे चुप रहते थे। चुप रहने का मतलब 'हाँ' होता है। मैं इस बात के लिए चौटाला साहब की तारीफ भी करूँगा क्योंकि आदमी को अहसान फरामोश न होकर अहसान

मंद होना चाहिए। जैसे मैच फिक्सिंग होती है इसी तरह से उन्होंने पौलिटिक्स फिक्सिंग की हुई है। वे सरदार प्रकाश सिंह बादल के मकान में चण्डीगढ़ में रहते हैं जो उनको ऐज ए लीडर ऑफ दि अपोजीशन रैजिडैंस मिला हुआ है। आदमी को अहसान तो उतारना ही पड़ता है बगैर अहसान उतारे कैसे गाड़ी चलेगी। इसलिए उन्होंने फिक्सिंग की हुई है कि मैं तेरे प्रदेश में तेरा साथ दूँगा, तू मेरे प्रदेश में मेरा साथ देना। हरियाणा के लोगों के साथ जो बनेगी वह बनती रहेगी। इस बात से उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। इसलिए राजनीतिक आदमियों की आज समाज में प्रतिष्ठा इतनी डाउन हो गई है कि लोग यह समझने लग गये हैं कि ये तो सिर्फ मतलब की बात करते हैं, मतलब के अलावा समाज से और प्रदेश से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं हैं। इन आदमियों ने इस किस्म के हालात पैदा किए कि उनका रिफलैक्शन सारे राजनीतिक आदमियों पर दिखाई देता है। इसके अलावा जैसे हमारे वित्त मंत्री महोदय ने देहली से गुड़गांव के लिए मैट्रो रेल समझौते के बारे में जिक्र किया। इस बारे में आज सुबह मेरा एक प्रश्न भी था जो रिजैक्ट हो गया था because this matter is concerned with Central government. इसके बारे में मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि सोनीपत से दिल्ली सर्विस करने के लिए लगभग 50 हजार डेली पैसेंजर्स सुबह जाते हैं और शाम को वापिस आते हैं। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि इसके बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट से बात होगी तभी बात आगे चलेगी। इसलिए दिल्ली से सोनीपत के लिए मैट्रो रेल चलाने के बारे में भी सरकार द्वारा विचार किया जाए। एक रेलवे लिंक सोनीपत से रोहतक के लिए बनाने के लिए राज्य सरकार की रेलवे से बात हुई है जिसका खर्चा 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत खर्चा स्टेट गवर्नमैंट देगी। यह बहुत पुरानी मांग थी इस लिंक के बनने से वह पूरी हो जायेगी। ऐसा ही मामला सोनीपत से जीन्द तक के लिए रेल लिंक बनाने के लिए कई बार डिस्कस हो चुका है लेकिन बजट में इस बारे में कोई पैसा ईयरमार्क नहीं हुआ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को भी केन्द्र सरकार से व रेलवे से जल्दी टेक अप किया जाए क्योंकि यह बैकवर्ड इलाका है और इस लिंक के बनने से इन इलाकों के लोगों को लाभ होगा। जो नहरों के पानी के समान बंटवारे की बात सरकार ने की है उसकी मैं ताईद करता हूँ। पानी के बंटवारे की बात सरकार ने की है उसकी मैं ताइद करता हूँ। पानी के बंटवारे के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। यह मामला पिछले 40-45 सालों से चल रहा था। इसके लिए इरीगेशन मिनिस्टर कैप्टन अजय सिंह यादव की काबलियत और मेहनत की मैं सराहना करता हूँ कि इन्होंने अपने सब्जैक्ट पर अच्छा काम किया है। लेकिन इसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि हरियाणा को भी कई भागों में बांट दिया है कोई कहता है दक्षिणी हरियाणा, कोई कहता है उत्तरी हरियाणा, कोई कहता है पश्चिमी हरियाणा तो इस हिसाब से हमारा इलाका तो पूर्वी हरियाणा में आयेगा। इसलिए जो नई हान्सी-बुटाना लिंक नहर बन रही है उससे हमारे इलाके को बहुत फायदा होगा। मैं तो इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी स्टडी है हमारे इलाके में तो डब्ल्यू०जे०सी० नहर से पानी आयेगा जोकि ताजेवाला बैराज से आती है। रेनी सीजन में तो इस नहर का पानी बढ़ जाता है लेकिन बाकी दिनों में इसकी कैपेसिटी 2500 क्यूसिक्स ही रहती है जबकि इसकी कुल कैपेसिटी 13500 क्यूसिक्स की है। इसमें दो महीने तो पानी बढ़ जाता है बाकी के दिनों में काफी कम पानी रहता है। रेनी सीजन में जो फालतू पानी आता है वह समुद्र में चला जाता है। मैंने कई दफा गुजारिश की है कि वहाँ पर एक रिजर्वायर बनाना पड़ेगा उससे इस समस्या का काफी हद तक समाधान होगा। हम पिछले 40 साल से एस०वाई०एल० का झगड़ा कर रहे हैं कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया है। कानूनी पेचीदगियों में सारी बातें पड़ी

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

हुई हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस रिजर्वायर को बनाने के लिए भी इस बजट में कोई न कोई प्रावधान जरूर किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से बात हो गई है और प्रधान मंत्री जी को इस बारे में डिटेल दी गई है क्योंकि किसाऊ डैम को न तो उत्तराखण्ड सरकार बनाना चाहती है और न ही हिमाचल प्रदेश सरकार बनाना चाहती है। अगर यह डैम बन जाता है तो हरियाणा को 1.6 एम०ए०एफ० पानी डब्ल्यू०जे०सी० से मिलेगा, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है।

श्री सभापति : मलिक साहब, धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : सभापति महोदय, इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये। एक-दो बातें बहुत जरूरी हैं जिनके बारे में मैं सदन में कहना चाहता हूँ। मुझे गवर्नर एड्रैस पर भी बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार इण्डस्ट्रीज के लिए एम०सी०एल० बनाती है उसी तरह से किसानों के लिए भी एम०सी०एल० बनाये जायें। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि कृषि को भी इण्डस्ट्री घोषित किया जाये क्योंकि मैं जानता हूँ कि कृषि को भी इण्डस्ट्री घोषित कर दिया तो इस पर टैक्स लगना शुरू हो जायेगा। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इण्डस्ट्रीज का एम०सी०एल० सरकार बनाती है उसी तरह से किसानों के भी एम०सी०एल० बनाये जायें। जिन किसानों के पास एक या दो एकड़ जमीन है उनकी लिमिट कम कर दी जाये और जिनके पास पूरी जमीन है उनकी लिमिट अधिक बनाई जाये। इण्डस्ट्री की तरह जब किसानों की भी एम०सी०एल० बना दी जायेगी तो वे जब चाहे पैसे जमा करवा सकते हैं और जब चाहे निकलवा सकते हैं। अब यह होता है कि जब किसान दस हजार रुपये लोन लेने के लिए जाता है तो उसे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और दो हजार रुपये रिश्वत के देने पड़ते हैं तब जाकर किसानों को लोन मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन किसानों के पास जमीन है उन पर सरकार विश्वास करे और उनकी जमीन के आधार पर एम०सी०एल० बनाई जाये। सरकार इण्डस्ट्रीज को जब इस तरह की सुविधा दे रही है तो किसानों को इस तरह की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों की सभी फसलों का बीमा किया जाना चाहिए क्योंकि फसलें जब खराब होती हैं तो सारी एक साथ होती हैं। इसलिए सभी फसलों को बीमा योजना में शामिल करने पर वित्तमंत्री जी अवश्य विचार करें। सभापति महोदय, अब मैं ऐक्स-सर्विस मैन्ज के बारे में बात करना चाहूँगा।

श्री सभापति : मलिक साहब, ऐक्स-सर्विस मैन्ज के लिए बजट में काफी कुछ दिया हुआ है। अब आप वाईंड अप करें। ऐक्स सर्विस मैंज के लिए शराब भी सस्ती की गई है। प्लीज, आप बैठें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ। ऐक्स-सर्विस मैंज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग फौज में काम करते हैं उनको भी अपने प्रदेश में सिविल सर्विसिज में लाभ मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 20 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिस बने हुए हैं लेकिन सैक्रेटरी केवल चार

जगहों पर ही लगे हुए हैं, एक-एक सैक्रेटरी को कई-कई जगह का चार्ज दिया हुआ है। जिसके कारण से जब भी कोई ऐक्स सर्विस मैन अपना काम करवाने जाता है तो उसे कई दिन लग जाते हैं और कई-कई चक्कर भी काटने पड़ते हैं। इसलिए सरकार इस ओर भी ध्यान दे। इसके अतिरिक्त मिल्ट्री में जो लेडी हैं उनको भी रिटायरमैंट के बाद अपने प्रदेश में सिविल सर्विसिज में लाभ दिया जाये। धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 के लिए जो बजट सदन में पेश किया है वह बजट किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी और 36 बिरादरी के हितों को और भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है तथा इस बजट में वर्तमान और भविष्य को भी ध्यान में रखा गया है। सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार को बधाई देता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की कुछ मुख्य समस्यायें हैं उन पर भी गौर किया जाए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन और आग्रह करूँगा कि जैसे हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और कई जिलों को मैट्रो रेल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। मेरा हल्का भी दिल्ली बॉर्डर से लगता है और इस पर बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आयेगी। तो सबसे पहले बादली विधान सभा क्षेत्र से होते हुए झज्जर जिले को मैट्रो रेल सुविधा से जोड़ा जाये ऐसा करने से 4 हल्के बादली, झज्जर, बेरी और साल्हावास पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैट्रो रेल की सुविधा को बादली होते हुए झज्जर तक जोड़ा जाये। इसके अलावा बादली गाँव के अन्दर बस अड्डे की सख्त जरूरत है जिसकी जमीन बादली ग्राम पंचायत ने रोडवेज के नाम पहले ही करवा दी है। इस पर अवश्य विचार किया जाये। सभापति महोदय, नहरी पानी 30 साल में टेल तक पहुँचा है लेकिन कुछ छोटी-मोटी बाधाएं हैं 3 किलोमीटर खोद कर अगर आप इसको 8 नम्बर ड्रेन में डालकर वहाँ पर टेल बना देंगे तो मेरे हल्के के 7-8 और गाँवों को इसका लाभ मिल सकता है। सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे बादली गाँव के अन्दर एक धोखेबाज नेता जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसका नाम लेने से मुझे शर्म आती है, के द्वारा पत्थर लगाया गया था और यहाँ जिक्र भी आया था कि हमने जो पत्थर लगाये उस पर काम हुआ। जिसको उखाड़कर फेंक दिया और अब उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं। पहले मेरी जो खाप है गुलिया खाप और साथ लगते हुए जो गाँव हैं उन्होंने उस पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया और संकल्प लिया कि कॉलेज हम जरूर बनायेंगे। कॉलेज तो बन गया लेकिन उसके अन्दर बहुत कम सुविधाएं हैं तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उस कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने के लिए ग्रांट दी जाए और उसको सुचारू रूप से चलाया जाये।

श्री सभापति : आप इस बारे में लिख कर मुलाना साहब के पास भिजवा देना।

श्री नरेश कुमार प्रधान : ठीक है सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि बादली के अन्दर तहसील बनी थी लेकिन जो पिछली सरकार आई उन्होंने उसको तोड़ दिया। आज दरियादिली मुख्यमंत्री हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि बादली के अन्दर सब-डिवीजन बनाया जाये जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है कि कुछ नेता जो यहाँ सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और शर्माने की बजाय इतरा रहे थे। हरियाणा की राजनीति में ऐसे-ऐसे दौर आये कि कुछ नेताओं ने इतनी काली करतूतें की कि उनके पिता जी को यह कहना पड़ा कि यह मेरी औलाद नहीं है।

श्री सभापति : आप काम की बात कीजिए इन बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए।

श्री नरेश कुमार प्रधान : ठीक है सर, धन्यवाद।

आई०जी० शेर सिंह (जुलाना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे योग्य एवं अनुभवी वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 2007-2008 का बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलना चाहूँगा। हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी है, जनतंत्र है और जब भी हम सरकार बनाते हैं, सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं हुआ करती हैं। हरियाणा में भी वर्ष 2005 में जब सरकार बनी तो लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थीं और उन उम्मीदों पर हमारी सरकार खरी उतरी और आज यह एक रिकॉर्ड सरकार है, ब्रूट मैजोरिटी की सरकार बनी है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है इन सब बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है जब से यह सरकार बनी है तभी से सरकार जनता की आकांक्षाओं के प्रति आगे बढ़ रही है और मैं सारांश में यह कहना चाहूँगा that it is a visionary Budget, which reflects the aspirations, hopes and dreams of Haryanavis. It fulfills the requirements and basics of the people. All-out efforts, within the realm of available resources, have been made. The vision of this budget has translated Haryana into a number one State in a reality. चेयरमैन सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब से इस सरकार ने इस प्रदेश की बागडोर सम्भाली है तब से यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकार के दौरान जो बजट पेश हुए हैं मैंने वे बजट भी देखे हैं और जो अपनी सरकार के बजट हैं उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से पहला बजट, दूसरा बजट और अब यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया है इन सभी बजटों में जिस प्रकार से पैसे का प्रावधान किया गया है वह लोगों की आशाओं पर खरा उतर रहा है जो कि एक सराहनीय बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस प्रकार से इस सरकार का मैनेजमैंट है और जिस प्रकार से हमारी ग्यारहवीं योजना जो चालू होने जा रही है योजना आयोग ने हमारी उस योजना की सराहना की है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए 35,000 करोड़ रुपये दिये हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सरकार ने पिछले दो सालों से प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के विकास और उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की है। उदाहरणतय: प्रदेश में बिजली के वितरण को बढ़ावा देने हेतु कारगर कदम उठाना, किसानों और मजदूरों के कर्जे की मुआफी व उदारता बरतना और उनके सामाजिक कल्याण और उत्थान के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करना यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चेयरमैन सर, इस बजट में मैं देखता हूँ कि क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, मजदूरों और किसानों का सबसे पहले अगर किसी ने सब्जैक्ट उठाया है तो वह इस सरकार ने उठाया है और वह है पुरस्कार टू दि हरियाणवी। हरियाणा के शूरवीर चाहे वे खेतों में हों और चाहे सीमाओं पर हों या आन्तरिक सुरक्षा में हों, वे आगे हैं और उनके लिए जिस प्रकार से सरकार ने दिल खोल कर मदद की है मेरे विचार से पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह की मदद किसी भी सरकार ने शूरवीरों को नहीं दी होगी। चेयरमैन सर, मैं इस बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जब हमारी सरकार आई तो जिस प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सिस हैं जो लड़ाई के मैदान में अग्रसर रहती हैं और जिस प्रकार से आन्तरिक सुरक्षा में वे अपना योगदान देती हैं उसी प्रकार की एक सेना पैरामिलिट्री फोर्सिस की है। मैं तो यहां तक भी जोड़ना चाहूँगा

13.00 बजे

कि पुलिस इस प्रकार के मामलों में उलझी रहती है और वे या उनके बच्चे अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को क्या देना चाहिए, उस सहायता में बढ़ौतरी की बात भी मैं करना चाहता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सिज और अर्द्धसैनिक बलों के लिए 2001 में जो साढ़े सात लाख रुपये उसके परिजनों को देते थे, जो देश पर कुर्बान हुआ करते थे इस सरकार ने आते ही सबसे पहला कदम यह उठाया है कि ऐसे शहीदों को कुछ और रियायतें दी जानी चाहिएं। चेयरमैन सर, मैं तो यह भी कहूँगा कि पुलिस का कोई भी कर्मी इस तरह की घटना में चाहे डकैतों या असामाजिक तत्वों के साथ मुकाबला करते हुए परलोक सिधारता है तो उनके परिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी उसी प्रकार से बढ़ौतरी की जाए तो यह सरकार की एक और अच्छी बात होगी। चेयरमैन सर, जिस प्रकार से आर्म्ड फोर्सिस को सरकार ने पहचाना है और जो सीमाओं पर या कहीं भी रहते हैं उनके हौंसले को ऊपर उठाया है, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सिज हैं उनको भी परमवीर, परमविशिष्ट सेवा मैडल, अति विशिष्ट सेवा मैडल, विशिष्ट सेवा मैडल जो उनको मानदेय दिया है इसी प्रकार से डिस्टिंगविश या मैरिटोरियस सर्विस में इनको भी इन्कलूड किया जाए और इस में पुलिस महकमे को भी इन्कलूड किया जाए तो बेहतर होगा। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : चेयरमैन महोदय, सबसे पहले तो मैं भी वही कहता हूँ जो सभी लोगों ने सदन में कहा है कि यह बहुत ही बढ़िया बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्तमंत्री जी, सारी सरकार और सरकारी अधिकारियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से आज हरियाणा का सिर प्लानिंग कमीशन के सामने ऊंचा हो गया है और हरियाणा को इस साल के लिए उन्होंने 5300 करोड़ रुपये दिए हैं और 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, इनका बजट ऐसा दर्शाता है कि पर कैपिटा इन्कम इन्क्रीज हुई है लेकिन इस बारे में सुरजेवाला जी ने जो बात कही है, मैं भी उनसे सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये कागज देखते हैं तो बहुत खुशी होती है लेकिन जब फील्ड में, गाँवों में, देहातों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नजर नहीं आती है। हमारे करनाल, कैथल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और जीन्द के इलाकों में इम्प्लौयमैंट अपोरचुनिटी बहुत ही कम है। अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बावजूद और जमीन की कीमतों के बावजूद जो रोजमर्रा की इन्कम है उसमें हमारे इलाके में इजाफा नजर नहीं आता है। मेरा सुझाव है कि हरियाणा में जो एम०एन०सीज० लगी हुई है उनको परसुएड किया जाए कि वे अपनी ऐंसिलियरी यूनिट्स रिमोट एरियाज में लगाएं ताकि वहाँ के नौजवानों को इम्पलौयमैंट मिल सके।

स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को चाहे ऐक्स सर्विसमैन हों फ्रीडमफाईटर हों, महिलाएं हों, सरपंच हों, चेयरमैन हों, लम्बरदार हों सभी को बहुत से फायदे दिये हैं। मैं समझता हूँ कि जब सभी वर्गों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने पूरी उदारता दिखाई है तो विधायकों को भी कहीं न कहीं पर कंसीडर कर लें। विधायक जो हैं वे बहुत परेशान हैं। सैशन के समय में हमारे को ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिलती है। एम०एल०ए० होस्टल का तो पंचायत भवन से भी बुरा हाल है। मेहरबानी करके एम०एल०एज० के लिए जहां कहीं पर भी इन्तजाम करें वहां पर 90 फ्लैट्स चाहे छोटे हों वे ऐसे बनाएं ताकि हर एम०एल०ए० मान-सम्मान से रह सके।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो कहा है इस

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
बारे में इनको बताना चाहूँगा कि हमने एम०एल०ए० होस्टल को और असैम्बली को रैनोवेट करने का आदेश दे दिया है। नए फ्लैट्स बनाने के लिए हमने यू०टी० से जमीन मांगी है।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, मैम्बर्ज की भी कुछ जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी यह है कि आप वहाँ की चाबी लेकर उसमें ढंग से रहें। वहाँ पर ऐसे-ऐसे गैस्ट आ जाते हैं जो वहाँ पर हालात खराब कर देते हैं।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे एम०एल०ए० होस्टल में कमरा भी नहीं मिला है। मुझे पंचकूला में आखिरी किनारे पर कमरा दिया है और जहाँ से असैम्बली में आने के लिए आधे से पौना घंटा लग जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप वी०आई०पी० मैम्बर्ज में आते हो इसलिए रैस्ट हाऊस में कमरा दिया है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, यह सब की प्रोब्लम है और मैं उसको यहाँ पर दर्शाना जरूरी समझता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आप कन्क्लूड करें क्योंकि वित्त मंत्री जी ने भी जवाब देना है। मैं सभी मैम्बर्ज से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे डिमाण्डज पर बोल लें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, पानी की जो सुविधा सरकार ने सभी गांवों में दी है, वह बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जितनी भी असैंशियल सर्विसिज हैं चाहे वह पानी की हो, पैरा मैडीकल की हो, चाहे ऐजूकेशन की हो, ऐग्रीकल्चर की हो, पब्लिक हैल्थ की हो, जब तक वहाँ पर स्थानीय आदमी को नहीं लगाया जाएगा तब तक वहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। गाँवों में पानी की टूटी चलाने के लिए, पानी का टैंक चलाने के लिए बिजली की मोटर चलाने के लिए जो आदमी लगाया जाता है वह उनको चलाने के लिए 100 मील से आकर ठीक से काम नहीं कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर स्थानीय आदमी ही होना चाहिए ताकि जो फायदा यह सरकार गरीब आदमियों को देना चाहती है, वह उनको मिल सके। मुख्यमंत्री जी इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2010 तक बहुत बिजली मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए जो हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं उसको हमें पहले ही इम्प्रूव कर लेना चाहिए ताकि समय आने पर बिजली का सही वितरण हो सके। सरकार ने गरीबों के फायदे के लिए मार्किटिंग फैसिलिटी दी है मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्पीकर सर, पिछले पाँच सालों में जो मुख्यमंत्री थे वे मण्डियों में पैसा इक्ट्ठा करने के लिए जाया करते थे। हमारे आज के मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं इसी कारण आज हर मंडी में किसान की क्लीयरैन्स बहुत जल्दी हो रही है, जीरी के, गेहूँ के माकूल भाव उनको मिल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्ज भी उनके हो रहे हैं इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री जी, हमारे जखौली में एक सब यार्ड है जिसके बारे में आज सवाल भी लगा हुआ था। इस सब यार्ड से मंडियाँ चारों तरफ से बहुत दूर-दूर हैं एक तरफ तो पाई में है दूसरी तरफ राजौन्द में है और तीसरी तरफ कैथल में है। वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए इसको भी मंडी के तौर पर डिवैल्प किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ गोडाउन्ज भी हैं, जमीन भी अवेलेबल है और सब कुछ है इसलिए इस बारे में ध्यान दिया जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। स्पीकर सर, नहर का आउट ले बहुत बड़ा किया गया है।

इस बारे में वाटर कोर्सिज की लाईनिंग करने की भी सरकार की योजना है। मेरा सुझाव है कि जहाँ नहर के वाटर कोर्सिज की आप लाईनिंग करें तो यह भी देखें कि इसी तरीके से इसी तर्ज पर 15-20 साल पहले ट्यूबवैल्ज की नालियों की भी लाईनिंग हुआ करती थी जो ट्यूबवैल्ज के वाटर कोर्सिज हैं उनकी लाइनिंग करने से बिजली भी बचेगी और पानी की भी बचत होगी इसलिए इस बारे में सरकार ध्यान दे कि इंडीविजुअल ट्यूबवैल ऑनर्ज को वही सुविधा देकर, वही कैंसैशंज देकर अगर वह नालियां बनायी जाएं तो इससे स्टेट को भी फायदा होगा और नेशनल सेविंग भी होगी। स्पीकर सर, ऐग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया कीमतें दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और सभी वर्गों के प्रयासों से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक गेहूँ की कीमतें बढ़ाना शायद अनप्रैसीडैंटेड ही नहीं बल्कि एक अजूबा भी मैं इसको समझता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की लिमिट भी बढ़ायी है उसके लिए हम इनके बड़े आभारी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आलू की फसल ऐसी है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। इसमें तो पहले ही दिन दस बारह हजार रुपये एक एकड़ में लगा दिए जाते हैं इसलिए सरकार इस बारे में भी सोच विचार करे। जैसा मैंने कहा कि केन्द्र सरकार ने गेहूं के भाव बहुत बढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज ही मेरे हल्के के तीन-चार गाँवों में ओले पड़ गए हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने इतनी उदारता दिखायी है, सुओमोटो कन्सेशन कई चीजों के दिए हैं जिसके लिए ये बधाई के पात्र भी हैं, मुख्यमंत्री जी इसी तरह से अगर पांच हजार रुपये से और ज्यादा ये राशि बढ़ा देंगे तो शायद कुछ भरपायी हो जाएगी हालांकि पूरी भरपाई तो नहीं होती है लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा और मुख्यमंत्री जी को बड़ी भारी प्रशंसा भी मिलेगी। केन्द्र सरकार ने स्कूलों के लिए भी बहुत पैसा ऐलोकेट किया है। इसको मद्देनजर रखते हुए स्कूलों में मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमैंट भी हुई हैं, सैमेस्टर सिस्टम की बहुत सराहना हो रही है और गैस्ट टीचर लगाना तो एक रैवोल्यूशनरी जैसी बात है। आज हरियाणा के हर स्कूल में चाहे वह कितने ही रिमोटर्ज कौर्नर्स में क्यों न हों, पूरे टीचर्ज हैं इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की इन्प्रूमेंरेशन भी बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार का सराहनीय कदम है। स्पीकर सर, जब इतनी फाइनैंशियल आउट-ले आपने स्कूलों में की है तो मेरा कहना है कि कम से कम हर हल्के में दस-दस स्कूल अपग्रेड किए जाएं ताकि वहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ने में सहायता मिले। सरकार ने वजीफे वगैरह की बहुत सुविधा दी है मैं समझता हूँ कि यह अच्छी बात है कि गरीब हरिजन बच्चों को हर जगह वजीफे देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। गरीबी तो हर वर्ग में है इसलिए गरीबी के अंदर किसी प्रकार की जात-पात की या कोई और लाईन नहीं खिंचनी चाहिए। उसी तर्ज पर दूसरी जातियों के अंदर भी सरकार को ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो वजीफे वगैरह की सुविधा देनी ही चाहिए ताकि वे बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छी नौकरी में जाने का सपना पूरा कर सकें। जो बीकर सैक्शन्ज की वैलफेयर है उसके बारे में मैंने एक सवाल भी लगाया था। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत समस्या होती है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस तरह के महकमों को एक ही छत के नीचे लाया जाना चाहिए क्योंकि गरीबों में गरीब आदमी ही वहाँ पहुच पाता है लेकिन अधिकारी उसको दुत्कारते हैं कि इधर जा, उधर जा, जिसका नतीजा यह होता है कि बहुत सी चीजों से वह वंचित रह जाता है। स्पीकर सर, कहने को तो बहुत बातें थीं लेकिन अब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, अब आप बैठें, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर या डिमांड्ज पर बोल लेना।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्प्रूव किया है लेकिन स्पीकर सर, अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनके खिलाफ सी०बी०आई० की रेड हुई, जिनके घरों में बेशुमार शराब और रिवाल्वर व बंदूकों के कारतूस मिले। बड़ी हैरानगी की बात तो यह है कि वे लोग अभी भी तंत्र में हैं। जो बिगड़े हुए लोग हैं उनके आका उनको संरक्षण देते हैं। जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाईं। जिन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों को मुठभेड़ दिखाकर मारा। ऐसे लोग जहाँ तंत्र में हैं वहाँ जो पुराने समय के बिगड़े हुए लोग हैं और उन लोगों को आज भी संरक्षण मिलता है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को मात्र कुर्सी मेज देकर बैठाएं तो आप देखेंगे कि प्रशासन में कितना फर्क पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बजट पर चर्चा में अभी श्री राम किशन फौजी, अर्जन सिंह, सुखबीर सिंह फरमाना साहब, राधे श्याम शर्मा, नरेश मलिक, जौनपुरिया, भारद्वाज साहब, रणधीर सिंह, जय सिंह राणा साहब, ए०सी० चौधरी, दलाल साहब, गीता भुक्कल और अन्य बहुत से सदस्यों ने हिस्सा लेना था, मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को अब बजट की चर्चा में शामिल होने का अवसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब वित्त मंत्री जी ने जवाब देना है। अगर किसी मैंबर ने बोलना है तो कल डिमांड पर बोल लें। इसी प्रकार ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जो सदस्य जितना बोलना चाहेंगे, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। Thank you very much. Hon'ble Members, now, Finance Minister will give reply on the Budget Estimates for the year 2007-08.

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यगणों का आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने कि बहुत बड़ी संख्या में बजट पर अपने विचार प्रकट किये और अपने अनेकों सुझावों से हमें और भी बहुत कुछ बजट पर सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित किया। माननीय सदस्यों ने हरियाणा के विकास के लिए और बहुत से सदस्यों ने शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो मूलभूत ढांचा है उसको तैयार करने पर, सड़कों पर और जो भी विकास के कार्य हैं उनको किस प्रकार से किया जाए और कितनी कौन-कौन से क्षेत्र में आवश्यकताएं हैं, चाहे वह पीने के पानी की है चाहे सिंचाई के लिए प्रबन्ध की आवश्यकता है और चाहे बिजली की बात है, उस बारे में भी बहुत से सदस्यों ने बात उठाई। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए जो बिंदु हैं उन पर विस्तार से बाद में चर्चा करूँगा। पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय यह कहना चाहूँगा कि हमारे जो विपक्ष के सदस्य हैं, जिनको बजट पर हुई बहस में भाग लेना चाहिए था लेकिन जिस प्रकार का आचरण उन लोगों का रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने सदन की परम्पराओं और मान्यताओं का उल्लंघन करके सदन की मर्यादा को ठेस पहुँचाई। जिस प्रकार से कल उन्होंने गलतबयानी की कि हम बजट सैशन का पूरी तौर से बहिष्कार करते हैं। चौटाला साहब तो बजट सैशन में या किसी अन्य सैशन में आएं न आएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अपनी सारी टीम को भी अपने साथ ले गए। उनमें छह सदस्य ऐसे हैं, जो गरीब जातियों से हैं उनका कम से कम 15-20 हजार रुपये का नुकसान जरूर चौटाला जी कर गए। चौटाला जी के लिए तो 15-20 हजार रुपये कुछ मायने नहीं रखते पर जो सदस्य उनकी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी से चुनकर आये थे। उनको सदन की कार्यवाही में पार्टीसिपेट न करने देना शामिल न होने देना यह उस नेता की मानसिकता है, मैं तो यह कहूँगा कि उस पार्टी की वह मानसिकता को दर्शाता है और वह नेता यह समझता है कि हर आदमी अपने से ऊपर या बराबर

किसी को नहीं समझते, बल्कि सबको यह समझता है कि ये तो हमारी रियाया हैं ये तो हमारे सबजैक्ट्स हैं, ये तो हमारे नीचे रहने वाले लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बहुत से साथियों ने सवाल उठाये। यहाँ पर यह बात भी चली और बड़े मुखर होकर कहा कि चौटाला साहब को कोठरी में डाल देना चाहिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी के, जो अरबों रुपये की सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की है, हर शहर में बड़ी-बड़ी सम्पत्ति चाहे ट्रस्ट के नाम से चाहे अपने नाम से चाहे ऐसी सम्पत्ति जिसके बारे में मैम्बर्ज को किसी दूसरे को पता ही न हो। मैं तो यह कहूँगा कि यह तो इकोनोमिक ऑफैंस हो सकता है, लेकिन मानवीय अपराध जो उन्होंने किए हैं अगर उन सब की भी इन्क्वायरी कर ली जाए और मानवीय अपराधों में भी औरों को छोड़ दिया जाए तो जो उनके समय में उनकी पार्टी के एम०एल०एज० थे उनको पीटने की वारदातें थीं। मैं तो यह कहता हूँ कि इस बात की इन्क्वायरी करवाकर आप हरियाणा की जनता को बता सकते हैं कि यह वह आदमी है जिसकी प्रजातंत्र में, पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। उस आस्था का ही यह प्रतीक है कि लोगों में यह आम चर्चा थी कि यह तो अपने विधायकों को भी पीटते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस बारे में सबसे छोटी और सबसे कम समय में इन्क्वायरी की जा सकती है। यह इन्क्वायरी ऐसी इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह अमानवीय है और प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है क्योंकि वह आदमी जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते जो ओटोक्रेट हैं। चौटाला साहब खुद कहते थे जब पहले शायद दो-तीन महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे उस समय कहते थे कि उस मुख्यमंत्री को बनने का कोई फायदा नहीं जिसके नाम से डर के हरियाणा के हजारों आदमी रात को सोते समय चारपाई से उछलकर नीचे न पड़ें। उसका मुख्यमंत्री होना या न होना बेकार है जिस आदमी को इतना अहम् हो, जो यह कहे कि मैं तो इस सदन का परमानैंट सदस्य हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, न मुझे कोई बदल सकता है और इस से मुझे कोई नहीं उतार सकता। आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ पर आयेंगी तब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा वह तो हरियाणा के लोगों ने उसे सबक दिया यह तो ऐसा है जैसे उसने खुदा से बात कर रखी हो। यह उसकी घमण्ड की बात है। जिस तरीके से इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लेना यह हरियाणा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। विपक्ष की भूमिका अदा करना हमारा कर्त्तव्य है। हम भी कई बार विपक्ष में रहे हैं। वर्ष 1977 में एक समय तो ऐसा था कि हम चार ही सदस्य विपक्ष में थे जिनमें चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी और मैं खुद और एक चौधरी पोसवाल जी थे जो बाद में सरकार के किसी संस्था के चेयरमैन बन गए थे। यानि हम तीन ही सदस्य विपक्ष में रह गए थे। अगर उस समय का रिकॉर्ड हाउस का निकाल कर देखा जाए तो हम तीन सदस्यों ने विपक्ष की भूमिका को इतना निभाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बार तो हम ट्रेजरी बैन्चिज से ज्यादा टाइम लेकर अपनी बात कहते थे क्योंकि हम हाउस की मर्यादा में रहकर अपनी बात कहते थे। एक भी इन्सटान्स ऐसा नहीं होगा कि हमें उस समय नेम किया गया हो या सदन की कार्यवाही से हमारी बात को निकाला गया हो या कोई हंगामा हुआ हो। उस समय चौटाला जी के पिता जी चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र के मूल्यों को हमेशा संजोकर रखती हैं। लेकिन विपक्ष की पार्टी के लोग नहीं रख सकते। स्पीकर सर, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में 3-4 मुख्य चीजें होती हैं और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि all should get all opportunity हर आदमी को मौका मिले हर चीज करने का, उसका यह मौलिक अधिकार माना गया है। इसी के साथ-साथ दूसरों की ओपीनियन का भी आदर करना प्रजातंत्र में उतना ही आवश्यक है जितना अपना मत प्रकट करना है। इसी प्रकार से स्पीकर सर, यह जो प्रजातंत्र का ढांचा है इसमें विचारों की अभिव्यक्ति करना आदमी का सबसे

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

बड़ा अधिकार है। अगर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो इसकी बेहद मिसाल हैं जिस सदन में मैं नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आप उस सदन में सदस्य थे। चौटाला साहब उस समय विधायकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे यह सबको मालूम है। वे अपने विधायकों के साथ क्या बर्ताव करते थे उसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन जो विपक्ष के विधायक थे उनके साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था वह भी सबको मालूम है। किसी भी सदस्य को उस समय अपनी बात सदन में नहीं कहने दी जाती थी। उनकी सरकार के समय में विधायी कार्यवाही को दो दिन में निपटा डालना उनकी गैर प्रजातंत्रिक मानसिकता को दर्शाता है कि वे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे देश की 110 करोड़ की आबादी है उसमें जितनी जल्दी प्रजातंत्र प्रणाली में मेच्योर हुए हैं वे ब्रिटिश लोग भी उतनी जल्दी मेच्योर नहीं हुए, जहां से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी। यहां हमने बहुत सी चीजों को अपने ऊपर सहा है। आज जो 15 साल से एक नई विचारधारा चलकर आई है जिसके कारण कभी एन०डी०ए० की सरकार बनती है, कभी यू०पी०ए० की सरकार बनती है जो कि प्रजातंत्र का अपभ्रंश है, उसकी ऐबीविएशन है चाहे अपभ्रंश भी हो। लेकिन प्रजातंत्र की मान्यताओं पर कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है उसको कभी भुला नहीं सकते। आज भी केंद्र में यू०पी०ए० की सरकार है जो मान्यता के आधार पर जन साधारण के लिए काम कर रही है। जो गरीब से गरीब आदमी की तरफ देखकर कार्य कर रही है। चाहे बजट बनाने की बात हो या कोई लाभकारी बात हो जिससे गरीबों का जीवन स्तर बढ़े। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ मैं एक बात यह भी कहूँगा कि जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते उनके लिए ऐसा कानून भी होना चाहिए जिसके तहत उनको चुनाव लड़ने का अधिकार न मिले। जिस समय सदस्य चुनाव जीतते हैं उस समय सबसे पहले भारत के संविधान की शपथ ली जाती है कि जो मान मर्यादाएं प्रजातंत्र में हैं उनको निभाया जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथियों ने ऐसा नहीं किया। केवल यही बात नहीं है आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में इस तरह की मनोवृत्ति के लोग हैं उनको जब तक जनता में कंडम या तिरस्कृत नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे लोगों से देश के प्रजातंत्र को और देश की डेमोक्रेसी को खतरा बना रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं नक्सलवाद पर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नक्सलवाद पर सर्वे किया गया है। उस सर्वे के मुताबिक देश की आबादी का 34 प्रतिशत हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित है। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद की वह स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने से पहले नक्सलवाद से ज्यादा भयावह रूप प्रदेश में था। वह रूप सरकार स्पौंसर्ड था। किसी भी प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार ही अपनी संपत्ति को लुटाए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की बजाय उनमें असुरक्षा की भावना पैदा करें, उनमें कायरता पैदा करने के लिए एक ऐसा तंत्र कायम करें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस किस्म के एलीमैंट्स उभर कर आए कि हर तरफ लोगों का शोषण हो रहा था। यही नहीं उस समय मेरी कान्स्टीच्यूंसी में जिस किस्म से पांच साल इन लोगों ने शासन किया, वह आप सभी जानते हैं। उस समय इन लोगों ने गरीब आदमी को दबाने का, उनका शोषण करने का और उनके हकों पर डाका मारने का काम किया था। इस तरह से इन लोगों ने शांति प्रिय लोगों की शांति भंग करके उनके ऊपर मुकदमें भी दर्ज करवाये और ऐसे-ऐसे मुकदमें दर्ज करवाये, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि जितना सैक्शन 120 बी का जो दुरुपयोग पिछली सरकार में हुआ है वह इस बात का प्रतीक है कि अपने विरोधी जो राजनीतिक विरोधी हैं उन पर द्वेष की भावना रखकर हर राजनीतिक विरोधी को तंग किया गया, दंडित किया गया, यातनाएं दी गई और सैक्शन 120 बी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। उसी के परिणामस्वरूप मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में एक गाँव है वहाँ से पहली ऐसी झलक पैदा हुई, जिससे लगता है कि हरियाणा में भी नक्सलवाद का ऐलिमैंट कहीं न कहीं ऑप्रेट करता है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की दो साल की उपलब्धि है कि हमने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है जिसमें गुण्डे बदमाशों की जगह न हो, जिसमें लैंड माफिया की जगह न हो, जिसमें असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह न हो, जो कानून अपने हाथ में लेकर चलें उन राजनीतिक लोगों के लिए भी कोई जगह न हो और ऐसे लोगों की भी जगह न हो जो गुण्डे बदमाशों को संरक्षण देने की बात करें। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि अपनी पार्टी में भी आज ऐसा नेता अगर कोई हो जो गुण्डे बदमाशों को संरक्षण देने की बात करे तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उसका विरोध करूँगा और उनके राज में ऐसे लोगों को संरक्षण देकर हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ा गया। हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ की आबादी है और मैं यह नहीं कहता कि सारी जगह कानून व्यवस्था ठीक है, अमन चैन है लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार में विपक्ष का भी कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि किसी राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से हमने किसी गैर कानूनी, किसी एंटी सोशल ऐलीमैंट को कभी संरक्षण दिया हो और यही कारण है कि आज जो इनफैस्टिड थे जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट जीन्द जिला उन लोगों से ग्रस्त हो चुका था, जो एंटी सोशल थे, गैर सामाजिक तत्व थे अगर राजनीतिक लोगों का patronize रहा तो वे कभी भी शांति भंग कर सकते हैं। सर, मैं इसलिए यह कहता हूँ कि अब वह मामला जो प्रिविलेज कमेटी के पास है मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा लेकिन कुछ न कुछ example उदाहरण के रूप में हमें अपनी व्यवस्था को, हाउस की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह लगे कि हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वे सदन का बहिष्कार करें या चेयर पर aspertion करें। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही लेकिन फिर भी अगर वे ऐसा करते हैं तो उसमें दो बातें हैं। सर, एक तो यह कि चौटाला जी 2 साल हाउस के अन्दर नहीं आए। चौटाला साहब बोलने में, आर्टिकुलेट करने में बड़े तीक्ष्ण हैं। पहले दो साल नहीं आने का मतलब यह था कि शर्म आती थी और लोगों को फेस नहीं कर सकते थे, लोगों के सामने अपनी बात कह नहीं सकते थे किसी ने समझाया होगा कि 2 साल बीत गए कुछ तो करो तो आने का साहस जुटाया लेकिन बोलने का साहस नहीं जुटा सके और बोलने का साहस न जुटाने की वजह से शायद ऐसी रूपरेखा तैयार की होगी कि सदन छोड़कर चले जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि ऐसे अगस्त हाउस में ऐसी परम्परा का जो निर्वहन नहीं करते उनके लिए

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कुछ तो मापदण्ड हमें और आपको तय करने पड़ेंगे, अगर हमें प्रजातंत्र के अन्दर से गैर प्रजातांत्रिक सोच के लोगों को दूर रखना है। सर, उन लोगों ने हमेशा जाति-पाति की राजनीति की और उसी की वजह से और जैसा कि गौतम साहब ने कहा था कि मिल कर राजनीति की है।

श्री अध्यक्ष : मिलकर राजनीति करने का क्या मतलब है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, उनका मतलब था कि प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी और चौटाला साहब मिलकर राजनीति करते थे। मैं तो यह कहता हूँ कि हरियाणा में भी वह और उस किस्म की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जाति-पाति की नहीं मिलकर मैच फिक्सिंग जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच वूल्मर की मौत के बारे में अनेकों टिप्पणियां हो रही हैं तो आदमी जब पूरे डिप्रैशन में आ जाता है तो आत्मग्लानि होती है और उसके बाद कुछ बचता नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी राजनीति भी खत्म हो चुकी है। मैं यह कहता हूँ कि जो राजनीति के जन्मदाता थे जो एक-दूसरे की भरपाई करते थे, आज राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। इस राजनीति की नई शुरुआत का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और केवल बहुमत ही नहीं प्रचण्ड बहुमत मिला। उस सैक्शन ऑफ सोसाइटी का, उन लोगों का, जिनको ये लोग अपनी जद्दी जायदाद समझते थे और कहते थे कि यह हमारा वोट बैंक है वहां पर उनकी पकड़ नहीं रही। हरियाणा के किसान ने ओवर व्हेलमिंग ली कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया क्योंकि वे लोग पूरी तरह से ऐक्सपोज हो चुके थे और उनके कारनामें लोगों के सामने आ चुके थे। जो किसान समर्थक होने का, किसानों के मसीहा होने का बार-बार दावा करते थे उनके सारे दावे खोखले साबित हुए और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को प्रचण्ड समर्थन दिया। मैं मानता हूँ कि किसान के मन में कहीं न कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रति उतना जुड़ाव नहीं था जितना कि और लोगों का रहता रहा है लेकिन इस बार के चुनावों में वह बात बिल्कुल उल्टी साबित हुई। हमारी पार्टी जो प्रजातन्त्र के उसूलों पर थी, उसको लोगों ने भारी समर्थन दिया। स्पीकर सर, मैं तो यह भी कहता कि यह जो दस आदमी जीत कर आए (विघ्न) इनकी भी परतें अगर आप खोलो, इनकी भूमिका का पता लगाओ तो कहीं न कहीं ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे इसलिए जीत कर आ गए। अध्यक्ष महोदय, मान साहब के बारे में तो मेरी अपनी ऐनालिसिज है कि वे कांग्रेस के वर्कर हैं और मान साहब को कांग्रेस समर्थकों ने छोड़ा नहीं और ऐसे ही शकुन्तला जी भी हैं (विघ्न) ये सात हैं अच्छी बात है, ये नरेश जी, ये पंडित जी सभी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं जो जीतकर आए हैं। मैंने ये बातें सिर्फ इसलिए कही कि पंजाब का इलैक्शन अभी खत्म हुआ जिसमें यही सिम्पटम्स आपको नजर आएंगे। पंजाब के पीजैंटरी ने जिस कदर धर्मान्धता से हटकर डैमोक्रेटिक फोर्सिज को, इकोनोमिक प्रोग्राम्ज को आगे रखकर जो वोट दिया है वह सबसे बड़ा उदाहरण है। स्पीकर सर, मैं यह नहीं कहता कि कौन जीता, कौन हारा। हमारी पार्टी जीती या दूसरी पार्टी जीती लेकिन हम इसको कांग्रेस पार्टी की जीत मानते हैं। पंजाब के इलैक्शन के दौरान हमें इस बात का फख्र है कि हमारी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता और हमारी पार्टी के आर्थिक प्रोग्राम ने अकाली दल को मजबूर कर दिया कि अगर हम धर्म को लेकर चलें तो वोट हासिल नहीं कर सकते। मैं धर्म की बात तो नहीं करता लेकिन उनकी यह सोच रही कि अगर हम धर्मान्धता को लेकर चलेंगे तो हम पंजाब के इलैक्टोरेट को फेस नहीं कर सकते। पंजाब

के चुनाव के दौरान मैंने खुद पंजाब में घूम-घूमकर देखा कि जिन लोगों ने पचास साल तक कभी कांग्रेस की पार्टी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ा भारी मतदान किया। हम इस बात को जाति-पाति तोड़ कर और धर्म से हटकर आर्थिक मुद्दों पर वोट देने का उत्तरी भारत में पहला अवसर और उदाहरण मानते हैं and it will go a long way for the maturing of democratic process of this country, especially in the Northern India स्पीकर सर, मैं यह बात इसलिए कह रहा था कि आज जैसे हम धर्म से हटकर, जाति-पाति से हटकर, डैमोक्रेसी को मजबूत करने में लगे हुए हैं हमने उसी प्रकार का बजट बनाया है। उस बजट के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी स्टेट की जी०डी०पी० ग्रोथ पिछले साल वर्ष 2005-06 में 8.1 थी। इस बार यह बढ़कर 10.5 हो गई है जो नैशनल ग्रोथ से डेढ़ प्रतिशत ज्यादा है मैं यह इसलिए कहता हूँ कि आज मेरे पास पंजाब के बारे में आंकड़े आए हैं। पंजाब हमारा पड़ौसी राज्य है, राजनीतिक आधार पर हमारे से ज्यादा सजग है, कृषि का क्षेत्र उसके पास हमारे से ज्यादा है, वह हर फील्ड में हमारे से आगे था हम हमेशा उनके छोटे भाई रहे हैं लेकिन आज आर्थिक विकास में हम पंजाब को पीछे छोड़ चुके हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) जिसका उदाहरण यह है कि this year Punjab's GDP was just 6% as compared to the National GDP of 9% and as compared to Haryana's GDP of 10.5%. इससे बड़ा कम्प्लीमैंट हमारे लिए कोई और हो नहीं सकता है। मेरे पास पंजाब के कुछ रफली आंकड़े हैं। उनके बजट में टोटल रैवेन्यू रिसीट जो उनकी हैं उनसे लगभग 2000 करोड़ रुपये ज्यादा हमारी रिसीट्स हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब हरियाणा 1966 में बना था तो उस वक्त यह कहा था कि हरियाणा की सरकार अपने मुलाज़िमों को तनख्वाह भी नहीं दे सकेगी। स्पीकर सर, आज हमारी सरकार ने प्रदेश में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज हम जिस प्रगति की राह पर चल रहे हैं उस बारे में हमारे केन्द्र के फाईनांस मिनिस्टर श्री पी० चिदम्बरम जी ने एक 'A view from the Outside' नाम से किताब लिखी है। इसमें लिखा है कि - "Within side it is possible to say that the division of Punjab and Maharashtra were wise decision otherwise would Haryana and Gujarat have recorded such impressive development." These are the comments of the present Union Finance Minister of the country. सर, उन्होंने यह कहा है कि ये छोटी स्टेट जब हरियाणा बना था तो इस पर सवालिया निशान था और आज यह सबसे आगे हैं। स्पीकर सर, मैं यहां पर सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं करता हूँ आज जिस ग्रोथ को मैंने 10.5 बताया है असल में वह 15 प्रतिशत है। स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहूँगा कि एस०एस० सुरजेवाला जी ने इस बात को बहुत ही गम्भीरता से लिया है और मैं भी इनका पक्षधर हूँ। मैं भी आंकड़ों पर आधारित आर्थिक विकास को महत्व नहीं देता हूँ। I may be a Finance Minister but I have my own thinking. स्पीकर सर, आज हरियाणा में 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। स्पीकर सर, हमारी स्टेट की जी०डी०पी० में कृषि का शेयर पहले 56 प्रतिशत था जब वह घटकर 17-18 प्रतिशत पर आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में चिंता व्यक्त की है। आज मुम्बई के शेयर बाजार का सैंसैक्स 14000 का आंकड़ा पार करता है और हरियाणा के अंदर अगर जी०डी०पी० 10.5 परसेंट है तो इसका यह मतलब नहीं कि हरियाणा का जो गरीब आदमी है जिसको अपने ऊपर छत चाहिए, जिसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए वह उसको मिल गई या उसका जीवन स्तर बढ़ा है। स्पीकर सर, ये एरियाज हैं जो हमारे एरियाज ऑफ कन्सर्न हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की है कि- "We

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

need faster growth because, at our level of incomes, there can be no doubt that we must expand the production base of the economy if we want to provide broad-based improvement in the material condition of living of our population.... But growth alone is not enough if it does not produce a flow of benefits that is sufficiently wide-spread. We, therefore, need a growth process that is much more inclusive,... and which also ensures access to essential services such as health and education for all the communities." सर, जब प्राईम मिनिस्टर इस बात के पक्षधर हैं तो हमने भी यही सोचा कि हमारी प्राथमिकताएं बजट में क्या हों, आज से नहीं बल्कि जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सी०एम० का पद संभाला है, तब से लेकर आज तक हमने अपनी प्राथमिकताओं का सलैक्शन किया। दो साल हमें उनको एक ढांचा देने में लग गए और इस साल से हम यह चाहते हैं कि इन तीन सालों में जो ढांचा हमने तैयार किया है, जो प्राथमिकताएं हमने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए बनायी हैं उन पर हम इन अगले तीन साल में कार्य करके दिखाएं। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि आज का जो हमारा सिस्टम है उसके अगर हम अपने क्रियान्वयन की, अपने ऐग्जीक्यूशन की डबल स्पीड नहीं करते तो हम ये गोल अचीव नहीं कर सकते। सर, यह मैंने कहा है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें व्यवधान होता है, जिनमें रुकावटें आती हैं, जिनमें आधे मन से फैसले होते हैं। मैं यह चाहता हूँ और हम इस पर विचार भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है, उसको ठीक करें। स्पीकर सर, अभी पिछले दिनों में एक सिंगल फाईल सिस्टम चला था ताकि फाईल का निपटान जल्दी हो सके। लेकिन मैं यह बात नहीं मानता, मैं यह मानता हूँ कि सारे सिस्टम के अंदर हमें तबदीली लानी पड़ेगी। जो बात मुख्यमंत्री जी एक महीने पहले बोलकर जाते हैं अगर एक महीने बाद कोई ऐसी चीज नजर न आए जोकि उस घोषणा के अनुरूप हो रही है तो लोगों का विश्वास नहीं जमता। स्पीकर सर, वही काम अगर दो साल में पूरा होना है या दो साल बाद में शुरू होना है तो उन घोषणाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए अपने बजट भाषण में मैंने स्पष्ट कहा है कि हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को एफीशिएन्ट बनाना पड़ेगा। हमारा जो सिस्टम है उसको ऐफीशिएंट बनाना पड़ेगा। हमारे जो मापदंड हैं उनके मुताबिक फैसले करने में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसी प्राथमिकताओं के साथ हमें चलना पड़ेगा। स्पीकर सर, मैं इस बारे में एक किताब पढ़ रहा था 'Globalisation and its Discontents' ग्लोबलाइजेशन में यह बात आम आती है कि ग्लोबलाजेशन का ब्रौडली मतलब है कि प्राईवेटाइजेशन। सर, ब्रौडली तो इसका मतलब यही है। जिस आदमी ने किताब लिखी है वह व्हाईट हाउस के अंदर काम कर चुका है and he has been the author of privatization, he has been the author of liberalization but he does not agree whatever he suggested during his tenure in the White House. सर, उन्होंने खुद यह लिखा है कि - "There is also a growing recognition that there is not just one form of capitalism, not just one "right" way of running the economy. There are, for instance, other forms of market economies - such as that of Sweden, which has sustained robust growth - that have led to quite different societies marked with better health care and education and less inequality." आगे उसने लिखा है कि - "that have led to quite different societies marked with better health care and education and less inequality." हमारी थ्रस्ट यही है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो इनइक्वैलिटी गरीब और अमीर में है उसका फासला न बढ़े और उसके लिए ही हम प्रयासरत हैं। वरना तो जिस भी राज्य

में गरीब और अमीर का फासला बढ़ता है वह राज्य ग्रोथ में, डिवैल्पमैंट में कहीं खड़ा नहीं हो सकता। इसी का एक एग्जाम्पल बिहार प्रदेश का है। बिहार के अंदर जब इंडिया टुडे ने एक प्रोग्राम करके gradation किया कि कौनसी स्टेट नम्बर वन है कौनसी स्टेट नम्बर लास्ट पर है तो Bihar was graded at the bottom. लालू प्रसाद जी क्योंकि बिहार से थे तो उनको यह बात गंवारा नहीं थी। लेकिन सही बात यह है कि बिहार हो चाहे दूसरे हिस्से हों, जहाँ नक्सलवाद भी है जहाँ सभी चीजों की जो ओरिजिनेटिंग है, उत्पत्ति है वह डिस्पैरिटी से पैदा होती है। इनइक्वैलिटी से पैदा होती है। हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि समाज के हर वर्ग को उसके आर्थिक विकास के लिए छुआ जाए और वह हमने करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस दिन बजट आया और इस बजट में जो हमने सुझाव रखे, उन सुझावों की हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश भर के लोगों ने सराहना की है। अध्यक्ष महोदय, यह दिनांक 17 मार्च, 2007 का इकोनोमिक टाइम्स है इसकी 2-3 लाइनें आपको इस बारे में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ— "The Haryana Finance Minister's Budget for the year 2007-2008 has evoked positive reaction from all corners. Be it the various industries or the key industrial association, the budget has been given thumbs up. Various associations have appreciated the Government's move to lay emphasis on power, agriculture, education and health care." चौटाला साहब ने जो बढ़-चढ़कर बात की कि गरीब आदमी बैंकट हाल में जाएगा तो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की होटल इंडस्ट्रीज ने हमारे इस कदम का समर्थन किया है। बजट का कोई भी ऐसा पहलू नहीं, जिस पर हमने लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए न सोचा हो। हमारी सरकार के खिलाफ एस०ई०जेड० के बारे में बात आती है। मैं 12 मार्च, 2007 का अखबार इस बारे में पढ़ रहा हूँ—इसमें लिखा है कि— "Make SEZ easier to set-up, benefits more visible". बंगाल के चीफ मिनिस्टर या उनकी पार्टी जो अपने आप को श्रमिकों का पक्षधर कहते हैं और जो इंडस्ट्रियल पीस को डिस्टर्ब करने में एक मिनट भी नहीं लगाते हैं, वे भी आज अपने बंगाल में एस०ई०जेड० का समर्थन कर रहे हैं और वे भी श्रमिकों के इतने मिनिमम वेजिज बढ़ाने के बारे में फैसला नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने लाखों लोगों को संबोधित किया था। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमने मिनिमम वेजिज को 2400 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3510 रुपये कर दिया है। यानी सीधा 1100 रुपये का जम्प श्रमिकों को उनके वेतन में दिया है। वैसे यह हमारे लिए बड़ा ही कठिन फैसला था। लेकिन जिस तरह से 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफी करने का फैसला था उसी तरह इस फैसले को लेना हम अपना धर्म समझते थे। हमारी सरकार के इस फैसले से 3 हजार करोड़ रुपए का फायदा 4 लाख वर्कर्रों को जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर में और कम से कम 22 लाख गरीब लोगों को जो अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, उनको मिलेगा। उनके लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जेड० के बारे में भ्रामक प्रचार किया जाता है। कुछ लोग तो यह प्रचार हमारी पार्टी में ही बैठकर करते रहे हैं, कुछ पार्टी से बाहर करते हैं। मैं यह कहता हूँ कि हमारा क्रीटिसिज्म करें, लेकिन निराधार तथ्यों पर नहीं करें। यह बात मैं सदन के पटल पर कहता हूँ कि आज तक हरियाणा सरकार ने एस०ई०जेड० के नाम से एक भी एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं किया तो where we are at fault. हमारा कौन सा कसूर है ? किसी उद्योगपति को, किसी पूंजीपति को हमारे यहाँ एस०ई०जेड० बनाना है तो अपनी जमीन खरीद ले। चाहे वह एक लाख रुपये में खरीदे, बीस लाख रुपये में

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

खरीदे, एक करोड़ रुपये में खरीदे या दो करोड़ रुपये में खरीदे, यह उनकी अपनी सिरदर्दी है, यह हमारी सिरदर्दी नहीं है। जो सुविधायें हमने उनको देनी हैं, वह हम देंगे। अध्यक्ष महोदय, निराधार आरोप लगाना यह भी एक किस्म का राजनीतिक अपराध होना चाहिए। यह बेसिक बात है। राजनीति में हम झूठ बोलकर वोटर को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। पाँच साल तक वोटर इस बात को भुगतता है। स्विटजरलैंड ऐसा देश है जहाँ रैफरैंडम है। सरकार को बीच में ही वापस बुलाने का सिर्फ उसी देश में प्रावधान है। भारत में तो वोटर भ्रमित होकर गलत रास्ते पर पहुंच जाता है। जिन्होंने तथ्यों पर राजनीति नहीं करनी, सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है, किसी को प्रौसीक्यूट करना है तो बात अलग है। इसी तरह से पोलिटिकल फील्ड में कोई आदमी जिसकी कोई पोजीशन है। अगर वह गलत ब्यानी करता है, झूठ बोलता है तो उसको वही धारा लगानी चाहिए जो इकोनोमिक ऑफैंस में लगाई जाती है। सर, मैं अब बजट के उन तथ्यों को दिखाना चाहता हूँ जोकि किसी राज्य के लिए एक गौरवशाली बात होती है कि हमने क्या किया है। अभी श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने यह कहा कि जो हम एक करोड़ रुपया खर्च करते हैं उसके लिए अढ़ाई से तीन करोड़ रुपया तो आप तनख्वाहों में दे देते हैं। दरअसल इस के लिए मैं आपको फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नॉन-प्लान एक्सपैंडीचर है उसमें हमारे बजट का 19 हजार करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा है उसमें 14150 करोड़ रुपये तो नॉन प्लान एक्सपैंडीचर है उसमें से किन-किन चीजों पर हमें खर्चना पड़ता है सिर्फ मैं हाउस को सूचना देने के लिए यह बात कहना चाहता हूँ ताकि विपक्ष के साथी भी हमारी परेशानी और विवशता है, उसको सराह सकें। सरकार का 5304 करोड़ रुपया तो इम्पलाईज की सैलरी पर और जो पुराने इम्प्लाईज थे उनको पैंशन देने में खर्च हो जाता है। इसलिए इन 19 हजार करोड़ रुपये के बजट में से 5304 करोड़ रुपया तो सैलरी और पैंशन पर खर्च हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ पॉवर और ऐग्रीकल्चर की सबसिडी और दूसरी सबसिडी के लिए 3857 करोड़ रुपये देते हैं। इसके साथ जो हमारे कर्ज हैं उन कर्जों को जो हम सालाना ब्याज देते हैं वह है 2278 करोड़ रुपया। मैं सदन के नोटिस में यह लाना चाहता हूँ कि आज हमारे पास फण्ड की कोई कमी नहीं हैं। हम अपने 5300 करोड़ रुपये का जो सालाना बजट है उसको खुद फण्ड करना चाहे तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार यह कहती है कि नहीं आपको इम्प्लौइज प्रोविडैण्ट फण्ड से 1800 करोड़ रुपये लेना पड़ेगा और दूसरी स्माल सेविंग्ज का 1300 करोड़ रुपया तो लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुल 3100 करोड़ रुपये जो भारत सरकार हमें देती है और कहती है कि इस पर हमें 9, 9.5 प्रतिशत ब्याज का देना पड़ेगा। अगर यही पैसा हम मार्केट से उठायें या बौंडस की शक्ल में या वैसे लें तो वह पैसा 5-6 प्रतिशत ब्याज पर हमें मिल सकता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो 12वें फाईनैंस कमीशन ने रिकमैण्डेशन में स्वीपिंग की कुछ इजाजत दी थी, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे कर्जे हैं जो दस प्रतिशत से भी ज्यादा के हैं अगर स्वीपिंग करने की हमारे को और परमिशन मिल जाए तो उनको नीचे ला सकते हैं और इसी एक मद में हमें 500 करोड़ रुपये बच सकता है। लेकिन भारत सरकार यह कहती है कि जो इम्प्लौइज का प्रोविडैण्ट फण्ड है उसका जो 9, 9.5 प्रतिशत ब्याज है वह तो आपको देना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे? वे कहते हैं कि यह तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि केन्द्र के इम्पलौइज की यूनियन हैं उनका दबाव भारत सरकार पर है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमारी मजबूरियाँ हैं।

———

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for half an hour ?

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : The time of the House is extended for half-an-hour.

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो हमारी सम्पदाएं हैं, कैपिटल हैं, या डी०सीज० के ऑफिसिज हैं उनके रख-रखाव के लिए और उनकी ऐक्सपैंशन पर हम 715 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, इसके अलावा जो Grant-in-aid mainly for Educational Institutions हैं उनके लिए हम 2910 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इसके अलावा 1595 करोड़ रुपये हम जो 95% प्राईवेट कालेजिज हैं और जो गवर्नमैंट ऐडिड कालेज और स्कूल हैं उनको जो 95 प्रतिशत ग्रान्ट देते हैं उनके लिए 1595 करोड़ रुपये हमारे खर्च होते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 2006-2007 के मुकाबले इस वर्ष हमारी रैवेन्यू रिसीट्स बढ़कर 2171 करोड़ रुपये हो गई हैं। हमारे बजट अनुमान से यह 1300 करोड़ रुपये ज्यादा है। हमने सोचा था कि 680 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होगी लेकिन बढ़कर वह 2171 करोड़ रुपये हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो हमारे वर्ष 2007-08 के बजट एस्टीमेट्स हैं वे 1149 करोड़ रुपये सरप्लस होने का अनुमान है यानी कि हरियाणा में पिछली कई सालों के बाद पहली बार प्रदेश का बजट सरप्लस होगा। (इस समय मेजें थपथपाई गई) लेकिन एक बड़ी अनफोर्च्यूनेट बात हुई कि हमारी जो कैग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा है कि वर्ष 2003-04 के दौरान पिछली सरकार ने 2022 करोड़ रुपये पॉवर यूटीलिटीज को उनका एरियर क्लीयर करने के लिए दिया। वह पैसा उनके वर्ष 2004-05 के बजट में मैंशन होना चाहिए था लेकिन उन्होंने वह पैसा अपने किसी भी बजट में मैंशन नहीं किया। जिसका परिणाम यह निकला कि वह पैसा अब हमें अपने बजट में दिखाना पड़ रहा है। अगर वह खर्चा हम बजट में नहीं दिखाते तो हमारा बजट 1700 करोड़ रुपये के करीब सरप्लस होता। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी कामयाबी जो हमें मिली है इसका मेन कारण यही है कि जब से हमने प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से हमने यही कोशिश की है कि हम अपने राज्य को प्रगति की दिशा दे सकें और आगे बढ़ायें। पिछली सरकार भी प्रगति की दिशा तो देती थी लेकिन वह पहले अपने घर को भरने के लिए और चहेतों को आगे बढ़ाने की प्रगति को दिशा देती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर आधारित एक बात कह रहा हूँ कि चौटाला साहब का जो तेजाखेड़ा फार्म हाउस है उसके साथ-साथ बादल साहब का भी फार्म हाउस है। आज से सात साल पहले बादल साहब के फार्म हाउस की बाउंडरी वाल तीन करोड़ रुपये की कौस्ट से बनाई गई थी और पिछले कुछ साल पहले 9 करोड़ रुपये की लागत से चौटाला साहब के फार्म हाउस की बाउंडरी वाल बनवाई गई है। जो लोग अपने घरों की चार दीवारियों पर इतना पैसा लूटकर लगा देते हैं वे जनता का भला कहाँ कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें कोई गुरेज नहीं होता यदि वे अपनी सरकार आने पर जनता की भलाई के लिए काम करते। लेकिन जो रीजनल पार्टियाँ अपने लोगों की भावनाओं से खेलकर राज कायम करके इस तरह पैसा कमायें और अपनी सुविधायें अर्जित करना, महल खड़े करना यह

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कोई राजनीति नहीं है। स्पीकर सर, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि जरूरत है इस बात को सोचने की क्या पोल्टीकल झूठ बोलना अपराध नहीं है, यदि अपराध है तो उस अपराध के लिए कोई सजा पा सकता है, अगर सजा पा सकता है तो क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। These are the basic issues which should be addressed. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये लोग प्रजातंत्र के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी समस्यायें और कुछ सुझाव हमें दिये हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पॉवर डिपार्टमैंट के बारे में जो कि हमारा एरिया ऑफ कन्सर्न है जिसके बारे में लोग हमारे से चर्चा करते हैं उसके बारे में मैं जरूर यह चाहूँगा कि सर, आज उस पर भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और अगर मैं यह कहूँ कि सरकार की नीयत का ही परीक्षण कर लिया जाये उस पर ही कोई शोध किया जाये तो हमने 2 साल में खुद यह महसूस किया है कि ऊर्जा जो है वह हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तीन बातें हैं एक तो यह कि कोई भी अगर यह कहे कि हम एक साल या डेढ़ साल में या दो साल में स्टेट को बिजली के मामले में सरपल्स कर देंगे तो वह बिल्कुल झूठी और निराधार बात है। दूसरे यह कि हमारे प्रयास कितने रंग लेकर आते हैं कितना उन प्रयासों का रिजल्ट हमारे को मिलता है, हमने जो प्रयास किये हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 4 हजार मैगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन तो हमने अपने राज्य में करने का ढांचा तैयार किया है और आपको पता है कि यमुनानगर का जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी पहली यूनिट अक्तूबर, 2007 तक शुरू हो जायेगी और दूसरी यूनिट फरवरी, 2008 तक पूरी हो जायेगी। इसी तरीके से हिसार के अन्दर 1200 मैगावाट क्षमता के पॉवर प्लांट के लिए सब कुछ तैयार है और काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा झज्जर में भी 1500 मैगावाट के प्लांट के निर्माण पर काम चल रहा है। माननीय सदस्यों को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अब आप अपनी स्टेट में क्या जनरेट करते हैं यही मापदण्ड नहीं रहा है, मुद्दा यह भी है कि आप कितना बाहर से अवेल कर सकते हो। पिछले दिनों जब हमारे ऊर्जा मंत्री श्री विनोद शर्मा थे तब एक मीटिंग में यह बात आई कि आज भी अगर हम कोशिश करें तो 3-4 हजार मैगावाट बिजली शॉर्टेज होती है तो इस्टर्न स्टेट से भी हम पॉवर ड्रा कर सकते हैं लेकिन जो North Grid है उसकी कैपेसिटी 1200, 1500 मैगावाट से ज्यादा लेने की नहीं है और 1200, 1500 मैगावाट वह लेंगे तो यू०पी० को भी देंगे, पंजाब को भी देंगे, हरियाणा को भी देंगे, दिल्ली को भी देंगे तो शेयर घटकर वही 200, अढ़ाई सौ या 300 मैगावाट बचता है। हमने northern grid को, नैशनल ग्रीड को strengthen करने के लिए भी कोशिश की है ताकि हम वहाँ से भी पॉवर ड्रॉ कर सकें। इसके साथ-साथ सर, 1400 मैगावाट के करीब जो मेगा प्रोजैक्ट हैं जो कि दूसरे राज्यों में स्थापित हो रहे हैं जैसे मध्यप्रदेश के अन्दर बिल्कुल जो कोल हैड है उसके ऊपर स्थापित हो रहे हैं वहाँ से भी हमें 1400 मैगावाट बिजली की उम्मीद है और उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है और साथ ही साथ 770 मैगावाट हमने प्राईवेट लोगों से भी जो कि बिजली बेचते हैं, उनसे भी टाई अप किया है और इसके अलावा 3 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत से 700 मैगावाट जो non-conventional energy, renewable energy है उनसे भी हमारे एग्रीमैंट साईन हुए हैं और ये सारे जो प्रयास हैं इसके साथ-साथ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने जो गैस बेस्ड पावर प्लांट फरीदाबाद का है उसकी एक यूनिट चलती है दूसरी यूनिट 432 मैगावाट की चलनी थी। एक समय ऐसा

था सर, आज से 7-8 साल पहले यह लगता था कि इस देश के अन्दर गैस की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन एक दम से यह समस्या पैदा हो गई कि गैस मिलनी बंद हो गई। तो इस वजह से उस यूनिट पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि 432 मैगावाट की गैस बेस्ड यूनिट गैस की उपलब्धता न होने के कारण जिस पर सवालिया निशान लग गया है, उसके लिए जिस किस्म के प्रयास ईरान से वाया पाकिस्तान और दूसरे कतार से जो गैस लाने के भारत सरकार के प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रोजैक्ट भी पूरा होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अकेले पॉवर सैक्टर में 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हम ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा पावर जैनरेट करने पर खर्च करेंगे जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान होगा जिससे हमें उम्मीद है कि 11वीं पंचवर्षीय में इस टारगेट को हासिल करके हम हरियाणा को पूरी बिजली देने में तथा सरप्लस राज्य का दर्जा देने में कामयाब होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने यह भी कहा कि फरीदाबाद में जो तीन यूनिट्स 180 मेगावाट के हैं जो पुराने हो गए हैं या ओब्सोलीट हो गए हैं और जिनकी मशीनरी ओब्सोलीट हो गई है इसलिए उन यूनिट्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इनसे पौल्यूशन होता है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार इसके बारे में गम्भीरता से सोच रही है और यह बात बहुत एडवांस स्टेज पर है। इस यूनिट को कहीं बाहर शिफ्ट करने की बात हो सकती है जिसके प्रयत्न में हम लगे हुए हैं जिससे फरीदाबाद में पर्यावरण को भी इम्प्रूव किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं एग्रीकल्चर के बारे में भी पांच मिनट का समय लूंगा। इस समय एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि 65 परसैंट से ज्यादा की आबादी खेती तथा खेती-बाड़ी पर निर्भर है। हमारी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है वह अब भी 2.3 या 2.4 प्रति एकड़ हुई है जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने बार-बार यह बात कही है कि जब तक हम 4 प्रसैंट के ग्रोथ रेट को अचीव नहीं करेंगे तब तक ऐग्रीकल्चर क्राईसिज़ रहेगी और किसान की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर स्ट्रैस करने के लिए मैंने अपने बजट में दो बातें कही हैं। एक तो हरियाणा के साईंटिस्ट्स को खासतौर पर जोरदार काम करना होगा। स्पीकर सर, आप स्वयं एच०ए०यू० से डॉक्ट्रेट की डिग्री लेकर आए हैं और आप भी इस बात को मानेंगे कि साईंटिस्ट्स कैसा परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि इस फील्ड से आप स्वयं जुड़े रहे हैं। स्पीकर सर, पिछले करीब 12 साल से वहाँ पर कोई ऐसा सीड डिवैल्प नहीं हुआ जिससे हम कह सकें कि हमने किसानों के लिए एक अच्छा सीड डिवैल्प किया है, अभी सरसों की फसल के लिए हमने कोई फ्रोस्ट रैसिस्टैंट तैयार नहीं किया। एक-आध जो बीज आया है वह सफीशियेंट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गन्ने की बात ले लीजिए, व्हीट की बात ले लीजिए, पैडी की बात ले लीजिए, ये ऐसे फील्ड्ज हैं जहां इम्प्रूवड सीड्ज़ की जरूरत हैं। बॉयोटैक्नोलोजी में जो यह बात आ गई है कि अगर हम इस पर पूरा ध्यान देकर बॉयो-टैक्नोलोजी के माध्यम से अगर सीड में इम्प्रूवमैंट करें तो किसानों की जो यील्ड है वह बढ़ेगी ही नहीं बल्कि बढ़कर डबल और ट्रिपल भी हो सकती है जिससे किसान की आर्थिक अवस्था सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि डब्ल्यू०टी०ओ० को-आपरेटिव्ज जो कहते हैं कि अपनी सबसिडी कम करें और दूसरी तरफ उनके अपने देशों में जो डिवैल्पड कण्ट्रीज हैं वहाँ पर सबसिडी 300 परसैंट से लेकर 1000 परसैंट तक है (विघ्न) वे लोग किसान के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि चार रुपये किलो टमाटर पैदा करो और 40 रुपये किलो का रेट हम से लो। स्पीकर सर, आज केवल हरियाणा

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

ही नहीं बल्कि इस चीज की सारे देश के किसानों को जरूरत है। बॉयो-टैक्नोलॉजी की मैथड से या सीड की डिवैल्पमैंट करके, जैनेटिक बैरियरज को तोड़ कर उसके लिए सीडज की डिवैल्पमैंट की जाए ताकि जो उसकी खेती है वह उसके लिए लाभकारी हो सके या फिर उसको पर्याप्त सबसिडी दी जाए। सबसिडी के बारे में हमारे ऑनरेबल फाईनैंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम ने अपनी स्पीच में यह बात कही है कि इनडायरैक्ट सबसिडी भी किसान के लिए लाभकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसानों को डायरैक्ट सबसिडी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस हाउस को इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने कॉटन के बीज पर किसानों को डायरैक्ट सबसिडी देने का निर्णय लिया है (इस समय मेजें थपथपाई गई)। हमने सरसों के बीज पर भी डायरैक्ट सबसिडी देने का निर्णय लिया है और हमने यह तय किया है कि 800 रुपये प्रति क्विंटल सरसों के बीज पर हम सबसिडी देंगे। स्पीकर सर, इस प्रकार से हमने 2000 रुपये प्रति क्विंटल के सरसों के बीज पर यानि 25% subsidy per quintal of the market price will be given as given on the seed of cotton. किसान कहीं से भी ले आए और हमें वाऊचर दे और पेमेंट लेकर चला जाए। हमने यह सब किसानों की रक्षा करने के लिए किया है। हमारे केन्द्र के फाईनांस मिनिस्टर श्री पी० चिदम्बरम ने फर्टिलाइजर पर डायरैक्ट सबसिडी देने की जो बात कही है, उस पर भी काम पूरा हो रहा है, अगर यह हो जाता है तो 32,000 करोड़ रुपए की सबसिडी फर्टिलाइजर पर दी जाती है वह किसान को डायरैक्ट मिलेगी। हम भी इस बात के पक्षधर हैं। इसके दो तरीके हैं कि या तो किसान को डायरैक्ट सबसिडी देकर लाभान्वित किया जाए या किसान को मिनिमम स्पोर्ट प्राईस दी जाए। आज प्रदेश के लोगों ने इस बात का स्वागत किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इनीशिएट हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने लिया था उन्होंने नैनीताल में पहली बार कहा था कि यू०पी०ए० की सरकार को मिनिमम स्पोर्ट प्राईस के कंसैप्ट को रैवेल्यूशनाइज करना चाहिए, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। इसी विचारधारा के चलते आज किसान को गेहूँ का मूल्य 650 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ की खरीद की कीमत तय की है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। मैंने जो चर्चा शुरू में की थी कि इन बातों को पंजाब का किसान बहुत एप्रिशिएट करता है। पंजाब के किसान ने जो कांग्रेस को मतदान किया उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका श्रीमती सोनिया गांधी जी की रही है क्योंकि उन्होंने नैनीताल में किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको चेताया था उससे पंजाब के किसान ने यह सोचा कि हाँ कांग्रेस की एक ऐसी नेता है जो किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों की बात करती है, किसानों के प्रोफैशन के बारे में चाहती है कि वह दूसरों के मुकाबले में आगे खड़ा हो इसलिए उन किसानों ने कांग्रेस को मतदान किया है। हमारा जो मूलभूत ढांचा है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उसके लिए भी हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक फंड क्रिएट किया है, उसमें जो प्राइवेट डिवैल्पर्स हैं, कौलोनाईजर हैं या HUDA है और HSIDC है, वे भी वहाँ पर अंशदान देंगे, सरकार भी उसमें अंशदान देगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होना है वे उनके माध्यम से भी खर्च किया जाएगा। स्पीकर सर, हमारा जो 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजैक्ट सड़कों, ब्रिजेज और रेलवे ओवर ब्रिजेज (ROB) के लिए अकेले ही पी०डब्ल्यू०डी० महकमे का रखा है। इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि हरियाणा का जो मूलभूत ढांचा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है उससे विदेशों के लोग भी आकर्षित हों और हरियाणा उनके लिए आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बने। स्पीकर सर, जब भी मैं

अपनी बात करता हूँ, सुरजेवाला जी ने जो बात कही थी मैं उस बात का भरपूर समर्थन करता हूँ। स्पीकर सर, सिर्फ सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव की डिवैल्पमैंट से सारा हरियाणा डिवैल्प नहीं हो जाता है। अगर डिवैल्पमैंट करनी है तो हमें हर शहर को और हर गाँव को डिवैल्प करना होगा और वहाँ पर उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी। अब जैसे यहाँ पर राम कुमार गौतम जी बैठे हुए हैं उन्होंने अपने नारनौंद की 2-3 सड़कों के बारे में कहा कि उनकी रिपेयर होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी जगहों पर डिवैल्पमैंट होना चाहिए। (विघ्न) ये मुख्यमंत्री जी की मामी के गांव के हैं और मेरी चाची के गांव के हैं। गौतम साहब ने जो बात नहीं कहीं पहले मैं वह आपको सुना देता हूँ। The road from Narnaund to Kheri Jalab has recently been upgraded under Pradhanmantri Gramin Sarak Yojana. This road is 12 feet wide. इसको चौड़ा करके इसकी स्ट्रैंथनिंग करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, यह एक मुख्य सड़क होगी। जब यह सड़क खेड़ी जालब तक बन जायेगी तो मैं कोशिश करके इसको उचाना खुर्द से होते हुए नरवाना तक ले जाऊंगा। (विघ्न) स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने इनकी दोनों सड़कों को बनाने के लिए मोहर लगा दी है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे मेजर बात इनकी है वह यह है कि जो इनका हाँसी टाऊन है वहाँ तक एक सड़क को भी वाईड-अप करने का हमारा प्रोग्राम है। यह सड़क जींद-हांसी रोड होगी। अकेली इस सड़क पर ही 18 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इससे ज्यादा ये और हमें क्या लूटेंगे? (विघ्न) सर, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। मैं इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो करूँगा ही कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर एक ओवर ब्रिज था वह बी०ओ०टी० बेसिज पर हमने बनवा लिया था। इस पर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आयी थी। अगर शहर के शहर में धार्मिक स्थल पर लोग टोल टैक्स देकर जाएंगे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? पता नहीं यह सोचा क्यों गया? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर घोषणा कर दी कि इस ओवर ब्रिज के लिए कोई टोल टैक्स लोगों पर नहीं लगेगा क्योंकि यह धार्मिक स्थली है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप तो हरियाणा के हैं इसलिए आपको तो 90 हल्कों की बात करनी चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा। हमारे जो प्रायोरिटीज के एरियाज हैं वह हैल्थ, ऐजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इरीगेशन भी आ गया, बी० एण्ड आर० (पी०डब्ल्यू०डी०) भी आ गया और पॉवर भी आ गया। हैल्थ में हमने बहुत ज्यादा प्लान का साईज रेज किया है। वर्ष 2007-08 में 581 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा 124 करोड़ रुपये जिनको हमने बजट में नहीं दर्शाया हैं, आर०सी०एच० स्कीम के तहत हैल्थ डिपार्टमैंट को मिलेंगे। सर, स्वास्थ्य भी हमारी एक प्राथमिकता है इसलिए इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। इसी तरह से चाहे डिसप्रपोर्शनेट सैक्स रेशो की बात थी या चाहे लैपरोसी के बारे में बात थी या दूसरे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें पिछले साल में हैल्थ केयर में हमने इम्प्रूवमैंट की है और लगभग 300 से ज्यादा डिलीवरी हट्स कायम किये हैं जिसमें 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। अब यह संख्या बढ़ायी गयी है। स्पीकर सर, किसी प्रान्त के इतिहास में ऐसा नहीं होता होगा कि पिछले साल डिलीवरी हट्स 23 परसेंट थे और अब यह 46 परसेंट इकट्ठे एक ही साल में उपलब्ध हैं। इसलिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि यह एरिया भी हमने कवर किया है। सर, एजुकेशन भी हमारी प्राथमिकता है लेकिन इसमें मैं यह जरूर कहूँगा कि ऐजुकेशन के अन्दर हम जितना ज्यादा काम कर सकें, उतना कम है।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

यही मेरे साथियों ने भी विचार व्यक्त किए हैं। सही बात तो यह है कि आज दुनिया जो है वह एक परिवार है। ग्लोबल विलेज का जो कंसैप्ट आया है उसमें we cannot remain in isolation. We will have to compete with the top brass of the world in the field of life. उसके अन्दर हम यह जरूर कहेंगे कि अभी जो हमने निश्चय लिए हैं क्वालिटी एजूकेशन के, गुणवत्ता से भरपूर शिक्षा के, उन कदमों को नापने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें सारे हाउस के प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। अभी यह बात चल रही थी और बहिन जी कह रही थीं कि हमारे जो अपने साथी हैं। हमारे जो अपने वर्कर हैं वे कई बार प्राथमिकताओं से हटकर बात करते हैं। बात यह है कि हम उन लोगों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि आपकी मेरिट हमारे को ले बैठेगी। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम शिक्षा में मेरिट नहीं रख सकेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं तो यह चाहता हूँ कि इसके बारे में आज दुनिया में एक आवाज है कि अगले दस साल के अन्दर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु के युवाओं की है। दूसरी जो बात है जिसका हमारे को बैनीफिट हुआ है वह यह है कि हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जिसका कि अंग्रेजी पर कंट्रोल है। दुर्भाग्य से हम अभी भी इस शिक्षा में पीछे हैं। फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसके हजारों बच्चे अमेरिका में इंग्लिश टीचर हैं और ढाई लाख से लेकर तीन लाख तक प्रति माह वेतन लेते हैं। हमारी अंग्रेजी की शिक्षा इतनी अच्छी होती तो हमारे यहाँ के युवाओं को भी ऐसा मौका मिलता। फिलीपींस के बारे में यह है कि They are the worst teacher and they are not good teachers of English लेकिन क्योंकि यह संपदा हमारे देश में नहीं है, इस किस्म की पढ़ाई के लोग नहीं हैं। जहाँ तक हम गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं उसके लिए हमने एजूसेट नैटवर्क की शुरूआत की है जो बच्चों को डायरैक्ट पढ़ाएगा, चाहे रिमोट एरिया में हो, चाहे शहरों में हो। यह एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। लेकिन अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देने के लिए हमें अंग्रेजी को प्राथमिक स्कूलों में प्रायोरिटी पर पढ़ाना शुरू करके करनी पड़ेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजी के टीचर्ज भर्ती करके वहां शिक्षा देनी शुरू करनी पड़ेगी। जो कि हमारा लक्ष्य है। वीशियस सर्कल है हम कहते हैं कि अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं है कि पहले वाले शिक्षक उस स्तर से शिक्षा नहीं दे सके। इस वीशियस सर्कल को देने के लिए कोई न कोई काम हमें करने होंगे। गुड़गांव और भिवानी में जोरदार तरीके से हम काम कर सके। मैं कहता हूँ कि यह सबसे बड़ा प्रायोरिटी सैक्टर है। हमारे बजट का 3 हजार करोड़ रुपया हम सिर्फ शिक्षा पर लगा रहे हैं जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। पिछले बजट से इसमें शिक्षा पर 86 परसेंट की इन्क्रीज है। जो हमारा प्लान बजट है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by half an hour ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by half-an-hour.

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अब मैं इरीगेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। एस०वाई०एल० कैनाल पर जो बवाल उठते हैं यह सिर्फ वोट की राजनीति से प्रेरित बातें हैं। एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे से ज्यादा हमारे को सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने हरियाणा के लोगों को गुमराह किया उनकी इस नई सोच पैदा करने के लिए तैयार करना पड़ेगा ताकि आगे गुमराह न कर सकें। क्योंकि वे फिर से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि किसाऊ और लखवार डैम अगर हम यमुना पर बना देंगे जो कि 50 साल पहले कन्सीव हुए थे लेकिन उन डैमज की लोकेशन ऐसी थी कि ये डैम बन पाये इसके लिए न तो हिमाचल की सरकार ने प्रियोरिटी दी और न ही उत्तराखण्ड की सरकार ने इस काम को प्रियोरिटी दी और न ही केन्द्र सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। क्योंकि दिल्ली और दिल्ली की सरकार तो यह समझती है कि हरियाणा से तो पानी हम वैसे ही ले लेते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और कभी हाई कोर्ट के माध्यम से। सर, फिर यह बात कहना चाहता हूँ कि जो एस०वाई०एल० कैनाल का प्रचार करते हैं उनसे कोई यह पूछे कि लखवार और किसाऊ डैम महत्वपूर्ण हैं या नहीं। अगर इन डैमज की हाईट को डेढ़ या दो मीटर बढ़ा दिया जाए तो इन दोनों डैमज से इतना पानी हमें मिल सकता है जितना पानी हमें एस०वाई०एल० कैनाल से मिलना है और इससे डब्ल्यू०जे०सी० सिस्मटम में पानी की बिल्कुल ही कमी नहीं रहेगी। साउथ हरियाणा और दूसरा एरिया जो अब तक पानी से वंचित रहा था, वहां पर भी पानी की कमी नहीं रहेगी। मैं कर्ण सिंह दलाल की एक बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि गुड़गांव कैनाल के नाम से जिसमें इतना पॉल्यूटिड पानी आता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, बिल्कुल काला पानी जिसको जानवर भी नहीं पी सकते। यह पानी जब फसलों में जाता है तो उन फसलों को नुकसान पहुँचाता है। सर, इस समस्या का समाधान यह है कि हम प्राथमिकता से किसाऊ डैम को बनाने का कार्य भारत सरकार से टेक अप करें। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि अगर भारत सरकार हमें इस डैम को बनाने की इजाजत दे दे तो हम तो इस डैम को बनाने का खर्चा वहन करके इसका काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात को प्राथमिकता से करे। हमने तो अभी यह काम कौशल्या नदी पर 515 करोड़ रुपये का डैम बना कर दिखाया है। इसी प्रकार से 2000 क्यूसिक पानी की जो नहर निकलेगी उस पर 350 करोड़ रुपये लगेंगे। दादुपुर-नलवी नहर को बनाने के लिए हमने इस नहर के प्रोजैक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये निकालकर रख दिए हैं यह सरकार की दो साल की उपलब्धियां हैं मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन प्रोजैक्ट को भारत सरकार अगर प्राथमिकता दे पायेगी तो आने वाले 50 सालों तक हरियाणा में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। यह मेरी अपनी मान्यता है। इसी प्रकार गुड़गांव नहर को गुड़गांव शहर को पीने के पानी देने के लिए बनाने की आवश्यकता है क्योंकि गुड़गांव का आधार तेजी से बढ़ रहा है। मैं सदन को यह बात बताना चाहूँगा कि यह इनीशिएटिव अभी शुरू हुआ है। नहीं तो वर्ष 1994 में चौधरी भजन लाल जी ने यमुना वाटर एग्रीमेंट किया था और उस समय भी यह कहा गया था कि इसको प्रियोरिटी से बनायेंगे। वे भी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं क्योंकि हमने उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं, उसके बाद कोई काम नहीं किया उसके बाद दो मुख्यमंत्री और आये लेकिन इन बातों पर कोई गौर नहीं किया गया। सिर्फ बातों से पानी की आवश्यकता पूरी नहीं होती। बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं कर देंगी, बल्कि भाईचारे को भी बढ़ायेगी। हरियाणा और पंजाब के

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

क्षेत्रों में जो दुराव पैदा हम राजनीतिक लोगों ने कर दिया है, उस दुराव को खत्म करेंगी। ताकि हम आपस में बैठकर एस०वाई०एल० कैनाल के पानी के बंटवारे की बात आपस में बैठकर कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ हम चाहते हैं कि दूसरी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वे भी उसी तरीके से हों जिस तरीके से एस०वाई०एल० कैनाल के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं म्यूनिस्पिल कमेटीज हैं और म्यूनिस्पिल कारपोरेशन के बारे में कहता हूँ क्योंकि म्यूनिस्पिल कार्पोरेशन तो एक ही है और दूसरी भी संस्थाएँ हैं जिनके कर्मचारियों को 7-8 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती थी और पैंशनरों को डेढ़-दो साल में पैंशन नहीं मिली थी। पिछली सरकार के समय में म्यूनिस्पिल कमेटीज की हालत यह हो गई थी कि जैसे गारबेज के स्थान पर बना रखे हों। हमने उस पद्धति को बदला है और पिछले साल 197 करोड़ रुपये म्यूनिस्पिल कमेटीज को सरकार ने पहली बार दिया है। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश की म्यूनिस्पिल कमेटीज में कर्मचारियों को या पैंशनरों को पहले की तरह तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। अब सभी को समय पर तनख्वाह दी जाती है। 12th फाईनैंस कमीशन से 50 करोड़ रुपये और 157 करोड़ रुपये एल०ए०डी०टी० से म्यूनिस्पिल कमेटीज को विकास कार्यों के लिए दिया है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी कहा है कि आपके शहर में कोई भी ऐसी योजना है चाहे सीवरेज की है, सड़क की है या लाईट और बिजली की है उसके लिए भी पैसे दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट से संबंधित माननीय सदस्यों ने जो-जो बातें उठाई हैं उनके बारे में जवाब देना चाहूँगा। माननीय सदस्य के० एल० शर्मा जी ने कहा कि—"Budget should be a revenue deficit." यह सही बात है। यह इस बात को इंडीकेट करता है कि अगर बजट डैफिसिट में है तो Budget is development-oriented लेकिन fortunately, we are doing the both things, we are surplus as well as we have increased our size of plan from Rs. 3300/- crores to Rs. 5300/- crores and still we are surplus. इसलिए हम तो इसके लिए हरियाणा के लोगों का और करदाताओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नई सोच के साथ यह मान लिया कि हरियाणा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है और यही कारण है कि आज कर देने वाले लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी उपलब्धियों का मापदण्ड है जिससे हम यह कह सकते हैं कि हमारे समाज के हर वर्ग से हमारा रियेलाईजेशन है और रिसर्च मोबिलाइजेशन है। रिसर्च मोबिलाइजेशन के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमेटी ही बनी हुई है बल्कि वह कमेटी हर दूसरे-तीसरे महीने अपनी मीटिंग भी करती है और लोगों से भी मिलती है। रैवेन्यू का महकमा कैप्टन साहब के पास है। दो साल पहले 570 से 600 करोड़ रुपये के करीब रैवेन्यू एकत्रित होता था जो अब बढ़कर 1800 करोड़ हो गया है यानी कि 300 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी रैवेन्यू रिसीट्स में हमारी सरकार के समय में हुई है। यह तभी संभव हो पाया है जो एफर्ट्स हम उस कमेटी के माध्यम से करते रहते हैं। इसके अलावा महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने जो बात कही थी उसका जवाब भी मैंने दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से साथियों ने बिजली के बारे में अपनी बात रखी है। श्री नरेश यादव जी ने कहा कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है रेवाड़ी के अन्दर उसको मजबूत करने की जरूरत है और जो पब्लिक हैल्थ के कनैक्शन हैं वह नहीं दिये जा रहे हैं उनके बारे में मैंने यह बात पहले भी बताई है कि 21531 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ पावर की ट्रांसमिशन को, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को और पावर जनरेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो लेटैस्ट गजट

है जिसकी चर्चा यहाँ कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी की। हमने ऐसा भी प्रावधान किया है कि जिससे चोरी बन्द हो सके। इसके दो हल हो सकते हैं, एक तो हाई टैंशन वायर से कनैक्शन करना और दूसरा केबल को जमीन के नीचे से करना, आज के अखबार में भी इसकी चर्चा है। हम मानते हैं कि 700 करोड़ रुपये का नुकसान हमको पावर लौस की वजह से होता है। आप उसको ट्रांसमिशन लौस कह लीजिए या चोरी कह लीजिए। दो करोड़ रुपये डेली का नुकसान होता है तो उसको दुरूस्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ हमारे एक सदस्य ने पूछा कि सी०एस०टी० जो 4 परसेंट थी वह 3 परसेंट हो गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने फैसला कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली वैट की इन्ट्रोडक्शन के बाद सी०एस०टी० बिल्कुल खत्म होनी है लेकिन हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। लड़ाई क्यों लड़ी मैं यह बताना चाहता हूँ क्योंकि अकेले मारुती से हमें 400 करोड़ रुपये का सी०एस०टी० मिलता है और हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक हिन्दुस्तान में 29 स्टेट्स में से सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ प्रोडक्शन यूनिट सबसे ज्यादा हैं तथा सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ, जब 4 परसेंट सी०एस०टी० खत्म हुई। उससे 2 हजार करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हरियाणा को उठाना पड़ा और अब जब एक परसेंट कम हुआ तो साल का 550 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करने के लिए हमने भारत सरकार को कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी और जब ऊर्जा मंत्री विनोद शर्मा जी थे उन्होंने भी इसके बारे में मीटिंगें अटैंड की हैं। उसमें हमने कहा that we are the loosing State जिनमें कुछ पैदा ही नहीं होता उनको तो फायदा ही फायदा है, हम कहाँ से भरपाई करेंगे तो मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि जो सर्विस टैक्स है जिसमें अभी तक शायद 76 आईटम थे उनको भारत सरकार ने और बढ़ा दिया है इस बजट में और हमारे को यह अंडरस्टैंडिंग दी गई है और इनके माध्यम से जो सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसमें से कुछ हिस्सा हमारा निर्धारित करेंगे जिससे कि हमारी भरपाई हो सके या फिर दूसरा कोई पैकेज हमारे को दिया जाये। इस बारे में हमने पूरी कोशिश की ताकि हमारा कोई नुकसान न हो। एक घोषणा तो मैं यह करना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटीज में लाईसैंस लेने के लिए जैसे रेहड़ों का लाईसैंस लेने के लिए, रिक्शा का लाईसैंस लेने के लिए, साईकिल रिक्शा का लाईसैंस लेने के लिए ये हॉकर्स हैं जो छाबड़ी लगाकर बेचते हैं उनके लिए और दूसरे जो animal travel vehicle हैं उन पर किसी पर लाईसैंस बनवाने के लिए दस रुपये फीस, किसी पर 15 रुपये, किसी पर 20 रुपये किसी पर 30 रुपये और किसी पर 6 रुपये फीस भी थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि इसकी मैं घोषणा करूं कि अब लाईसैंस तो बनवाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक रुपया देना पड़ेगा। दूसरे सर, मैं यह घोषणा करना चाहता हूँ कि हमने अपने बजट में भी यह कहा था कि जब तक हम पॉवर डैफिसिट हैं तब तक हम ऐसे जो साधन हैं जिनसे कि पावर को हम कंजर्व कर सकें, पावर को सेव कर सकें। स्पीकर सर, ऐसे साधनों को हम कन्सैशन देंगे जो बिजली को सेव कर सकते हैं। लाईट के जो बल्बज़ हैं उनकी जगह पर सी०एफ०एल० का इस्तेमाल करेंगें क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता है कि नॉर्मल बल्ब जितनी बिजली कन्जयूम करता है सी०एफ०एल० उससे आधी बिजली कन्जयूम करती है। सर, इस तरह के कण्ट्रीज़ भी हैं जिन्होंने ऑर्डिनैंस जारी कर दिए हैं कि छः महीने के अन्दर अपने सारे बल्बज़ चेंज कर दें और वहाँ पर सी०एफ०एल० का इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट्स बड़े ही ऐनकरेजिंग आए हैं इसलिए इस पर और जो इनवर्टरज़ और दूसरी चीजें हैं जो पावर बैक अप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन चीजों पर हमने साढ़े बारह परसैंट की जगह पर चार परसैंट

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

वैट लगाने का फैसला किया है क्योंकि ये चीजें पावर को कन्जर्व करने में बहुत मदद देंगी। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ इससे सम्बन्धित जो दूसरी चीजें हैं उनको भी हमने इसी कैटेगरी में डाला है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल में दूसरी जो चीजें हैं 135 करोड़ रुपये का लाभ अपने व्यापारियों को, अपने किसानों को, अपने कन्जयूमर्ज को दिया है। इसी तरह से टिम्बर पर भी हमने वैट साढ़े बारह परसैंट से कम करके 4 परसैंट किया है जिसके कारण हमारे व्यापारियों को बड़ा रिलीफ हुआ है क्योंकि इस फील्ड में हमें दिल्ली के साथ मुकाबला करना पड़ता है। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताऊँगा कि हरियाणा के अन्दर प्लाईवुड की बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। प्लाईवुड इण्डस्ट्री केवल हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश की एक प्राईम इण्डस्ट्री है। स्पीकर सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण आधी से ज्यादा प्लाईवुड इण्डस्ट्री को बन्द करने का हुक्म हो गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सन् 2000 के बाद जो प्लाईवुड इण्डस्ट्री लगी है वह नहीं चल पायेगी और उनको बन्द कर दिया जाए क्योंकि ये गैर-कानूनी हैं। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा ऐम्पावरड कमेटी के सामने अपना केस प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी होगी और अरजन सिंह जी, आपको भी इस बात की खुशी होगी कि कोर्ट ने सारी की सारी इण्डस्ट्री रिस्टोर कर दी हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई)। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को मानते हुए प्लाईवुड इण्डस्ट्री को रिस्टोर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोशिश की है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप मैं अपनी बात कहूँ। यह बजट बहुत ही प्रगतिशील बजट है। ग्रोथ के साथ-साथ प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, सरदार मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने एक बात की तरफ इशारा किया है कि 9-10 per cent growth will not create other problems. स्पीकर सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह जो हमारी 10.5 परसेंट की ग्रोथ है इसके साथ ही साथ गरीब आदमी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनके लिए इसको प्रोवाइड कराने तक ले कर जाएंगे ताकि वे भी आर्थिक नीति में भागीदार बन सकें, यही प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। स्पीकर सर, मैं इस महान सदन के मान्यवर सदस्यों से यह जरूर कहूँगा कि यह बजट सारे प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता के लिए हितकारी है इसलिए मैं उनका समर्थन चाहूँगा और नीतियों को इम्पलीमैंट करने तथा जनहित के लिए सरकार सदा सजग रहेगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

वर्ष 2007-08 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2007-2008 will take place.

As per the past experience and in order to save the time of the House, all the demands for grants (Nos. 1 to 25) on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand

but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion while speaking.

That a sum not exceeding **Rs. 14,79,69,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 1—Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 274,43,94,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 2—General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 886,64,74,000 for revenue expenditure and Rs. 40,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 3—Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 333,68,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 4—Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 60,86,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 5—Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 1257,52,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 6—Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 40,04,32,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 7—Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 614,39,48,000 for revenue expenditure and Rs. 591,00,85,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 8—Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 2911,97,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 9—Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 967,38,13,000 for revenue**

[Mr. Speaker]

expenditure and Rs. 714,10,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 10—Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 269,55,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 11—Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 113,20,42,000 for revenue expenditure and Rs. 14,76,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 12—Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 1108,68,79,000 for revenue expenditure and Rs. 6,99,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding **Rs. 33,40,73,000 for revenue expenditure and Rs. 1622,81,73,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 14—Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 2989,77,89,000 for revenue expenditure and Rs. 1363,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 15—Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 96,68,94,000 for revenue expenditure and Rs. 1,31,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 16—Industries.**

That a sum not exceeding **Rs. 463,02,28,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 17—Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 167,30,62,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 18—Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs. 16,80,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 19— Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 156,96,91,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 20—Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 728,19,24,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 21—Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 84,24,10,000 for revenue expenditure and Rs. 18,14,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 22—Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 751,08,75,000 for revenue expenditure and Rs. 94,58,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 23—Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,83,86,000 for revenue expenditure and Rs. 8,80,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 24—Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 187,03,70,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.**

प्रो० छत्रपाल सिंह (घिराय) : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सप्लीमैंट्री ग्रांट पर बोलने का समय दिया। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं फूड एंड सप्लाईज की डिमांड नम्बर 14 पर बोलना चाहता हूँ। उस पर फाईनांस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि they will take the required things to the door of the poor people. इसमें जो मिट्टी का तेल है वह 5 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है लेकिन उन गरीब लोगों को 3 लीटर या 2 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको उनके हिस्से का पूरा मिट्टी का तेल देने का प्रावधान किया जाए।

स्पीकर सर, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 15 का जिक्र करना चाहूँगा। इस बारे में पॉवर मिनिस्टर से कहूँगा कि the Power Minister under the head of Irrigation, should clarify under

[प्रो० छत्तरपाल सिंह]
what circumstances the amount of Rs. 2022,29,00,000/- was not reflected in the year 2004. Still it is not clarified.

स्पीकर सर, इसी के साथ-साथ मैं डिमाण्ड नम्बर 21 के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सदन में एच०आर०डी०ए० का बिल लेकर आई है, यह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस डिमांड में देहातों की डिवैल्पमैंट के लिए इनीशियल स्टेज पर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह अमाउन्ट बहुत ही कम है इससे देहातों की डिवैल्पमैंट नहीं हो सकती है। मेरा फाईनांस मिनिस्टर से निवेदन है कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से छत्तरपाल सिंह जी को बताना चाहूँगा कि 25 करोड़ रुपये सिर्फ सीड के लिए हैं बाकी रिसोर्सिज का प्रावधान अलग किया है।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, उसमें कितना किस के लिए है यह फाईनांस मिनिस्टर जी अपने जवाब में बता देंगे।

अब मैं डिमाण्ड नम्बर 23 पर कहना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट द्वारा प्राईवेट सोसाइटीज को बसें चलाने के लिए रूट दिये जाते हैं, इस बारे में बहुत सारी कम्पलेंटस हैं कि वे बस ऑप्रेटर उन रूट्स पर बसें कभी चलाते हैं, कभी नहीं चलाते हैं। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे इस तरफ ध्यान दें ताकि वे रैगुलर उनके रूट्स पर बसें चलाएं। धन्यवाद।

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, आपने खुद यह कहा था कि डिमाण्ड्स पर और ऐप्रोप्रिएशन बिल्ज पर कल डिस्कशन होगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is--

That a sum not exceeding **Rs. 14,79,69,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 1—Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 274,43,94,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 2—General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 886,64,74,000 for revenue expenditure and Rs. 40,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 3—Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 333,68,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will

come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 4—Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 60,86,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 5—Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 1257,52,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 6—Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 40,04,32,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 7—Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 614,39,48,000 for revenue expenditure and Rs. 591,00,85,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 8—Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 2911,97,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 9—Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 967,38,13,000 for revenue expenditure and Rs. 714,10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 10—Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 269,55,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 11—Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 113,20,42,000 for revenue expenditure and Rs. 14,76,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 12—Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 1108,68,79,000 for revenue expenditure and Rs. 6,99,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand**

[Mr. Speaker]

No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding **Rs. 33,40,73,000 for revenue expenditure and Rs. 1622,81,73,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 14—Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 2989,77,89,000 for revenue expenditure and Rs. 1363,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 15—Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 96,68,94,000 for revenue expenditure and 131,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 16—Industries.**

That a sum not exceeding **Rs. 463,02,28,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 17—Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 167,30,62,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 18—Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs. 16,80,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 19—Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 156,96,91,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 20—Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 728,19,24,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 21—Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 84,24,10,000 for revenue expenditure and Rs. 18,14,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under

Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding **Rs. 751,08,75,000 for revenue expenditure and Rs. 94.58.00.000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 23—Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,83,86,000 for revenue expenditure and Rs. 8,80,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 24—Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 187,03,70,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2007-08 in respect of charges under **Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 21st March, 2007.

*14.55 Hrs. (The Sabha then (*adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 22nd March, 2007.)

42870—H.V.S.—H.G.P., Chd.